राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ७ } द्वितीय विधान सभा के सातवें सत्र का १८ वां दिवस { संख्या १४

बृहस्पतिवार, १७ दिसम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक प्रातः ११ बजकर ७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वास्थ्य, कृषि, स्वायत्त शासन, विद्युत, सिंचाई, श्रम, सार्वजनिक निर्माण, सहकारी, जल-प्रदाय, यातायात, वन तथा गृह-विभाग]

प्रश्न संख्या ४१५.

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

महाराज श्री हुकमसिंह।

जैसलमेर जिले में चलते-फिरते अस्पताल की मांग

४१६. महाराजा श्री हुकुमसिंह [जैसलमेर श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया]: क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सही है कि जैसलमेर जिले भर में केवल एक अस्पताल होने के कारण इतने बड़े क्षेत्रफल व जनसंख्या वाले क्षेत्र में हजारों व्यक्ति इलाज से वंचित रहते हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस जिले में एक चलता-फिरता अस्पताल खोलने का विचार रखती है ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : (क) जी नहीं। जिला जैसलमेर में जवाहर अस्पताल के अतिरिक्त पोकरन में एक डिस्पेन्सरी तथा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। इस प्रकार ३ चिकित्सालय उपलब्ध हैं।

(ख) कठिनाइयों को देखते हुए चलता फिरता अस्पताल खोलने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

(ग) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह कब से विचाराधीन है ?

श्री भीखाभाई : यह तो कोई एक साल से है।

Page No.2

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इसका नतीजा कब तक आ जावेगा। विचाराधीन रहने का ?

श्री भीखाभाई : जब तक नतीजा नहीं निकल जाता।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): आज जैसलमेर में चिकित्सा की सुविधाएं महिलाओं और पुरुषों के लिये पर्याप्त हैं या नहीं ?

श्री भीखाभाई : तीन तो ये हैं ही, आयुर्वेद के औषधालय अलग हैं।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : मोबाइल कितने हैं ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है। दर असल जैसलमेर एक पिक्युलियर एरिया है। पोपुलेशन बहुत दूर दूर है, गांव दूर दूर हैं, इलाका लम्बा-चौड़ा और रेगिस्तानी है इसलिये इस पर अलग से विचार होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सत्य है कि वहां के लिये लेडी डाक्टर सरकार ने दी है, पर वह जोधपुर में रहती है; वहां नहीं रहती। नाम जैसलमेर का रख दिया है।

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न इससे संबंध नहीं रखता।

श्री मुरलीधर व्यास : यह अस्पताल की सुविधा से ही सम्बन्ध रखता है।

श्री शंकरलाल : यह किस आधार पर रखे जाते हैं ? मोबाइल डिस्पेन्सरी के लिये क्या कन्डीशन्स फुलफिल करनी होती हैं, जहां भेजे जाते हैं ?

श्री भीखाभाई : कन्डीशन कई विशेष परिस्थितियों में होती हैं। वहां जन संख्या काफी दूर दूर और फैली हुई है; रेतीला प्रदेश है, जन संख्या कम है इसलिये स्पेशल व्यवस्था करने की बात सोची जा रही है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या इस तरह प्रत्येक जिले में रखने की योजना है ?

श्री भीखाभाई : यह सब अनुदानों की उपलब्धि पर निर्भर है। उपलब्धि पर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

पाली स्थित बांगड़ अस्पताल में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की मांग

४१७. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पाली स्थित बांगड़ अस्पताल के लिए आवश्यक औज़ार व फर्नीचर खरीदने के लिए गत वर्ष कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी और उसके अनुसार औज़ार व फर्नीचर खरीदा गया अथवा नहीं ?

(२) अब अस्पताल में जिन जिन औजारों व आवश्यक वस्तुओं की मांग सरकार के विचाराधीन है, उनकी पूर्ति कब तक की जाने की आशा है ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई): (१) गत वर्ष बांगड़ अस्पताल, पाली के लिए निम्न राशि स्वीकृत हुई थी जिससे अधिकृत औज़ार व फर्नीचर खरीदा गया है :

औज़ार १६,००० रु०,
फर्नीचर २,४०० रु०।

(२) इस समय किन्हीं औजारों की आवश्यकता नहीं है। केवल एक्सरे मशीन के

Page No.3

(श्री भीखाभाई)

लिए एक नई ट्यूब की आवश्यकता है जिसके लिए २,५३२ रु० की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

श्री शंकरलाल : यह मशीन क्या अगले वर्ष तक लग जायेगी ?

श्री भीखाभाई : मशीन तो है ही। मशीन के लिए एक ट्यूब की बात है और उसके लिए पैसा मन्जूर हो गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह ।

नागोर जिला कृषि अधिकारी द्वारा बगैर स्वीकृति के गेहूं के बीज की खरीद

४१८. **श्री मंगलसिंह** [रानीवाड़ा–श्री लक्ष्मीन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया] : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि नागोर जिला कृषि अधिकारी ने सन् १९५८–५९ में गेहूँ का ५७०॥ मन जो बीज खरीदा व उसे नियमानुसार रजिस्टर्ड सीड ग्रोअर्स से नहीं खरीदकर दूसरी जगह से खरीदा व उसका नमूना भी नियमानुसार केन्द्रीय आफिसर से स्वीकृत नहीं कराया ?

(२) क्या यह सही है कि दो ऐसे व्यक्तियों का गेहूं भी खरीदा गया जिनके लिए उच्च साधिकृत आफिसरों ने सेम्पल को अस्वीकार कर दिया था ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त बीज दिनांक ३१-७-५८ तक खरीदा गया परन्तु दिनांक २४-६-५८ को खरीदा जाना कागजों में दर्ज किया गया ?

(४) क्या यह सही है कि सीड रेट से ज्यादा भाव के पेमेंट से बीज खरीदा गया ?

(५) क्या यह सही है कि साप्ताहिक बाजार रिपोर्ट के विरुद्ध तहसीलदार से भावों की रेट का सर्टिफिकेट लिया गया ?

(६) यदि हां, तो किस आधार पर यह किया गया ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण):

(१) यह सही नहीं है ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं । बीज २४-६-५८ को ही खरीदा गया था ।

(४) जी नहीं ।

(५) जी नहीं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सारा बीज रजिस्टर्ड सीड ग्रोअर से लिया गया था ?

श्री दौलतराम सारण : रजिस्टर्ड सीड ग्रोअर से खरीदा गया था ।

श्री लक्ष्मीचन्द : सीड खरीदने के लिए क्या कोई कमेटी अपोइन्ट की है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या उससे यह एप्रूव कराया गया था ?

श्री दौलतराम सारण : उस कमेटी ने ही यह तय करके भेजा था ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

ग्राम पंचायत धानुगांव (बूंदी) के हैडक्वार्टर का अन्यत्र स्थानान्तर

४१९. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा-श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, धानुगांव, तहसील नैनवा, जिला बूंदी का हैड क्वार्टर धानुगांव से हटा कर किसी दीगर ग्राम में कर दिया गया है ? अगर हां, तो कहां और किन आधारों पर ?

(२) धानुगांव की क्या जनसंख्या है और जिस ग्राम में पंचायत रखी गई है उस ग्राम की क्या जन संख्या है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां। ग्राम सुवानिया में पंचायत क्षेत्र के मध्य में होने के कारण पटवार हैड क्वार्टर होने के कारण तथा जिला पंचायत अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर व ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा यह परिवर्तन स्वीकार किया गया।

(२) ग्राम धानुगांव की जनसंख्या ४३३ हैं और ग्राम सुवानिया जिसमें पंचायत केन्द्र रखा गया है, २४८ है।

श्री लक्ष्मीचन्द : आपने वहां से हैड क्वार्टर हटाया तो क्या वहां की जनता से इसके लिए पूछा था ?

श्री दौलतराम सारण : पूछना जरूरी नहीं था।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या वहां की जनता से पूछना जरूरी नहीं समझते ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जब आप उनसे पूछना जरूरी नहीं समझते तो फिर उनकी सुविधा का ख्याल आप किस तरह से कर लेते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जिस जगह से हटाया उसके लिए वह एक ही जगह नहीं थी। उस पंचायत क्षेत्र में और भी गांव थे और सब जगह को ख्याल करके हा रखा गया है। सब जगह की जनता की सुविधाओं का ख्याल करके ही यह रखा गया है।

डा० चन्द्रकला : जब पहले रखा गया तब क्यों नहीं इसका ख्याल रखा ?

श्री दौलतराम सारण : वह पंचायतों का प्रारम्भिक काल था। उस समय इतनी जानकारी नहीं थी। ज्यों ज्यों जानकारी आती है त्यों त्यों अच्छी व्यवस्था होती जाती है।

डा० चन्द्रकला : यह जानकारी किस को नहीं थी ?

श्री दौलतराम सारण : गांव वालों को और प्रशासनिक अधिकारियों को।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

टोंक शहर का बिजलीघर

४२०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** [उनियारा-श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया] : क्या विद्युत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि टोंक शहर का बिजलीघर घाटे में चलता है ? अगर हां, तो क्यों ?

Page No.5

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(२) इस पावर हाउस की सालाना आमदनी और माहवारी खर्चा क्या क्या है ?

(३) क्या यह सही है कि बिजली की बकाया बहुत पड़ी है ? अगर हां, तो किस कदर ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। बिजलीघर चलाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन सब की कीमतें बढ़ने और एन्जिन पुराने होने के कारण।

(२) सालाना आमदनी औसतन करीब १,१३,००० रु० है और माहवारी औसतन खर्चा १३,००० रु० है।

(३) बकाया सिर्फ २६,७२२ रु० है. जिसमें १६,७१३ रु० म्यूनिसिपल बोर्ड पर है, राजकीय विभाग पर ४१६ रु०, केन्द्रीय विभाग पर ३११)रु०, शासक पर ४८०)रु०, प्राईवेट पार्टीज़ पर ८८०२) रु०।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सरकार इतनी बड़ी बकाया किस तरह रख लेती है इसकी वसूली जल्दी से जल्दी क्यों नहीं करती ?

श्री भीखाभाई : इस पर विचार किया जा रहा है। बहुत सी म्यूनिसिपेलिटीज पर रुपया बकाया है उसके बारे में बहुत जल्दी ही कार्यवाही की जायेगी।

डा० चन्द्रकला : यह जो टोंक में इन्जिन लगा हुआ है यह पुराना है या नया ?

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया कि बहुत पुराना होने के कारण इतना घाटा हो रहा है। नया और लगा दिया है।

डॉ० चन्द्रकला : नया एन्जिन लग गया है तो अब तो घाटा कम होगा ?

श्री भीखाभाई : १६५८ के आंकड़े अभी हमने लगाये नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह।

नागौर जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय के चपरासी श्री पांचूराम माली की बकाया तनख्वाह पर जाली हस्ताक्षर

४२१. **श्री मंगलसिंह** [रानीवाड़ा-श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया] : क्या कृषि मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नागोर जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय के चपरासी श्री पांचूराम माली की जुलाई, ५८ की पूरी तनख्वाह उठा ली गई जब कि उसने उक्त माह में सर्विस छोड़ कर दूसरे स्थान पर सर्विस कर ली थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि तनख्वाह पाने की रसीद पर उसके जाली हस्ताक्षर बनाकर तनख्वाह उठाई गई है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण): (१) श्री पांचूराम चपरासी ने माह जुलाई, १६५८ ई० तक जिला कृषि अधिकारी, नागोर के कार्यालय में काम किया था और इसलिए उक्त माह की तनख्वाह उस खुद को दी जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(श्री दौलतराम सारण)

(२) जी नहीं, तनख्वाह पाने की रसीद पर श्री पांचूराम के स्वयं के ही हस्ताक्षर बताए जाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : हस्ताक्षर तो हैं लेकिन जाली तो नहीं हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मैं उत्तर दे चुका हूं।

[राव राजा श्री सरदारसिंह]

वनस्पति घी की बिक्री पर रोक

४२२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** [उनियारा-श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

क्या सरकार को मालूम है कि राजस्थान में वनस्पति घी की बिक्री पर कोई रोक नहीं है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इसको उचित समझती है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या सरकार वनस्पति घी को हानिकारक समझती है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : शुद्ध होने पर तो हानिकारक नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यहां वनस्पति घी शुद्ध मिले इसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है ?

श्री भीखाभाई : राजस्थान में अडल्टरेशन का कानून बना हुआ है। दर असल में यह भारत सरकार से सम्बन्धित नीति से सम्बन्ध रखता है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या राजस्थान में वनस्पती घी भी शुद्ध आता है ?

श्री भीखाभाई : अडल्टरेशन प्रूव नहीं होता है तब तक शुद्ध ही माना जाता है।

डॉ० चन्द्रकला : राजस्थान में अडल्टरेशन नहीं हो इसके लिए प्रान्तीय सरकार का कुछ कर्त्तव्य नहीं है क्या ?

श्री भीखाभाई : उसके लिए एक्ट बना हुआ है। सरकार का कर्त्तव्य तो है ही इसके लिए सेनिटरी इन्सपेक्टर्स हैं और वे लोगों को पकड़ते हैं, मुकदमे भी दर्ज होते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

पाली तहसील की लघु सिंचाई योजनाएं

४२३. **श्री मूलचन्द डागा** [पाली-श्री शंकरलाल (रायपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) पाली तहसील की निम्न लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वे पूरा हुआ या नहीं, और अगर नहीं, तो अब कब तक होने की आशा है :-

Page No.7

(श्री मूलचन्द डागा)

(क) गांव एन्दला का तालाब,

(ख) वाणियावास का बांध,

(ग) गिरोलिया का बांध ?

(२ क्या सरकार को यह मालूम है कि इन बांधों का सर्वे आज से पूरे दो साल पहले शुरू हो गया था ?

(३) यदि नहीं, तो फिर इन योजनाओं का कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : (१) तीनों योजनाओं की सर्वे सम्पूर्ण हो चुकी है।

(२) एन्दला व गिरोलिया की सर्वे करीब १०-११ महीने पहिले शुरू हुई जब कि वाणियावास की सर्वे १७ माह पहले।

(३) इस विषय में योजनाओं की तख-मीनों की टैक्निकल जांच सम्पूर्ण होने पर ही बताया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

ग्राम मूंडरू में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला जाना

४२४. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :--

(१) क्या यह सही है कि श्री माधोपुर ब्लाक एडवाईजरी कमेटी में आज से लगभग आठ माह पूर्व ग्राम मुंडरू में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने का निर्णय लिया था ?

(२) क्या यह सही है कि इस निर्णय के अनुसार वहां की जनता ने कई हज़ार रुपया जन सहयोग के नाते इकट्ठे करके जमा करा दिये ? यदि हां, तो कितने और कब ?

(३) क्या यह सही है कि कलेक्टर, सीकर ने कई बार सरकार को वहां शीघ्र ही डाक्टर भेजने अथवा मकान का काम आरम्भ करने को लिखा है परन्तु सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि कलेक्टर, सीकर ने प्राईवेट हैल्थ सेन्टर के भवन के लिये स्थान का अप्रूवल भी कर दिया है तथा जनता ने जब तक भवन न बन सके उस समय तक के लिये एक भवन भी प्राईमरी हैल्थ सेन्टर के लिये कलेक्टर, सीकर, से एप्रूवल करा कर दिया है ?

(५) ऐसी स्थिति में वहां डाक्टर न भेजने का क्या कारण है ?

उप मंत्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) :

(१) जी हां।

(२) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(३) डवेलपमेन्ट विभाग से केवल जून, १९५९ में सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें यह लिखा था कि जिलाधीश सीकर, ने सूचना दी है कि ग्राम मुंडरू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करना निश्चित हुआ है, अतः उसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(४) जी हां।

(५) डॉक्टरों की कमी के कारण डॉक्टर नहीं भेजा जा सका है। उपलब्ध होने पर भेज दिया वेगा

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने अपना अन्तिम निर्णय बना लिया है कि मुंडरू के अन्दर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला जाना है ?

श्री भीखाभाई : डवेलपमेन्ट विभाग की ओर से तय हो चुका है कि वहां पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला जाये ।

श्री भैरोंसिंह : यह कब तय हो चुका था ?

श्री भीखाभाई : यह तो जब से डिस्ट्रिक्ट डवलपमेन्ट आफिसर से चिट्ठी आई है उसी वक्त से तय हो गया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या डवेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने अपनी स्वीकृति की सूचना डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज़ को देदी, वहां के लिये स्वीकृति हो चुकी है और वहां पर डॉक्टर भी भेजना आवश्यक है ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने चिट्ठी लिखी और मिलने पर भेज दिया जावेगा ।

श्री भैरोंसिंह : आपने सूचना दी या नहीं । मेरा मतलब है कि डवेलपमेन्ट विभाग ने अपनी स्वीकृति की सूचना डाइरेक्टर मेडीकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज को दी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह हैल्थ सेन्टर यहां ही खुलेगा या किसी और जगह खुलेगा ।

श्री भीखाभाई : ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी ने राय दी थी उसको डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट आफिसर ने कन्वे किया और डिप्टी डवेलपमेंट कमिश्नर ने उसी इत्तिला को डाइरेक्टर आफ मेडीकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज को चिट्ठी लिखी ।

श्री भैरोंसिंह : चिट्ठी तो लिखी है पर वह स्वीकृति की लिखी है या केवल कागजात फार्वर्ड किये हैं ?

श्री भीखाभाई : स्वीकृति की चिट्ठी तो लिखी नहीं । उन्होंने कहा कि लोग तैयार हैं और वह श्रमदान करने के लिए तैयार हैं, पैसे देने के लिए तैयार हैं और चिट्ठी आई है जिसमें लिखा है कि टेम्प्रेरी बिल्डिंग का भी इन्तजाम करने के लिए तैयार हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि क्या डवलपमेंट डिपार्टमेंट ने डाइरेक्टर आफ मेडीकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज और गवर्नमेंट ने फाइनली इस स्कीम को एप्रूव कर दिया है कि मुंडरू में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला जाना है ? अगर फाइनली एप्रूव कर दिया तो कब कर दिया है और इसकी सूचना डाइरेक्टर आफ मेडीकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज को दे दी है ताकि डाक्टर का अपाइन्टमेंट किया जा सके ?

श्री भीखाभाई : मैं अर्ज कर चुका हूं कि डवेलपमेंट डिपार्टमेंट का काम है कि उसको स्वीकार करना या नहीं करना ।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट है ।

श्री अध्यक्ष : वह उत्तर दे चुके हैं कि डाक्टर नहीं मिलता है इसका मतलब यही है कि एक्सैप्ट तो कर लिया है, वहीं खुलेगा ।

श्री भैरोंसिंह : यह कह दें कि सरकार ने इस स्कीम को फाइनली एप्रूव कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष : कमेटी की सिफारिश है ।

श्री भैरोंसिंह : मेरी कान्स्टिट्युएन्सी में है इसलिए दिक्कत आ रही है। दूसरी जगह होती तो अब तक डाक्टर भी चला जाता। गवर्नमेंट ने स्कीम को फाइनली एप्रूव कर लिया है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : दरअसल में जो मेरे पास उत्तर आया है उसके हिसाब से उत्तर मैं दे चुका हूं और अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो जानकारी करूंगा। दरअसल में हमारी तरफ से यानि मेडिकल विभाग ने क्या किया है, वह बता दिया। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है....

श्री भैरोंसिंह : जबाब आपकी टेबिल पर आगया है। देखिये।

(हंसी)

श्री भीखाभाई : (देखकर) आप चाहते हैं, तो एप्रूव हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : एप्रूव हो तो गया है उसके बाद में डाक्टर का अपोइन्टमेंट कब हो जायेगा ?

श्री भीखाभाई : डाक्टर की उपलब्धि पर है। मैंने अर्ज किया है, प्रश्न (५) के उत्तर में। डाक्टर उपलब्ध होने पर भेज दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि हैल्थ सेन्टर खोलने की स्वीकृति के बाद कई नये स्थानों पर डाक्टर भेज दिये गये हैं और इस स्थान पर नहीं भेजा गया है ?

श्री भीखाभाई : ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : नये स्थानों पर डाक्टर की एवेलेबिलिटी पर गवर्नमेंट ने किसी प्रकार से क्या कोई क्राइटेरिया निश्चित कर रखा है ?

श्री भीखाभाई : दूसरी जगह जहां कहीं मिल जाते हैं वहां जल्दी नियुक्ति हो जाती है। इसमें ऐसी दिक्कत है कि कहीं डाक्टर नहीं मिलता है। ज्यादातर बिना डाक्टर के ही चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्रम कल्याण केन्द्रों के हेतु निर्मित सरकारी भवन।

४२५. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली श्री शंकरलाल (रामपुर) द्वारा पूछा गया) : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में किन किन जगहों पर श्रम कल्याण केन्द्र खुले हुये हैं, किन किन जगहों पर श्रम कल्याण केन्द्र के सरकारी भवन बने हुए हैं ? ये भवन सरकार ने कब कब, कितनी कितनी लागत पर बनवाये हैं ?

(२) हम श्रम केन्द्रों से सन् १९५६, ५७ व ५८ में क्रमशः कितना कितना प्रशासनिक खर्चा पड़ा है और कितनी कितनी रकम मजदूरों के हित में खर्च हुई ? सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, श्रम (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) (१) राजस्थान में निम्न स्थानों पर श्रम कल्याण केन्द्र खुले हैं :

१. अजमेर
२. ब्यावर
३. बिजयनगर
४. केकड़ी
५. जयपुर
६. सवाई माधोपु

Page No.10

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

७. टोंक	१५. बीकानेर
८. धौलपुर	१६. श्री गंगानगर
९. जोधपुर	१७. जामसर
१०. पाली	१८. कोटा
११. मकराना	१९. बूंदी
१२. भीलवाड़ा	२०. रामगंज मंडी
१३. उदयपुर	२१. लाखेरी
१४. जावर माइन्स	२२. चम्बल डेम

इनके अतिरिक्त निम्न स्थानों पर सब-सेन्टर्स खुले हुए हैं :—

१. फीदोसर	४. श्री गंगानगर
२. पाली	५. सरसागर
३. भीलवाड़ा	

राज्य में केवल तीन स्थानों पर सरकारी भवन बने हुये हैं। ये भवन जयपुर, ब्यावर, भीलवाड़ा केन्द्रों के लिये हैं। इनके निर्माण में निम्न लागत लगी :—

वर्ष	स्थान	भवन निर्माण में कुल लागत
१९५८-५९ तक	जयपुर	६०,८५४.२३
१९५८-५९ तक	ब्यावर	७४,८०२.७०
१९५८-५९ तक	भीलवाड़ा	८२,४६५.६४

(२) इन श्रम केन्द्रों पर ५६, ५७ व ५८ में निम्नलिखित प्रशासनिक व मजदूरों के हित में रकम खर्च की गई :—

वर्ष	प्रशासनिक खर्च	मजदूरों के हित में किये गये खर्च
१९५६-५७	९६,२१०	२४,२५०
१९५७-५८	१,१७,७७३	६७,५३६
१९५८-५९	१,५७,४२०	१,१४,५८८

श्री शंकरलाल : यह जितना भी खर्चा हो रहा है उसमें प्रशासनिक खर्चा अधिक हुआ है और मजदूरों के हित में कम खर्च हुआ है, इसका क्या कारण है? क्या सरकार इसकी जांच करेगी?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सारे डाक्टर्स रखे जाते हैं, वेलफेअर आफिसर्स रखे जाते हैं या सारा इन्डाइरेक्टली वैलफेअर पर खर्चा है, और दूसरा डाइरेक्टली उनके मनोरंजन के लिए सामान वगैरह खरीदने में खर्च होता है। वह इन्डारेक्टली खर्चा होता है लेकिन यह उनके फायदे और बेहतरी के के लिये है।

श्री शंकरलाल : दवाइयां वगैरह में तो खर्चा कम है और प्रशासनिक खर्चा ज्यादा है, यह क्यों है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डाक्टरों वगैरह का खर्चा भी प्रशासनिक खर्चे में है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : किस किस केन्द्र पर डाक्टर हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह अलग से प्रश्न है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या हर जगह पर डाक्टर है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कई जगह पर रखे हैं। यह आपका अलग प्रश्न है। यह इससे ताल्लुक नहीं रखता है। प्रश्न पढ़कर सप्लीमेन्ट्री पूछें तो अच्छा रहेगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : कौन कौन सी केटेगरी के खर्चे प्रशासनिक में आते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डाक्टर्स, नर्सेज़, वैलफेयर आफिसर्स, गेम्स एवं एन्टरटेन्मेन्ट्स के लिए हैं।

श्री भीमसेन : (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि प्रशासनिक खर्चे में डाक्टर का खर्चा शामिल है ?

श्री पूनमचन्द दिनोई : शामिल है।

श्री शंकर लाल : सरकारी भवन तीन जगह ही बने हुए है और दूसरी जगह नहीं बने हुए हैं।

क्या सरकार दूसरी जगह भी सरकारी भवन बनाने के बारे में विचार करेगी ?

श्री पूनमचन्न बिश्नोई : तृतीय पंचवर्षीय योजना में भवन बनाये जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : जिन जिन स्थानों पर पर लेबर वैलफेयर सेन्टर्स बने हुए हैं परन्तु वहां पर उनके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की जायगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सब बातों का ख्याल रखेगें। जितनी धनराशि उपलब्ध होगी उसके अनुसार मकान बनाये जायेंगे और भी सब चीजें दी जायगीं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

राहुवास नदी पर बांध बनवाना

४२६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सच है कि राहुवास नदी का बांध वर्षा से टूट गया है एवं वहां पर यातायात चालू नहीं है ?

(२) सरकार उक्त नदी पर बांध कब तक बनवायेगी ?

(३) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इर्रिगेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है इसलिए सिंचाई मंत्रीजी अपनी टर्न पर इसका उत्तर देंगे।

Page No.12

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : यातायात रुक जाता है तो क्या यातायात मंत्री से संबंधित नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह बांध टूट गया है तो उनसे संबंधित है। मेरे खयाल से इसमें यातायात का अक्षर भी नहीं लिखा हुआ है।

डॉ० चन्द्रकला : आप देखिये जरा। देख कर बताइये। उसमें लिखा हुआ है कि 'यातायात चालू नहीं है।'

श्री अध्यक्ष : प्रश्न में यह लिखा है कि बांध कब तक बंध जायेगा ?

डॉ० चन्द्रकला : 'यातायात चालू नहीं है; यह आखिर में लिखा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सब इर्रिगेशन करता है। बांध टूटता है तो बांध बनाने के लिए या बान्ध पर पुल बनाने का काम, यह सारा इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट करता है।

डॉ० चन्द्रकला : इसमें पूछा गया है कि "यातायात चालू नहीं है" यातायात की बात हो गई तो यातायात मंत्री से पूछा गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : बांध बनाने की बात मुख्य है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : तो यह बता दीजिये कि वहां पर यातायात कब तक चालू होगा ?

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : यातायात चालू है। रुका हुआ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयपुर नगर की डिस्पेन्सरियों में नियुक्त वार्ड बॉयज

४२७. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

जनवरी, १९५९ से अप्रेल, १९५९ तक जयपुर नगर की किन किन डिस्पेन्सरियों में किन किन वार्ड बॉयज की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति हुई है, और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई): किसी की नियुक्ति व पुनर्नियुक्ति नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

सहकारी विभाग के अस्थायी कर्मचारी

४२८. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Co-operation be pleased to state:

1. How many temporary hands are working in the Co-operative Department on the posts of Assistant Registrars, Inspectors, Assistant Inspectors, Technical Assistants and Clerks etc. and since how long ? Please give their names, year of appointment and posts against their name of each Why these posts have not so far

Page No.13

(श्री श्रीभानसिंह)

been filled up through the Public Service Commission ?

2. How many of them have appeared before the Public Service Commission and approved by it ? How many of them, though rejected by the Commission, are still working ?

3. The posts for which they have been approved may kindly be indicated.

उप मंत्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) : (१) सहकारी विभाग में निम्न प्रकार कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं :

(१)	सहायक रजिस्ट्रार	७
(२)	इन्सपेक्टर (एक्जीक्यूटिव)	३०
(३)	इन्सपेक्टर (ऑडिट)	१०
(४)	टेक्निकल असिस्टेन्ट	कोई नहीं
(५)	सहायक निरीक्षक	१०८

क्लर्कस की नियुक्ति जन सेवा आयोग द्वारा नहीं होती है अतः उनकी सूचना देने का प्रश्न ही नहीं उठता। अन्य सूचनाएं परिशिष्ट (क) में दे दी गई हैं।

(२) ६ सहायक रजिस्ट्रार, श्री नाहरसिंह के अतिरिक्त जन सेवा आयोग के समक्ष साक्षात्कार को गत नवम्बर मास में जा चुके हैं जिनका परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ है। श्री नाहरसिंह अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। समय आने पर इनको भी साक्षात्कार के लिये जनसेवा आयोग के समक्ष जाना होगा। अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में संलग्न सूची, परिशिष्ट (क) के कालम ५ में दे दिया गया है।

(३) जिन पदों पर ये कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन्हीं के लिये स्वीकृति होगी। अतः अन्य पदों पर भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री श्रीभानसिंह : जब आपके डिपार्टमेंट ने पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वीजिशन भेजा था उस वक्त आपने ७ आदमी का क्यों नहीं भेजा और ६ का भेजा और इनका टेम्प्रेरी अपोइन्टमेंट, श्री नाहरसिंह को ७वां असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कैसे कर दिया? क्या सात जगह खाली नहीं थीं ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : बाद में श्री नाहरसिंहजी इस डिपार्टमेंट में आये हैं।

श्री श्रीभानसिंह : उसके बाद में डिपार्टमेंट में आये हैं तो जिस टाइम पर रिक्विजिशन डिपार्टमेंट ने पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा उस टाइम में क्या यह महसूस नहीं किया कि ७ असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स की जगह हैं और ६ की नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ६ का नहीं, १२ का भेजा हुआ है और भी पोस्ट्स उसके बाद में बहुत सी निकली हैं सप्लीमेन्ट्री प्लान में। यह रिक्वीज़िशन भेजा था वह बहुत पुराना है।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय देख लें कि 'गत नवम्बर' का लिखा है तो नवम्बर, ५८ में भेजी है।

Page No.14

श्री नाथूराम मिर्धा : गत नवम्बर का मतलब १२ महीने पहले का हो गया। इसलिए १२ महीने के बाद में पोस्टें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। इसलिए १२ पोस्टें भेजी हैं। उसके बाद में ७, ८ पोस्टें और हुई हैं और वह रिक्वीज़िशन उस समय १२ महीने का भेजा हुआ है। सप्लीमेन्ट्री प्लान में पोस्टें बाद में आई हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि भेजने का प्रश्न नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : आप यह बता दें कि नवम्बर, ५८ की डेट में रिक्वीज़िशन भेजा गया था या नवम्बर, ५९ में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, नवम्बर, १९५८।

श्री श्रीभानसिंह : नवम्बर, ५८ में पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वीज़िशन भेजा था उस टाइम में कितनों ने एप्लाई किया था असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की जगहों के लिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १२ पोस्टें भेजी थीं और एप्लीकेशन १००,१२५ आई होंगी।

श्री श्रीभानसिंह : १००, १२५ एप्लीकेशन्स आई हैं तो १२ पोस्टों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन दी आर्डर आफ प्रिफरेन्स लिस्ट भेजी थी, उसमें से डिपार्टमेंट से न लेकर श्री नाहरसिंहजी को इम्पोर्ट क्यों किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तक पी. एस. सी. ने रिज़ल्ट नहीं भेजा है।

श्री श्रीभानसिंह : जब तक पी. एस. सी. का रिज़ल्ट नहीं आया तब तक डिपार्टमेंट ने श्री नाहरसिंहजी को दूसरे डिपार्टमेंट से लाकर इस डिपार्टमेंट में टेम्प्रेरी अपोइन्टमेंट क्यों दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरे डिपार्टमेंट से लिया है लेकिन मैंने कहा है कि पोस्टें और भी बहुत सी हैं। उन्होंने एप्लाई किया। कल उनके बारे में कह दिया था। वे यहां पर काम करना चाहते हैं। जगह थी उनको ले लिया। वे काम कर रहे हैं। वे पब्लिक सर्विस कमीशन में चले जायेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : यह तो मान लिया कि आप रेगुलेराइज़ करा लेंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि जब तक पी. एस. सी. के सिलेक्शन का रिजल्ट आया नहीं उससे पहले श्री नाहर सिंह जी को दूसरे डिपार्टमेन्ट से लाकर इस डिपार्टमेंट में कैसे अपोइन्ट कर दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह डिपार्टमेन्ट के अधिकार की बात है।

श्री श्रीभानसिंह : पी. एस. सी. के यहां आपने रिक्वीजिशन भेजा, लेकिन वहां से लिस्ट अभी आपके पास आई नहीं जिससे आपको पता चल सके कि कितनों को एप्रूव किया, कितनों को नहीं किया। उस लिस्ट के सामने आये बिना व्यक्ति विशेष का अपोइन्टमेन्ट आपने किस आधार पर किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बाहर के, फॉरेन आदमी का अपोइन्टमेन्ट नहीं किया है विभाग में आलरेडी हैं, उनकी दर्ख्वास्त आई थी इसलिए उनकी ट्रान्सफर मजूर कर ली गई ?

श्री श्रीभानसिंह : यही मैं कहता हूँ कि उनकी ही दर्ख्वास्त क्यों मंजूर की गई जब कि पी. एस. सी. की लिस्ट आपके सामने

Page No.15

(श्री श्रीभानसिंह)

आई नहीं कि कितनों को उन्होंने एप्रूव किया है ? उस बीच में आपने उनको क्यों अप्रूव किया और क्यों नहीं उनको पी. एस. सी. में भेजा गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पी. एस. सी. में जब उपयुक्त समय आयेगा तब भेजेंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट कितने समय के लिये हो सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ६ महीनों के लिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री नाहरसिंहजी को कई वर्ष हो गये और अब तक वे टेम्पोरेरी हैं ? क्या उनके अपोइन्टमेन्ट का ६ महीनों का पीरियड एक्सपायर नहीं हो गया और क्या वे इस पीरियड को एक्सीड नहीं कर गये, इस डिपार्टमेन्ट में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किस डिपार्टमेन्ट में ?

श्री भैरोंसिंह : पंचायत डिपार्टमेन्ट में वे कन्फर्म नहीं हुए हैं और वर्षों से चले आ रहे हैं। जब तक पी. एस. सी. एप्रूव नहीं कर लेती है तब तक उस डिपार्टमेन्ट से दूसरे डिपार्टमेन्ट में टेम्पोरेरी नियुक्ति किस प्रकार से हो सकती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्लान पीरियड की सारे डिपार्टमेन्ट्स् की पोस्ट्स टेम्पोरेरी हैं। पंचायत विभाग में चार, पांच साल से चल रहे हैं उनमें से कई अब तक टेम्पोरेरी हैं। प्लान की पोस्टस टेम्पोरेरी हैं इसलिये पर्मानेन्ट पोस्ट पर करने का सवाल नहीं था और अब भी नहीं है। उन्होंने ट्रान्सफर की दरख्वास्त दी, हमने उनको ले लिया। उपयुक्त समय पर पी. एस. सी. के सामने चला जायगा।

श्री श्रीभानसिंह : जो ऑफिसर एक डिपार्टमेन्ट में टेम्प्रेरी चल रहा है उसका वह पीरियड खत्म हो गया और उनको पी. एस. सी. ने रिजेक्ट कर दिया तब यहां एप्लीकेशन दी और एक स्पेशल केस बनाकर इस विभाग में कैसे उनको ले लिया जब कि डिपार्टमेन्ट के सामने पी. एस. सी. की एप्रूव्ड लिस्ट आई नहीं, रिजल्ट आया नहीं तो उनका टेम्पोरी अपोइन्टमेन्ट करके स्पेशल फेवर उनके साथ क्यों किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं उत्तर दे चुका हूं।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह सही है कि श्री नाहरसिंहजी को ट्रेनिंग के लिये भी भेज दिया जिससे कि उनकी एडीशनल क्वालिफिकेशन हो जाय ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

ग्राम रामपुरिया (कोटा) के तालाब के पास कैथून रोड पर बनी चम्बल नहर की पुलिया को सुविधाजनक बनाना

श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा-सु:) क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या यह सही है कि तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में ग्राम रामपुरिया के तालाब के पास कैथून रोड पर चम्बल नहर की जो

Page No.16

(श्री रामनारायण वर्मा)

पुलिया बनी है उसके दोनों हिस्सों को एक दम ऊंचा कर देने से किसानों की अनाज की भरी गाड़ियां नहीं चढ़ पातीं ?

(२) क्या यह भी सही है कि कोटा जाने वाली अनाज की भरी गाड़ियां देवली व बोरखेड़ा होकर जाती हैं ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के कष्टों को ध्यान में रखते हुए उक्त पुलिया को सुविधाजनक बनायेगी ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री भीखाभाई) : (१) पुलिया के दोनों तरफ से चट्टान ठीक कर दिये गये हैं ।

(२) इस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जयपुर शहर की आजाद बस्ती, लालजी का बाग, हथरोई तथा हसनपुरा में सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था

४३०. **डा० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) जयपुर शहर की आजाद बस्ती (संसारचन्द्र रोड) लालजी का बाग, हथरोई तथा हसनपुरा में सार्वजनिक शौचालयों की क्या व्यवस्था है ?

(२) क्या यह सच है कि सार्वजनिक शौचालयों के अभाव में इन बस्तियों के लोगों को बड़ी असुविधा होती है ?

(३) क्या यहां की जनता ने बार बार मांग की है और उसे नगरपालिका की ओर से शीघ्र व्यवस्था कराने के लिये आश्वासन भी दिये जाते हैं ?

(४) अब इन बस्तियों में सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) लालजी के अहाते के पीछे और हसनपुरा नाटानियों के बाग के पीछे सार्वजनिक शौचालय मौजूद हैं ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) जयपुर शहर का मास्टर प्लान तैयार होने के बाद ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि वहां पर दो, तीन हजार की बस्ती में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है तो लोगों को असुविधा होती होगी ? उसके लिये मास्टर प्लान की आवश्यकता क्यों है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : म्यूनिसिपैलिटी चाहे तो जल्दी बना सकती है । सरकार का उससे सीधा ताल्लुक नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : जब जनता की असुविधा सरकार के सामने आती है तो उस पर गौर करना सरकार का कर्त्तव्य है या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह म्यूनिसिपैलटी का कर्त्तव्य है । हसनपुरा की समस्या चार, छः महीनों में पैदा नहीं हुई है । इसके पहले चुना हुआ बोर्ड था, उसने इस पर गौर नहीं किया तो हमारे हाथ की बात नहीं है कि गौर करें ।

Page No.17

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : इस समय म्यूनिसिपेलिटी का काम सरकार के हाथ में है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसलिये तो उत्तर दिया कि १२ महीनों से हमारे हाथ में है।

डॉ० चन्द्रकला : लेकिन यह प्रश्न अभी का तो नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह साधनों पर भी निर्भर है। चुना हुआ बोर्ड आयेगा वह अच्छा समझेगा तो बना देगा।

डॉ० चन्द्रकला : जनता को जो असुविधा कई वर्षों से हो रही है उस पर गौर करने का क्या सरकार का फर्ज नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : वे कहते हैं कि उन पर सीधी जिम्मेदारी नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : जिनकी सीधी जिम्मेदारी है वे विशेष गौर नहीं करते हैं, तो सरकार के ध्यान में लाया जाता है। ऐसी हालत में सरकार पर जिम्मेदारी आती है या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : म्यूनिसिपेलिटी एक आटोनोमस बॉडी है। हमारी ओर से यह नियंत्रण नहीं है कि किस प्रकार का काम वे करें या न करें। उनकी खुद की जिम्मेदारी है। कानून ने उनको अधिकार दिया है, वे खुद कर सकते हैं।

प्रश्न संख्या ४३१-४३२

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री मोहब्बतसिंह

जीरावल तथा आबू रोड के मध्य चलने वाली नियमित प्राईवेट बस से सम्बन्धित अनियमितताएं

४३३. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minister for Transport be pleased to state :—

(1) Is the Government aware of a Private Bus operating daily between Abu Road and Jeerawal in Sirohi District ?

(2) Is it also a fact that this private Bus picks up passengers on hire without issuing any tickets or paying tax to the Government ?

(3) If so, does the Government propose to stop this illegal operation of a regular bus between Jeerawal and Abu Road ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इस बाबत मोटर विहिकल सब इन्सपेक्टर, सिरोही और मोटर विहिकल इन्सपेक्टर, पाली ने जांच की। जांच पर जाहिर हुआ कि इस बस में यात्रा करने वाले यात्रियों से किराया नहीं लिया जा रहा है।

(२) इस बारे में कोई शिकायत नही आई।

(३) इस गाड़ी का टैक्स मोटर गाडियों के रूल्स के अनुसार प्राइवेट बस का लिया जाता है।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या यह बस सर्विस फ्री ले जाती है ? यदि हां, तो कैसे एफार्ड करती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां पर एक मन्दिर है जिसकी तरफ से यह गाडी है। जो यात्री उस मंदिर में जाते हैं उनको यह वहां तक पहुंचाती है।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : पैसेन्जर टैक्स कैसे वसूल होता होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब पैसेन्जर्स से कोई किराया ही नहीं लिया जाता तो टैक्स वसूल करने का सवाल नहीं उठता।

श्री **श्रीभानसिंह** (बयाना): क्या उनको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर रखा है ? जो चेरिटेबल पर्पजेज के लिये हैं वे एग्जेम्पटेड हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे अपनी प्राईवेट सवारियों जो मंदिर में आती हैं दर्शन करने के लिये उनको बिना चार्जेज लिये ले जाती हैं।

डा० बहादुरसिंह : सवाल यह है कि पैसेन्जर टैक्स से वे एग्जेम्पटेड हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह गाड़ी किराये पर चलती नहीं है।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या दो साल पहले यह बस भीनमाल के मुंसिफ मजिस्ट्रेट को ले जा रहा था और उनसे चार्ज किया था और कलेक्टर साहब ने उसके खिलाफ एक्शन लिया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

अजमेर डिस्ट्रिक्ट के औषधालयों में दवाइयों एवं वैद्यों के वेतन दिलाने की व्यवस्था

४३४. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जो औषधालय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टूटने से सरकार ने अपने अधीन लिये हैं उनमें दवाइयां भेज दी गई है ?

(२) अगर नहीं, तो कब तक भेज दी जावेगी ?

(३) क्या यह सही है कि इन औषधालयों के वैद्यों की सर्विस जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में थी, काउन्ट नहीं की जा रही है और उनको फ्रेश अपोइन्टमेन्ट दिया जा रहा है ?

(४) अगर हां, तो क्यों ?

(५) क्या उन लोगों को वेतन भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टूटने के बाद नहीं मिला है ?

(६) अगर हां, तो वेतन समय पर मिलने की व्यवस्था कब तक हो जावेगी ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : जी हां, जहां जहां से इन्डेन्ट प्राप्त हुए उनमें औषधियां भेज दी गई हैं और भेजी जा रही हैं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) इस विषय में पूर्व रेकार्ड के अभाव में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रेकार्ड प्राप्त किया जा रहा है। एकीकरण के समय सामूहिक नियमित विचार सरकार द्वारा स्वीकृत विभागों के आधार पर ही किया जा सकेगा।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No.19

(श्री भीखाभाईजी)

(५) जी हां।

(६) शीघ्र ही।

डा० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : इस 'शीघ्र' के लिए कोई तिथि निश्चित की है आपने?

श्री **भीखाभाई** : जी नहीं, 'शीघ्र' के लिए कोई तारीख निश्चित नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

जोधपुर तहसील के जंगलात क्षेत्र मे आये हुए गांव

४३५. **श्री सूरजमल** (फलौदी-सु.) : क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जोधपुर तहसील के कौन से गांव जंगलात क्षेत्र में आये हुए हैं और कहां कहां पर जंगलात रेन्ज के हैड क्वार्टर्स और जंगलात की चौकियां हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

(२) क्या उक्त गांवों की जनता को जंगलात सरहद पर होने के कारण वन से जलाने की सूखी लकड़ी, खेती सम्बन्धित कार्य के लिये लकड़ी तथा पशु-भेड़, बकरी आदि चराने की सुविधा दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों की जनता से वन विभाग द्वारा पशु व भेड़-बकरी आदि की चराई की वसूली के अतिरिक्त घासमारी के नाम कुछ रकम वसूल की जाती है? यदि हां, तो प्रत्येक जानवर पर क्या क्या दर लगाई जाती है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) कोई गांव वन क्षेत्र में नहीं आये किन्तु जिन गांवों की वन सीमा वन क्षेत्र में सम्मिलित है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। रेन्ज हैड क्वार्टर्स और चौकियां भी सूची में बताई गई है।

(२) जी हां, सूखी गिरी पड़ी जलाऊ लकड़ी बरसात के मौसम के अलावा सिरबोझ से एक आना रायल्टी लेकर लाने दी जाती है। खेती के काम की लकड़ी जोधपुर तहसील के वनों में उपलब्ध नहीं है। मोतीसर और लालसागर ब्लाकों में गाय, बैल, भैंस और भैंसा साल भर मुफ्त चराते हैं। व्यास की बावडी, जोड़ ब्लाक में हर प्रकार के मवेशी मुफ्त चराते हैं। दूसरे ब्लाकों में नियत चराई देने पर गाय, भैंस और भेड़ बकरी चरती है। ग्राम पंचायतों को जोड़ का ठेका पिछले तीन साल की औसत आय पर दिया जाता है।

(३) जी नहीं।

श्री **शंकरलाल** (रायपुर) : यह जलाने की सूखी लकड़ी लाने के लिए सब जंगलों में सब जगह छूट है राजस्थान में, या केवल जोधपुर के लिए ऐसा है?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं। हर जंगल से सूखी लकड़ी सिरबोझ से लाई जा सकती है।

श्री सूरजमल : जोधपुर नगरपालिका के आसपास के क्षेत्र में भेड़, बकरी आदि की चराई के लिए वसूली नहीं करी जाती?

Page No.20

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Removing the hardships of the citizens of Sirohi of not getting power for all the 24 hours.

४३६. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही): Will the Minister for Electricity and Power Houses be pleased to answer :-

Whether the Government is aware of the hardships of the citizens of Sirohi by not getting power for all the 24 hours ? How long will it take now to remove this hardship ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री भीखाभाई) : The Government is aware that the Sirohi Power House is running for 16 Hours. The running of the Power House round the clock will depend poun the load Development in the area and installation of additional sets to meet it.

श्री मोहब्बतसिंह : When these additional sets will be installed ?

श्री भीखाभाई : I am sorry to inform the Hon'ble Member that the Power House at Sirohi is running at a loss and the Government of Rajasthan after taking over it, have made considerable improvement in it. Originally, it was running only for 8-9 Hours, now it is running for 16 hours. It has been reported by the Rajasthan Electricity Board that it is un-economic Power House and if the load does not increase, they will have to take other steps.

श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Is the Government aware that there is huge demand for fresh connections at Sirohi ?

श्री भीखाभाई : It is not so, because the Government proposes to instal 100 K. W. engine at Sirohi, provided the load increases. But the report says that the maximum load is only 66 K. W. between 7 and 8 P. M. and only 15 K. W. in the early hours of morning.

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

जोधपुर नगरपालिका में एक योग्य हरिजन को नीटरी इन्सपेक्टर के पद पर प्रमोशन देना

४३७. **श्री सूरजमल** (फलौदी-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :--

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर पालिका में नीटरी इन्सपेक्टर वर्ग के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो कितने और किन किन जातियों के तथा उनकी योग्यतायें क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त इन्सपेक्टरों में से किसी को हटाने से जगह खाली हुई है और एक हरिजन ने इस जगह के लिए नगरपालिका में प्रार्थना-पत्र पेश किया था ? यदि हां, तो कब और उनका नाम व योग्यता क्या थी ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रार्थी इस नगरपालिका में एक शिक्षित व योग्यता प्राप्त सफाई का कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी स्थिति में

Page No.21

(श्री सूरजमल)

उन्हें प्रमोशन द्वारा उक्त स्थान पर समानता की दृष्टि से पद देने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, स्वायत शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जो हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। इस जगह के लिये श्री बाबूलाल पुत्र श्री मालियाराम हरिजन ने दिनांक १६–१०–५९ को प्रार्थना पत्र दिया था। इनकी योग्यता: हिन्दी भाषा का कुछ ज्ञान है व झाड़ू वाला के पद पर कार्य करते थे।

(३) श्री बाबूलाल को दिनांक ३०-१०-५९ से प्रमोशन दिया जा चुका है और वे सेकिंड ग्रेड सेनिटरी इन्सपेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं। भविष्य में प्रमोशन के लिये राजस्थान म्यूनिसिपल सर्विस रूल्स बनने पर विचार किया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री सूरजमल : क्या यह सही है कि श्री बाबूलाल की सेकिंड ग्रेड इन्सपेक्टर के पद पर सरकार द्वारा नियुक्ति की गई है और वह आज भी उस पद पर कार्य कर रहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री सूरजमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं 'जी हां,' मैं कह रहा हूं कि आज तक वह अपने पद पर कार्य नहीं कर रहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगर कार्य नहीं कर रहा है तो यह उसकी गलती है।

श्री सूरजमल : जब सरकार उसे ड्यूटी पर लगावे तब ना ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जब उसको एक पद पर अपोइन्ट कर दिया गवर्नमेंट ने और उसे ड्यूटी पर नहीं लगाती है तो म्युनिसिपेलिटी का हर्जा होता है, उसको तनख्वाह का हर्जा नहीं हो सकता।

श्री सूरजमल : क्या यह सही है कि जिस दिन से इस पोस्ट पर लगाने के ऑर्डर जारी किये गये हैं उस दिन से उसकी तनख्वाह लगेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कायदे के माफिक यह होना चाहिए।

श्री सूरजमल : कायदे के माफिक नहीं, आप कहते हैं कि सरकार का हर्जा हो रहा है. उनका नहीं हो रहा है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जो कुछ कायदे से होता है. वह पांच- १० साल के बाद भी हो सकता है। मेरा निवेदन यह है कि यह हो सकता है कि तनख्वाह उसकी जेब में आज न आई हो। जिस दिन से आदेश होते हैं उस दिन से तनख्वाह मिलनी चाहिए।

श्री सूरजमल : सरकार को किस बात का हर्जा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : किसी बात का हर्जा नहीं है, कोई हर्जा नहीं हो रहा है।

Page No.22

श्री धर्मपाल पंवार (नोहर-सु.) : एक हरिजन को सेनिटरी इन्सपेक्टर बना दिया तो आपको क्या आपत्ति है ?

श्री सूरजमल : मैं तो उनके लिए ही पर्सनली पूछ रहा हूँ । वे तो हमारे भाई हैं ।

(हंसी)

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : समझने का फर्क है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सुगनचन्द जैन ।

चित्तौड़गढ़ जिले में एन्टी करप्शन विभाग में दर्ज मामलों पर कार्यवाही

४२८. **श्री सुगनचन्द जैन** (बेगू) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) चित्तौड़गढ़ जिले के सन् ५५ से आज तक एन्टी-करप्शन विभाग में किस किस के खिलाफ कौन कौन सी तारीख को मामले दर्ज हुए ? नामवर सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) जो मुकदमे दर्ज हुए, उनमें से कितने पेन्डिंग हैं और कितनों का चालान हुआ ? किन किन मुकदमों में सजा मिली और कौन से मुकदमे ऐसे हैं जिनकी कार्यवाही चल रही है ?

उप-मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, राजस्थान द्वारा चित्तौड़ जिले के जो अभियोग सन् १९५५ से अब तक पंजीबद्ध किये गये हैं उनकी संख्या २८ है ।

(२) उपरोक्त अभियोगों में से चार में सजा हुई तथा दो अभियोगों में मुलजिम बरी हुये, नौ अभियोग न्यायालय में विचाराधीन हैं । ६ अभियोगों में काफी सबूत न होने के कारण फाइनल रिपोर्ट दी गई तथा सात अभियोगों की तफतीश हो रही है ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : ये २८ मुकदमें दर्ज हुए इनमें से गजटेड आफिसर्स के मुकदमे कितने हैं ?

श्री भीखाभाई : यह सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । इसमें गजटेड आफिसर कोई नहीं, केवल एक तहसीलदार है । इसके अलावा कोई पटवारी, क्लर्क, अकाउन्टेन्ट आदि हैं ।

श्री सुगनचन्द जैन : मुझे सूची अभी नहीं मिली है । मैं सूचना केन्द्र पर जाकर आया हूं, मुझे सूची नहीं मिली ?

श्री भीखाभाई : अगर आप चाहते हैं तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूं । केवल २८ नम्बर हैं ।

श्री सुगनचन्द जैन : सूची मुझे मिल जाती तो उसके ऊपर...

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई ।

भूतपूर्व राज्य के समय पेशकार के पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी

४३१. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या भूतपूर्व राज्य के समय जो सरकारी कर्मचारी किसी विभाग में पेशकार

(श्री हीराभाई)

के पद पर कार्य कर रहे थे, जब प्रजातन्त्रीय राज्य हुआ तब उक्त कर्मचारियों का प्रथम श्रेणी से दूसरी श्रेणी पर तबादला किया गया एवं दूसरे विभाग में भी भेजा गया ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारियों के वेतन में कमी बेशी की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि जब प्रजातन्त्रीय राज्य कायम हुआ तथा राज्य सरकार ने यह निर्णय दिया था कि जिन कर्मचारियों को चाहे किसी विभाग में या प्रथम श्रेणी से दूसरी श्रेणी पद पर तबादला किया हो किन्तु वेतन में कमी-बेशी न की जा कर जो वेतन पहले वह पा रहा था उसी पद से वेतन देना निश्चित किया था ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की एडमिसिबिलिटी के लिए एतराज है, इसलिए आपके यहां वापिस रेफर किया है। उसकी एडमिसिबिलिटी मान लेते हैं तो मैं उत्तर दे सकता हूँ क्योंकि जो इन्फोर्मेशन मांगी है वह वेग है।

श्री अध्यक्ष : वेग होते हुए भी उत्तर दे सकते हैं, उस हिसाब से एडमिसिबिलिटी जज करें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, उसका उत्तर वेग आ सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप निश्चित तौर से बता दें कि किसके लिए पूछ रहे हैं नाम बतायें। आपने इसमें न नाम बताया है, न कुछ और बताया है।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री नियम बता दें।

श्री अध्यक्ष : नियम कई दफा बताया जा चुका है, इन्टीग्रेशन के नियम हैं।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नहीं सुना।

श्री अध्यक्ष : आप निश्चित तौर से बता दीजिये कि किसके बारे में पूछ रहे हैं ? तनख्वाह में कमी हुई है या बेशी हुई है, क्या हुई है ?

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री तुलिया शंकर पांडे पहले पेशकार थे, बाद में प्रजातन्त्रीय राज्य होने के बाद उसका तबादला हुआ। शिक्षा विभाग में। पहले वे ७५ रुपये पा रहे थे, शिक्षा विभाग में ५० रुपये हो गये।

श्री अध्यक्ष : किस साल की बात है ?

श्री हीराभाई : कोई १० साल की बात बात है, जब से प्रजातन्त्रीय राज्य हुआ तब से।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, उसके लिए माननीय मन्त्रीजी जांच करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने नोट कर लिया है।

(हंसी)

श्री सोहनलाल भटनागर।

भाखरा बांध के होइस्ट चेम्बर को हुई क्षति से राजस्थान को होने वाली हानि

४४०. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

भाखरा बांध के होइस्ट चैम्बर को क्षति पहुंचने से राजस्थान को क्या क्या व कितनी हानि हुई ?

उप-मन्त्री, सिचाई (श्री भीखाभाई) : जब तक कि भाखरा बांध के मरम्मत का काम समाप्त नहीं हो जाता यह नहीं कहा जा सकता कि कुल कितना हिस्सा देना पड़ेगा।

इस होइस्ट चैम्बर को क्षति पहुंचने से राजस्थान को जो इन सर्दियों में पानी मिलता था वह नहीं मिल सकेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर : इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या है; उसके पहुंचने में देरी होगी? वहां पर केल्कुलेट कर लिया गया है कि इतना लोस हो गया है, तो उसमें राजस्थान का कितना शेयर है, यह लोस केल्कुलेट नहीं किया जा सका ?

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज कर दिया कि जब तक यह मालूम नहीं हो जाता कि कितना क्या करना है, कितना खर्चा हुआ है तब तक राजस्थान का शेयर मालूम नहीं हो सकता। बिजली के बारे में अर्ज कर चुका हूं कि जो दो पॉवर हाउसेज़ हैं, उनसे मिल जायेगी। तीसरे के लिए तभ कह सकते हैं जब उसकी मरम्मत पूरी हो जायेगी।

श्री सोहनलाल भटनागर : जब पंजाब गवर्नमेंट को १-२ करोड़ की क्षति पहुंची है तो राजस्थान को मालूम नहीं हुआ कि कितनी क्षति होगी ?

श्री भीखाभाई : हमें पंजाब सरकार ने अभी तक लिखा नहीं है। अगर माननीय सदस्य उत्सुक हैं तो मैं कह सकता हूँ कि कल श्री प्रतापसिंह कैरों ने असेम्बली में बताया था, उसके सम्बन्ध में रेडियो न्यूज़ में आया है जो घाटा पहले बताया जाता है। उससे खर्चा अब बढ़ कर बताया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुगनचन्द जैन।

चित्तौड़ जिले की डाक्टर्स रहित डिस्पेन्सरीज़

४४१. **श्री सुगनचन्द जैन** (बेगूं) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चित्तौड़ जिले में कितनी डिस्पेन्सरीज हैं और क्या उन सब में ही डाक्टर मौजूद हैं ? यदि नहीं, तो कौन सी डिस्पेन्सरी ऐसी है जिसमें चार साल या इससे अधिक समय से डाक्टर नहीं है ?

(२) वहां अब तक डाक्टर्स नहीं रहने के क्या कारण हैं और अब कब तक वहां डाक्टर्स पहुंच जावेंगे ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : (१) चित्तौड़ जिले में १८ डिस्पेन्सरियां हैं जिनमें केवल दलोद डिस्पेन्सरी में ४ साल से या इससे अधिक समय से डाक्टर नहीं है। अब वहां डाक्टर की नियुक्ति कर दी गई है।

(२) डाक्टरों की नियुक्ति समय समय पर उपलब्ध होने पर की जाती है, परन्तु वहां कोई कार्यभार नहीं सम्भालता। डा० ए० के० विश्वास की नियुक्ति इस डिस्पेन्सरी के लिये की जा चुकी है परन्तु उन्होंने अभी तक

(श्री भीखाभाई)

कार्यभार नहीं सम्भाला है । आशा है वे वहां शीघ्र पहुंच जायेंगे ।

श्री सुगनचन्द जैन : ४ साल से डाक्टर वहां नहीं जाने का क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : इसलिये कि डाक्टर मिलते नहीं हैं, जगह ही ऐसी है वर्ना १७ डिस्पेन्सरीज चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में थी कोई न कोई डाक्टर पहुंच गया, पर यह जगह ऐसी है कि जिस डाक्टर की नियुक्ति करते हैं वही नहीं जाता है ।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : प्रश्न पूछने के बाद डाक्टर ज्यादा पैदा हो गये क्या ?

(हंसी)

श्री भीखाभाई : ज्यादा पैदा होने का सवाल नहीं । पहले भी नियुक्तियां की हैं पर वहां डाक्टर गये नहीं ।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : नियुक्त होने के बाद डाक्टर क्यों नहीं जाते हैं ?

श्री भीखाभाई : यह तो उनकी मर्जी पर है, कोई नौकरी नहीं करना चाहे तो नहीं जाता । १५० डाक्टरों का रिक्रूटमेंट किया पर मुश्किल से ५० ने ज्वाइन किया । रूरल अलाउन्स और हर प्रकार की सुविधा देने के बाद भी डाक्टर नहीं गया तो मजबूरी की बात है । फिर भी राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है ।

श्री मनोहर कोठारी : जिन डाक्टरों की नियुक्ति की और वहां नहीं गये उनको सरकार राजस्थान सर्विस में लेती है क्या ?

श्री भीखाभाई : हमारे यहां डाक्टरों की आलरेडी कमी है, वेस्ट बंगाल से रिक्रूट करके पूर्ति की गई उनको नियुक्ति दी तो वे नहीं पहुंचे ।

एक माननीय सदस्य : जब सरकार महसूस कर रही है कि डाक्टरों की कमी है तो नई डिस्पेन्सरीज क्यों खोल रही है ?

(हंसी)

श्री शंकरलाल (रायपुर) : राजस्थान में कितने डाक्टरों की कमी है ?

श्री भीखाभाई : इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है, इस समय आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

डा० चन्द्रकला : एक बार नियुक्ति करने के बाद डाक्टर उस जगह नहीं जाते हैं तो उनको दुबारा राजस्थान सर्विस में क्यों लिया जाता है ?

श्री भीखाभाई : इसलिये कि पहले से ही डाक्टरों की कमी है, उनको निकाल दिया तो और ज्यादा कमी हो जायेगी ?

श्री सुगनचन्द जैन : ये डाक्टर साहब भी वहां रहेंगे कि नहीं ?

श्री भीखाभाई : मैं उनसे मिल नहीं पाया हूं ।

(हंसी)

श्री सुगनचन्द जैन : किन किन डाक्टरों की नियुक्ति हुई और कौन कौन नहीं गये ?

श्री भीखाभाई : इसका उत्तर मैं दे चुका हूं ।

Page No.26

श्री सुगनचन्द जैन : ४ साल वहां डाक्टर नहीं पहुंच रहा है यह बड़ी शर्म की बात है। जहां २० साल से डिस्पेन्सरी चल रही है वहां चार साल से डाक्टर भेजने के लिये उचित व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य गम्भीरता प्रकट कर रहे हैं, इस प्रश्न की गम्भीरता को मैं महसूस करता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे परामर्श कर चुका हूं। अब जल्दी ही डाक्टर पहुंच जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सुगनचन्द जैन : जिन डाक्टर की नियुक्ति की है उनका क्या नाम है और कब तक पहुंच जायेंगे ?

एक माननीय सदस्य : जल्दी ही पहुँच जायेंगे।

जोधपुर से सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) के निष्पादन अभियन्ता के कार्यालय का वितर्तन

४४२. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minister for P. W. D. be pleased to answer :—

Whether the Government contemplates to shift the Office of the Executive Engineer, District Division South, B. &R., P. W. D., Jodhpur which controls Sirohi, Pali and Jalore Districts with Head quarters at Jodhpur ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : The proposal is being processed in the Office of the Chief Engineer, B. & R., Public Works Department, Rajasthan, Jaipur.

श्री शकरलाल (रायपुर) : क्या इसका पाली में स्थानान्तरण करने का प्रपोजल साथ में है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक इन्जीनियर जो तीन जगह -सिरोही, पाली और जालोर को कन्ट्रोल करता है यह भी देखते हैं कि हर एक चाहता है कि हमारे यहां रहना चाहिये।

श्री मोहब्बतसिंह : सर्कुलर के तहत तीनों जगहों में से एक जगह रहना चाहिये। फिर जोधपुर में ही है, यह क्यों है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : झगड़ा है इसलिये।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या यह सही है कि फिफ्थ सेमिनार में डिविजन से लेकर सर्कुलर दिया गया था कि तीनों जगहों में से एक जगह रहना चाहिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डिविजन तो नहीं कह सकते। सेमिनार में राय दी है कि तीनों जिलों का कन्ट्रोल करता है वह तीनों जिलों में से एक जगह रहना चाहिये। पर साथ ही यह भी है कि सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर के साथ एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर रहता है और सारी सुविधाएं जहां मिलती हों वहां रहने से और अच्छी तरह काम चल सकता है। वैसे जोधपुर में रहने से तीनों जगह जा सकता है और ठीक तरह से काम चल रहा है। तीनों जगह वाले चाहते हैं कि हमारे यहां आना चाहिये। चीफ इन्जीनियर साहब सोच रहे हैं कि किस जगह ले जाया जाय।

श्री अध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

झोटवाडे से कालवाड़–पचार तक रोड़ तैयार करवाना

Page No.27

४४३. **रावल श्री नरेन्द्रसिंह** (दूदू) :

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

क्या झोटवाड़े से कालवाड़ पचार तक रोड तैयार हो गई है? क्या सरकार को विदित है कि कालख बन्ध की जयपुर से दूरी जोबनेर व फुलेरा को सड़क द्वारा जुड़ने पर आधी रह जाती है? यदि हां, तो यह काम कब तक हाथ में लिया जावेगा?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी नहीं। कालवाड़ तक सड़क का कार्य चालू है बाकी कालवाड़ से पचार तक का कार्य अभी किसी योजना में स्वीकृत नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायेगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इसकी अत्यन्त आवश्यकता इसलिये है कि फुलेरा से जोबनेर कालख तक २५–३० मील का टुकड़ा कर देते हैं तो दूरी कम हो जाती है और यातायात में और सरलता हो जाती है। इसकी त्वरा हो तो ज्यादा ठीक होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य का सुझाव तो वास्तव में काफी अच्छा है, पर इस पर अमल करने के लिये पैसा नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो नजर आता नहीं, अतः तृतीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

पुलिस हिरासत में थानों में मारे गये व्यक्ति

४४४. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) सन् ५७–५८ से लेकर अब तक पुलिस हिरासत में किस किस थाने में कौन कौन व्यक्ति मारे गये और कब कब?

(२) ऐसे मामलों की जांच किन किन अधिकारियों द्वारा की गई तथा उनका क्या क्या परिणाम हुआ?

(३) इन मामलों में क्या कोई पुलिस अधिकारी भी मुअत्तिल हुए हैं? यदि हां, तो कौन कौन और कब कब?

उप-मन्त्री (श्री भीखाभाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरअसल उसमें काफी सामग्री की जरूरत है, उसकी जानकारी विभाग से प्राप्त नहीं हो सकी है?

श्री भैरोंसिंह : इसकी सूचना पहले आ गई?

श्री अध्यक्ष : आ गई है पर बहुत ज्यादा है; विशेष तौर से पूछें तो बतायें।

श्री भैरोंसिंह : 'बहुत ज्यादा' से मतलब क्या यह है कि ज्यादा मारे गये हैं? यही बता दें कि कितने मारे गये हैं?

(हंसी)

श्री धर्मपाल पंवार (नोहर-सु०) : ताले में बन्द करके कितने मारे गये?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

जयपुर इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा बसाई गई बस्तियां

४४५. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.28

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री)

(१) जयपुर अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा कहां कहां नई बस्तियां बसाई गई हैं ?

(२) अशोकनगर, बनी पार्क, आदर्श नगर, बापूनगर, गांधीनगर, बजाज नगर एवं हरिजन बस्ती इन कालोनीज में आम पब्लिक के पानी पीने के लिये कहां कहां तथा कितने कितने सार्वजनिक नल लगाये गये ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) अब कब तक नल लगा दिये जावेंगे ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) नगर विकास मंडल, जयपुर ने शहर के बाहर न्यू कालोनी, अशोक नगर, बनी पार्क, लेबर कालोनी, बापूनगर, आदर्श नगर, बजाज नगर आदि अनेक नई बस्तियां बसाई हैं।

(२) इन योजनाओं में जनता अथवा राहगीरों के लिये कोई सार्वजनिक नल मंडल द्वारा नहीं लगाया गया है।

(३) इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि विकसित क्षेत्रों में सभी लोगों को अपने मकानों में नल लगवाना आवश्यक होता है।

(४) ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : राहगीरों के लिये यह नहीं बताया कि प्यास लगने पर कौन से बंगले में घुस कर पानी पिये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जहां नल नहीं होता है जनता प्याऊ लगवाती है, प्याऊ की व्यवस्था की जाय।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : इसके लिये तो बोर्ड को व्यवस्था करनी चाहिये कि इतनी बड़ी बस्ती बसाई जाती है तो प्यासे राहगीरों के लिये पानी पीने को नल लगाया जाय।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जो आबादी नई बनती है उसके लिये लाजिमी है कि हर एक अपने मकान में पानी का कनेक्शन ले।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : बहुत से गरीब आदमी ऐसे हैं कि एक रुपया गज पर जमीनें ली हैं वे ५००) रुपया लगा कर नल अपने मकान में कैसे लें ? एक आदमी रास्ते में जा रहा है उसको प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिये किसके बंगले में घुसे, क्या जबर्दस्ती किसी के बंगले में घुस जाये और पानी पिये ? शहर में जगह जगह नल हैं, राजा-महाराजाओं के जमाने में यहां बाजार में बहुत से नल लगाये गये हैं फिर वहां क्यों नहीं लगाये जाते ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बाजार में तो हर घर में नल नहीं था इसलिये पब्लिक टेप लगाये, पर नई बस्तियां अच्छी और आदर्श बस्तियां हैं, वहां यह अच्छा नहीं लगता कि लोग सुबह ही उठ कर बाल्टियां लेकर नल पर जायें और वहां हंगामा मचे। स्वतन्त्र नागरिक के लिये यह अच्छा नहीं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मेरा प्रश्न अलग है। चलते राहगीर को पानी पीने के लिये किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमारे यहां पुरानी परम्पराएं हैं कि प्याऊ लगाने वाला सीधा स्वर्ग में जाता है। नल का गर्म पानी समय बेसमय मिले. इससे तो अच्छा है कि प्याऊ का ठंडा पानी पिलाया जाय।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या बोर्ड ने प्याऊ लगाने की कोई व्यवस्था की है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने पहले ही निवेदन किया कि प्याऊ लगाने वाला सीधा स्वर्ग में जाता है प्याऊ की व्यवस्था उन्हीं लोगों को करनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : बोर्ड वाले कहां जायेंगे ?

(हंसी)

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) **:** बोर्ड जगह बता दे तो अच्छा है; वहां प्याऊ की गुंजाइश नहीं। बड़ी बस्तियों में प्यासे राहगीरों के लिये और जानवरों के पीने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके लिये अगर फर्मायें तो अलग जमीन अलॉट करने की व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड असेस लेता है। इसका मतलब यह है कि वह सार्वजनिक नल भी लगाए। इसके लिये जरूर इन्तजाम होना चाहिये कि थोड़ी थोड़ी दूर पर जहां पर वह उपयुक्त समझे सार्वजनिक नल लगावे। यह थोड़े से पैसों का मामला है।

श्री अध्यक्ष : यह पैसों का प्रश्न नहीं है। माननीय मन्त्री ने कहा कि स्कीम उन्होंने ऐसी बनाई है कि हर एक आदमी को लाजिमी होगा कि वह घर में पानी का नल लगाए। ऐसी अच्छी स्कीम उन्होंने बनाई है।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) **:** सार्वजनिक नल नहीं होगा तो राह चलने वाला किसके घर में पानी पीने के लिये जायेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पानी पिलाने के लिये मटकियां रखे ताकि ठंडा पानी लोगों को मिले और यह काम पब्लिक करती है न कि कोई म्यूनिसिपल बोर्ड करता है यह म्यूनिसिपल बोर्ड का कर्त्तव्य नहीं है कि जगह जगह पर प्याऊ चलावे। यह तो पब्लिक का कर्त्तव्य है।

डा० चन्द्रकला : यह प्याऊ का प्रश्न नहीं है यह सार्वजनिक नल लगाने की बात है; सार्वजनिक नल तो लगाते है ? शहर में भी जगह जगह लगे हुए हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : शहर में सब घरों में नल की व्यवस्था नहीं है। मगर यहां पर सभी घरों में पानी की व्यवस्था की गई है कि वे नल लगावें।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : जो यह लाइन डाली है उसका खर्चा किसने दिया है ? अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने दिया है ....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मूलचन्द डागा।

१२. ८ म० प०

Page No.30

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

४४६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान में आर्टीफिशियल (Artificial Insemination Centres.) इन्सेमिनेशन सेन्टर्स कितने तथा कहां कहां है और इनमें से प्रत्येक पर कितना कितना खर्चा पड़ता है ? सूची सदन की मेज पर रखें । आज तक कितने कृत्रिम गर्भाधान सफल हो चुके हैं ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण): कुल ३४ ए० आई० सेन्टर्स हैं जिनमें १४ की विलेज के, १८ सी० डी० ब्लॉक के तथा २ अर्बन ए० आई० सेन्टर हैं । सूची संलग्न है । प्रत्येक की विलेज सेन्टर पर पिछले साल लगभग औसतन रु० ३१,०००) खर्च हुआ तथा अर्बन ए. आइ सेन्टर पर लगभग औसतन ८०००)रू० खर्च हुआ तथा सी० डी० ब्लॉक्स, ए० आई० सेन्टर पर लगभग ६०००) रु० खर्च हुआ ।

५.४ प्रतिशत ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

स्थगित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास

राज्य में रेल्वे का विस्तार

११०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) राज्य में रेल्वे के विस्तार के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने किन किन योजनाओं को क्रियान्वित करवाने के लिये केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है ?

(२) क्या उक्त योजनाओं में पोकरण से जैसलमेर तक रेल्वे लाइन ले जाने की भी कोई योजना सम्मिलित है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी होगी ?

(३) राजस्थान बनने के बाद कहां कहां पर कुल कितने मील लम्बी रेल्वे लाइन डाली गई ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी है । १३६ मील मीटर गेज रेलवे लाइन उदयपुर से हिम्मतनगर का निर्माण आदरणीय रेल मंत्री ने स्वीकृत कर दिया है, जिसके निर्माण का मामला प्लानिंग कमीशन के विचाराधीन है ।

(२) फिलहाल कोई स्कीम नहीं है ।

(३) निम्नलिखित नई रेलवे लाइनें राजस्थान में डाली गई :-

(अ) फतेहपुर (शेखावाटी)—चुरू रेलवे लाइन २६.९३ मील ।

(ब) भिलडी—रानीवाड़ा रेलवे लाइन ४३. ६१ मील केवल यात्रियों के लिये ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या यह रानीवाड़ा से सांचोर की रेलवे लाइन की सिफारिश की गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिन जिन की रिकमन्डेशन की गई है उनकी सूची दी गई है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : बीकानेर से जैसलमेर तक लाइन के लिये........

श्री अध्यक्ष : आप लिस्ट देख लें।

मुरलीधर व्यास : लिस्ट मिली नहीं है।

एक माननीय सदस्य : पढ़ कर सुना दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : छोटी सी लिस्ट है आप देख लें।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में देख लें

श्री मुरलीधर व्यास : क्या राजस्थान सरकार राजस्थान में रेलवे लाइन कहां कहां पर होनी चाहिये इसके लिये केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, करती है

श्री मुरलीधर व्यास : आपके रिकमन्डेशन का क्या आधार होता है ? जहां पर रेल्वे लाइन नहीं होती है वहां के लिये रिकमन्ड करते है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आधार तो यही है कि वहां पर इन्डस्ट्रियल डवेलपमेंट हों, खानें हों, एग्रीकल्चरल डवेलपमेंट हो और उस इलाके के लोगों की मांग हों तो उनकी लिस्ट भेज देते हैं। मैंने जैसे कहा है २१ आइटम की लिस्ट गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा आपने ऊपर कहा है कि इन्डस्ट्रीज के डवेलप होने की बात हों, खानें हों या दूसरे साधन हों तो जैसलमेर से पोकरण तक पेट्रोल और दूसरे पदार्थ की आप बातें करते हैं

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो पेट्रोलियम की बात हो रही है। जब कभी जाकर निकलेगा तब १०, १५ साल में यह तय होगा उस समय तक लाइन हो जावेगी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या जयपुर को ब्रोड गेज से मिलाने की स्कीम है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

एक माननीय सदस्य : क्या भरतपुर में कोई नई योजना रखी है ?

श्री मुरलीधर व्यास : जैसलमेर से पोकरण तक सबसे बड़ा लम्बा इलाका था। जिस पर रेल्वे लाइन नहीं ....

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : रेलवे लाइन कहीं भी जब खोली जाती है तो रेलवे बोर्ड और प्लानिंग कमीशन इस बात पर सोचते हैं कि रेलवे लाइन खुलने से वहां पर रिटर्न कितना होनेवाला है। उसको रेलवे लाइन खोलते समय मुख्यत: ध्यान में रखते हैं। माननीय सदस्य जैसलमेर से पोकरण तक कितनी रिटर्न की संभावना करते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : जिस समय यह प्रश्न पार्लियामेन्ट में उठा तो यह कहा गया कि राज्य सरकार ने सिफारिश नहीं की। इस लिये वहां रेलवे लाइन नहीं बनी। यह इसका ही कारण है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि राजस्थान केनाल की प्रगति होने के बाद इसको लेने की आवश्यकता थी। अगर इसके पहले सरकार कोई कदम उठाती तो कामयाबी नहीं हो सकती। पहले कहा तो रिजेक्ट कर दिया गया।

Page No.32

श्री मुरलीधर व्यास : अब तो क्लीयर पिक्चर हो गई है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

सरकार द्वारा सन् १९५२ से आज तक भंग की जानेवाली नगरपालिकायें

१९५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे।

(१) सरकार ने सन् १९५२ से लेकर अब तक कुल कितनी नगरपालिकाओं को भंग किया ? जिन जिन नगरपालिकाओं को भंग किया गया, उनको भंग करने के कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) जो नगरपालिकाएं भंग की गई वे कौन कौन से दल की थीं ?

उप-मंत्री स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द विश्नोई) :(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। कुल ४६ हैं।

(२) दल सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है।.

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो यही जानना चाहता था और यह कहा जाता है कि हमारे पास में सूचना उपलब्ध नहीं है। अगली टर्न पर भी यही कहा गया था और अब भी यही कहा गया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अवधि से पहले एक म्यूनिसिपेलिटी समाप्त की गई और वह थी नापासर और वह कांग्रेस पार्टी की थी।

दूसरी, चुनाव सेट एसाइड होने के कारण जो भंग की गई वे १३ थीं।

२ थी जिनको नये एक्ट के अनुसार एड्हॉक कमेटी के स्थान पर सरकार द्वारा प्रशासक की नियुक्ति हुई थी उनको भंग की गई।

२ जयपुर और जोबनेर की थीं जो सदस्यों द्वारा त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर सरकार द्वारा भंग की गई।

नापासर की थी उसको भंग किया गया वह इसलिये कि काम करने में अनियमिततायें पाई गई थीं। वह कांग्रेस पार्टी की थी।

दूसरी २८ हैं जिनकी अवधि समाप्त हो गई थी इसलिये भंग की गई और उनकी अवधि नहीं बढ़ाई गई। हमने किसी दल विशेष की नगरपालिका को भंग किया तो वह थी नापासर की जो कांग्रेस पार्टी की थी।

श्री मुरलीधर व्यास : देवली की नगरपालिका को क्यों भंग किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसकी अवधि समाप्त हो गई थी इसलिये भंग किया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : उसको एक्सटेन्शन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक्सटेन्शन नहीं दिया गया। सरकार उचित समझे तो एक्सटेन्शन दे। सरकार ने यह समझा हो कि काम बहुत अच्छा नहीं रहा है इसलिये दुबारा इलेक्शन कराये जायें।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : कई कई जगह ७ - ७ महीने से आगे की अवधि बढ़ाई गई है और एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है, वहां नये चुनाव के लिये तैयारी नहीं हो रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसी दर्मियान नया एक्ट आया है इसके अनुसार वार्ड आदि बनाने और पिछड़ी हुई जाति के लोगों के अलग वार्ड और लिस्ट आदि में समय लगता ही है। कानून बदलने की वजह से भी देरी होती है।

श्री मनोहर कोठारी : कितने समय बाद चुनाव होने की सम्भावना है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : चार, पांच महीने तो यों ही लग जाते हैं। वार्ड बनाते हैं। ऑब्जेक्शन होता है लिस्टें बनती हैं उन सब में समय तो लगता ही है। तीन-चार महीने तो यों ही लग जाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मियाद समाप्त होने के बाद जो नगरपालिकायें भंग की गई वे सब विरोधी दल की होने से भंग की गई और जिन नगरपालिकाओं में विरोधी दल के लोग थे उनको एक दिन भी बर्दाश्त नहीं किया; जब कि दूसरी नगरपालिकायें जिनमें विरोधी दल का बहुमत नहीं था उनको एक-एक दो-दो साल तक भी चलते रहने दिया गया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह कहना ठीक नहीं है कि उनको चलते रहने दिया गया। नाथद्वारा नगरपालिका में कांग्रेस का बहुमत था उसको भी भंग कर दिया।

(हंसी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला झुंझुनू के विकास खण्ड तथा शेडो विकास खण्ड

३४ श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनू) क्या मन्त्री, सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का देने की कृपा करेंगे :–

(क) झुंझुनूं जिले में कितने विकास खण्ड व शेडो विकास खण्ड हैं ? उन शेडो विकास खण्डों में कब से काम चालू हो जायेगा ?

(ख) प्रत्येक विकास खण्ड में कितनी सहकारी समितियां व सेवा सहकारी समितियां हैं व उनका निर्माण कब कब हुआ है ?

(ग) उपरोक्त विकास खण्डों में इन सहकारी समितियों को कब कब और कितनी कितनी सरकारी सहायता प्राप्त होती रहीं है ? कृपया उसकी विस्तृत तालिका देने का कष्ट करें ?

(घ) क्या इन सहकारी समितियों का हिसाब-किताब भी ऑडिट किया जाता है ? यदि हां, तो झुंझुनूं विकास खण्ड की सहकारी समितियों का हिसाब कब कब आंका गया ?

(ज) झुंझुनूं नगर में कुल कितनी सहकारी समितियां व सेवा सहकारी समितियां काम कर रही हैं और उन्हें क्या क्या सहायता राज्य की ओर से दी गई है ? सूची व सहायता के आंकड़ों की तालिका कृपया सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(झ) जिला झुंझुनूं में कितनी सहकारी समितियों व सेवा सहकारी-समितियोंकी

Page No.34

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

दर्ख्वास्तें विचाराधीन हैं ? उनके नाम व पते सहित पूर्ण विवरण दें।

उत्तर—

(१) झुंझुनूं जिले में निम्न प्रकार चार विकास खण्ड व चार शेडो विकास खण्ड हैं जिनके चालू होने की तारीखें उनके सामने दे दी गई हैं :-

विकास खण्ड

(१)	उदयपुर घाटी	२-४-५६
(२)	सूरजगढ़	२-५-५७
(३)	चिड़ावा	२-५-५७
(४)	नवलगढ़	२-१०-५७

शेडो विकास खण्ड

(१)	झुंझुनूं	२-१०-५६
(२)	अलसीसर	२-१०-५६
(३)	भुवाना	२-१०-५६
(४)	खेतड़ी	२-१०-५६

(२) इसका उत्तर संलग्न सूची परिशिष्ट (क) में दे दिया गया है।

(३) इसका भी उत्तर संलग्न सूची परिशिष्ट में (क) दे दिया गया है।

(४) जी हां, इन समितियों के हिसाब-किताब का ऑडिट किया जाता है। झुंझुनूं विकास खण्ड की सहकारी समितियों के हिसाब आंकने का समय संलग्न सूची परिशिष्ट (ख) में दिया हुआ है।

(५) झुंझुनूं नगर में ५ सहकारी समितियां हैं। इनको राज्य की ओर से जो सहायता दी गई से उसका उल्लेख संलग्न सूची परिशिष्ट(ग) में दे दिया गया है जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(६) एक भी दर्ख्वास्त विचाराधीन नहीं है। अतः नाम व पते देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजस्थान जल बोर्ड की प्रगति-रिपोर्ट

५. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रकार का उत्तर देंगे :-

(क) क्या राजस्थान जल बोर्ड की प्रगति की रिपोर्ट तैयार की गई है ? अगर हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

(ख) क्या यह सही है कि जल बोर्ड के अकाउन्ट का ऑडिट हो चुका है ? अगर हां, तो किसके द्वारा और कब से कब तक के आंकड़े तैयार हैं ? डिस्ट्रिक्ट वाईज व व ग्राम वाइज आंकड़े सदन की मेज पर पर रखने की कृपा करें।

(क) (ख) में दर्ज रिपोर्ट के अलावा और कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है।

(ख) हां। अकाउन्टेन्ट जनरल राजस्थान द्वारा १९५५-५६ एवं १९५६-५७ के वर्ष के हिसाबों का ऑडिटिंग किया गया है व एग्जामिनर लोकल फंड ऑडिट द्वारा भी इन्हीं दो वर्षों के हिसाबी बात का ऑडिटिंग हुआ है— इन दो वर्षों में रूरल वाटर सप्लाई, नेशनल वाटर सप्लाई व सेनीटेशन वाटर सप्लाई योजना में मिली हुई राशि शामिल है। उपरोक्त समय के ऑडिट किये हुए आंकड़े तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट वाईज व ग्राम वाईज आंकड़े तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२. ११. म० प०

Page No.35

विधायी कार्य

पुरःस्थापित होने वाला विधेयक

राजस्थान प्रमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ़-रेन्ट एन्ड एविक्शन) अमेन्डमेन्ट बिल,-१९५९ ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करने के लिए प्रार्थना करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : लैंड कमीशन की रिपोर्ट ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड रिफार्म्स एन्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (बारहवां संशोधन) विधेयक, १९५९ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : इसको बाद में लेगे ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) I have got my amendment, Sir.

डॉ० चद्रकला (किशनपोल बाजार,जयपुर) : कल लिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : आज ही लेंगे लेकिन इसके बाद ।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

राज्य के भूमि आयोग का प्रतिवेदन

श्री मोहनलाल सुखाड़िया(मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेट लैंड कमीशन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं ।

(करतलध्वनि)

इस लैंड कमीशन की रिपोर्ट के पहले इस समय सदन में इतना कह देना पर्याप्त होगा कि प्लानिंग कमीशन ने लैंड रिफार्म्स के बारे में हमारे सामने जो उद्देश्य रखा था, राजस्थान के अन्दर इस सदन ने अभी सीलिंग बिल पास किया उसके बाद करीब करीब लैंड रिफार्म्स के जो बड़े लक्ष्य थे उनको हमने पूरा कर लिया है और........

(करतलध्वनि)

प्लानिंग कमीशन की जो एक दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि लैंड रिफार्म्स के बारे में जो कुछ हमने पास किया और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है उसके ऊपर भी विचार किया जाय और लैंड मैनेजमेंट की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये, इस दृष्टि से लैंड कमीशन मुकर्रर किया गया और उसकी रिपोर्ट मैंने सदन के सम्मुख प्रस्तुत की है ।

संविधान (अष्टम संशोधन) विधेयक, १९५९, पर सरकारी संकल्प

श्री अध्यक्ष : सरकारी संकल्प ।

१२. १३. म० प०

Page No.36

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ :

"That this House ratifies the amendment to Article 334 of the Constitution of India proposed to be made by the Constitution (Eighth Amendment) Bill, 1959, as passed by the Two Houses of Parliament."

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने संविधान में किये जाने वाले संशोधन का प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इस विषय के पक्ष में बोलना और इस विषय के विपक्ष में बोलना दोनों ही इस प्रकार की मिसालें हैं कि जिनसे भविष्य में संकट की आशंका की जा सकती है।

(हंसी)

लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि यदि वास्तविकता की बातें सदन में प्रस्तुत करने के कारण व्यक्तिगत संकट भी कोई आता है तो उसका स्वागत ही करना चाहिये।

(हीयर, हीयर की आवाज)

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : Sometimes it is better to keep silence than to speak.

श्री भैरोंसिंह : That is for you.

(हंसी)

सबसे पहली बार जब संविधान में इस प्रकार का प्रावधान रखने के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी उस समय हमारे सब के सामने यह एक परिस्थिति थी कि हमारे समाज का वह अंग जो अब तक पिछड़ा हुआ रहा है, जिसका अब तक शोषण हुआ है और जो शोषण के कारण उतनी प्रगति नहीं कर सकता है जितनी प्रगति आवश्यक थी, ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम उनको कानूनन संरक्षण प्राप्त करवा सकें। उस समय हमने समय निर्धारित किया और उसमें १० वर्ष की व्यवस्था रखी। वे दस वर्ष २६ जनवरी, सन् १६६० को समाप्त होते हैं इसलिए फिर इस बात की आवश्यकता हुई कि इस १० वर्ष की अवधि में वृद्धि की जाय। सरकारी संकल्प के अनुसार इस अवधि के अन्दर १० वर्ष की वृद्धि की जा रही है। अभी अभी पिछले दिनों के अन्दर उन कमीशन्स की कई रिपोर्ट्स देखी हैं जिनमें शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में सरकार ने उनके उत्थान के विषय में क्या क्या कदम उठाये हैं और ऐसे कदमों का प्रभाव उनके उत्थान के ऊपर किस हद तक पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो भी इस सम्बन्ध में सरकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, सरकार को भविष्य में क्या करना चाहिये इस बारे में जो आगाही दी है यदि मैं उन सब बातों का विवेचन करूंगा तो शायद कुछ समय लग जाय लेकिन उन्होंने पेज १२० के ऊपर एक जो वाक्य लिखा है मैं उसको सदन में पढ़ कर सुनाना चाहूँगा। उसमें लिखा है :

"Our aim is to have a classless Society and we cannot continue for ever classifying people according to caste and class affiliations.

मैं समझता हूँ कि जिन कमीशनर्स ने इस सारे मामले को स्टेडी करने के बाद जो हमारी सरकार की सलाह के लिए एक वाक्य का प्रयोग किया है

(श्री भैरोंसिंह)

वह हमें इस बात का संकेत करता है कि यदि इस प्रकार के रिज़र्वेशन्स से हमारे समाज के अन्दर जो हम एक प्रकार की भावना का निर्माण करना चाहते हैं—क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं, उसमें यदि इसके कारण से कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है तो हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हम जिस मूल ध्येय की ओर जाने वाले थे उसमें कोई रुकावट तो नहीं पैदा हो रही है।

आज इस रिजर्वेशन के बाद, पहले यह बात सही थी कि जितनी भी बैकवर्ड क्लासेज थीं जिनको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं किसी को मेहतर, किसी को चमार, किसी को अन्य जाति के नाम से संबोधित करते हैं लेकिन जब से रिजर्वेशन हुआ है उससे तो इतनी प्रगति हुई है कि जहां क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य इस प्रकार के तीन वर्ण थे वहां इन जातियों को भी सामूहिक रूप से हरिजन जाति कह कर पुकारते हैं और आज इस प्रगति को ही प्रगति मान कर चलें तो इसके लिये कोई आर्गुमेंट नहीं है। लेकिन हमें इसके पीछे इतिहास को देखना पड़ेगा। हमारी सरकार ने इनकी सहायता के लिये काफी प्रावधान रखा है, काफी पैसा खर्च किया है और आगे भी खर्च करने के लिये प्रावधान है लेकिन आज भी सरकार यह नहीं कह सकती कि जिस हरिजन जाति का अपलिफ्टमेंट करने जा रहे हैं, क्लासलैस सोसाइटी का निर्माण करने जा रहे हैं, उसका प्रादुर्भाव हरिजन जातियों में हुआ या नहीं; यह नहीं कह सकते। चमार की शादी मेहतर से नहीं हो सकती, मेहतर सांसी से शादी नहीं कर सकता, सांसी कन्जर से शादी नहीं कर सकता। जितने मतभेद पहले इन जातियों में थे उतने मतभेद आज भी विद्यमान हैं। उसमें किसी प्रकार की कमी आई हो, यह नहीं कहा जा सकता। यह मैं मानता हूँ कि हरिजन क्लासेज के अन्दर कई प्रकार की प्रगति होती जा रही है। लेकिन वह प्रगति कुछ लोगों तक सीमित है, उसको देखते हुए आज हम यह कहें कि २० विधान सभाई सदस्य आ जाने से या कुछ हरिजन सदस्यों के पार्लियामेंट में बैठने से ऐसे लोगों की प्रगति हो जायेगी, यह मैं नहीं मान सकता। वास्तव में जो डिप्रेस्ड क्लासेज हैं जिनका एक्सप्लोइटेशन होता है उनके लिये आज हम चाहते हैं कि उन क्लासेज की तरक्की होनी चाहिये। मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से पार्लियामेंट की सीट्स या असेम्बली की सीट्स पर आ जाने के लिये रिजर्वेशन रखते हैं तो कोई किसी भी प्रकार की तरक्की नहीं होने वाली है। ऐसी स्थिति के अन्दर हमें डेमोक्रेसी के मूल तत्व पर विचार करना होगा....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): यह आप एक्सटेन्शन के खिलाफ बोल रहे हैं या पक्ष में ?

श्री भैरोंसिंह: आप सुनते जाइये और अन्दाज लगाते जाइये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आप यह तो बतलाइये कि आप पक्ष में कह रहे हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह: मैं आपके कहने से तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हू वह सुनते जाइये....

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री): आपकी भावना तो विरोधी है, लेकिन शब्द और हैं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : आप जो कुछ अन्दाज लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमें आज आवश्यकता इस बात की थी कि हम गरीबों का उत्थान करें, आवश्यकता इस बात की नहीं कि विशेष जाति का उत्थान करें। आज समाज के सामने जो मोटा संकट है वह है कि गरीबों का उत्थान किस प्रकार से किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि मेरे इस कथन से शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स के लोग नाराज नहीं होंगे, कि उनकी जाति में कई व्यक्ति मिल ओनर्स हैं, बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज के मालिक हैं, जिनके बच्चे सेन्ट जेवियर में पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी स्कूलों के अन्दर पढ़ते हैं, उन लोगों के लिये रिज़र्वेशन रखा जाय और सड़कों पर घूमने वाले आज ऐसे कई पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छे परिवार में अच्छी जाति से होते हुए भी आज उनके पास इतना पैसा नहीं कि वे अपना पेट पालन कर सकें! आज हरिजन जाति के लोग जो मिल ओनर हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपये हैं, उन आदमियों को रिज़र्वेशन मिलता है तो इसका असर क्या होता है कि वे ही लखपति और करोड़पति हरिजन उससे पार्लियामेंट में या असेम्बली के चुनाव में आ जाते हैं और सड़क पर चलने वाला गरीब जो पार्लियामेंट में जाने के लायक है चूंकि उसकी इकॉनोमिक अपलिफ्टमेंट नहीं है इसलिये वह आदमी ऊपर नहीं जा सकता और यही हम इसके द्वारा करने जा रहे हैं। मैं, हमारी भारत सरकार से जो सोशियलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी लाना चाहती है उससे निवेदन करना चाहता हूँ कि वे पहले गरीबी को दूर करने की ओर कदम बढ़ावें, गरीबी किसी की जातिगत नहीं है। सरकार को यदि रिजर्वेशन करना ही है तो वह उन लोगों के लिये की जाय जो गरीब हैं। जो गरीबी के कारण पद-दलित हैं, शोषित हैं उनको ऊपर लाया जाय। आज हम देखते हैं कि जो लोग मालदार हैं, वे रिजर्व सीट से हरिजन होने के नाते असेम्बली में आ जाते हैं वैसे भी वे पैसे के बल पर आ सकते हैं, ऐसे लोगों पर पाबन्दी होनी चाहिये। अगर वास्तव में हरिजनों के प्रति आपकी श्रद्धा है, हरिजनों का लिफ्ट चाहते हैं, उनकी तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको चाहिये कि जो गरीब हरिजन हैं उनको ऊपर लाइये। राजस्थान के किसी भी कोने में आप चले जाइये और देखिये जो विधान सभा के मेम्बर आये हैं क्या उनसे ज्यादा गरीब और कोई नहीं है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: क्या आपकी पार्टी तो गरीबों ही को खड़ा करती है ?

श्री भैरोंसिंह : आप जो यह एक्सटेन्शन करने जा रहे हैं उससे तो आप जिन लोगों के पास हर प्रकार की सहूलियतें हैं उनको और सहूलियतें दे रहे हैं। आज हम गरीब क्लास को, सारे समाज के गरीब तबके में डिस्टिंक्शन पैदा नहीं करते वहां हरिजन क्लास के लिये रिजर्वेशन देकर एक प्रकार से डिस्टिंक्शन पैदा करते जा रहे हैं। इससे हरिजनों के अन्दर जो अमीर आदमी हैं, जो अपने पैसे के आधार पर इलेक्शन जीत सकते हैं, अपने आधार पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, अपने पैसे के आधार पर ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इस कारण रिजर्व सीट के कारण जितनी

(श्री भैरोंसिंह)

सहूलियत या पोलिटीकल प्रोटेक्शन मिलता है वह प्रोटेक्शन यदि हर गरीब आदमी को, चाहे वह किसी भी तबके का हो, दिया जाय तो न्यायसंगत हो सकता है। ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देना जो मालदार हैं हरिजन हैं उसका मतलब यह है कि हम गरीब हरिजन समाज की किसी भी प्रकार तरक्की नहीं करना चाहते। बल्कि इस एक्सटेन्शन से फायदा उन मालदार हरिजनों को ही मिलने वाला है। इसलिये मैं ऐसे माननीय सदस्यों से जो हरिजनों का अपलिफ्टमेंट चाहते हैं और हरिजन हैं उनमें से भी उन हरिजनों को अपलिफ्ट का मौका मिलना चाहिये जो गरीब हैं ताकि साधनसम्पन्न जो हरिजन हैं वे इसका लाभ नहीं उठा सकें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जनसंघ तो स्वतन्त्र है, गरीबों को खड़ा करने में ?

श्री भैरोंसिंह : गरीब भी खड़े हो रहे हैं, और आप जैसे अमीर भी आ रहे हैं।

(हंसी)

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर मु०) : आप यह तो बतलाइये कि हरिजनों ने कितनी इन्डस्ट्रीज लगा ली हैं....

श्री भैरोंसिंह : यह तो आप मुख्य-मन्त्रीजी से पूछ लीजिये....

श्री हरिप्रसाद यादव : आप ही तो अभी कह रहे थे, आप ही बतलाइये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय, सदस्य को ध्यान में होगा कि आपने बड़े बड़े जोर से बारूपालजी का नाम लिया था, इस हाउस में 'बारूपालजी-बारूपालजी' कहा था उनको याद कर लें।

श्री हरिप्रसाद यादव : कल तो मैं आपके लिये भी कह सकता हूं....

श्री भैरोंसिंह : मैं मालदार नहीं और न गरीब हरिजन ही हूं।

(हंसी)

श्री हरिप्रसाद यादव : आप तो जागीरदार हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं जागीरदार कितना हूं यह तो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि हमें इस बारे में पिछले अनुभव को देखना है कि हमने किस प्रकार से इन लोगों को ऊपर लाने की कोशिश की है। रिजर्वेशन से इनको फायदा हुआ है लेकिन जिनको फायदा होना चाहिये उनको नहीं मिला और जिस सीमा तक होना चाहिये वह नहीं हुआ है। वह फायदा ऐसे लोगों तक ही सीमित रहा जो पोलिटिकली कोन्शियस थे, फाइनेन्शियली वेल सिट थे लेकिन जिनको फायदा मिलना चाहिये उनको नहीं मिला है।

जिस समय रिजर्वेशन की बात पहले पहल चली थी उस समय केवल ३००, ४०० जातियां ही ऐसी थीं जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्युल्ड ट्राइब्स में आती थीं उन्हीं के लिये भिन्न भिन्न रियासतों में हमने संरक्षण प्रदान किया था। लेकिन आज इन जातियों के अन्दर गरीबी आई हो इस कारण से नहीं बल्कि वे बढ़ते बढते एक हजार हो गई। तो आज यह कहें कि भारत आजाद होने के बाद १९४७ से १९५९ तक इस १२ वर्ष के समय में जहां

(श्री भैरोसिंह)

पहले ३०० डिप्रेस्ड क्लासेज़ थीं या जिनको रिजर्व शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स कह सकते थे वे बढ़कर एक हजार हो गई। तो इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार की गरीबी पहले थी उससे गरीबी ज्यादा बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज रिजर्वेशन की जातियों की संख्या बढ़ गई है। सरकार आज उनको प्रोटेक्शन देना चाहती है, परन्तु सरकार इस बात को भी सोचे कि हम उनको किस प्रकार से विशेष प्रगति कर सकते हैं। कमिश्नर की रिपोर्ट देखें और विचार करें कि वास्तव में केवल यह पोलिटिकल प्रोटेक्शन देने के बाद उनका उचित प्रोटेक्शन भी हो सकता है या नहीं। विधान सभा में २० सदस्य आ जावें इससे सारे हरिजनों की हालत ठीक हो जावेगी, उनको सोशियल हालत ऊपर उठेगी, इन्डस्ट्रियल डवेलपमेन्ट होकर उनकी हालत सुधरेगी और रिजर्वेशन से सुधरेगी। अगर इनसे उनकी हालत सुधरेगी तो उनको रखा जावे। बाकी के सभी रिजर्वेशन रखे जावें। मुझे उनसे विरोध नहीं। अगर सलेक्शन ठीक प्रकार से नहीं होता है, ड्रा बैक या डिफिकल्टी उसमें कुछ आती है तो उनको रिमूव करने के बारे में व्यवस्था की जा सकती है। पर यह व्यवस्था राजनैतिक ढंग पर और डेमोक्रेसी के प्रिन्सिपल के अगेन्स्ट में रखी जाती है तो इस पर लोग कहेंगे कि जितना जनतन्त्र पनपना चाहिये था वह नहीं पनप पाया है। इसलिए इस चीज को समाप्त करने के लिये यह तय करें कि कौन इकोनोमिकली डिप्रेस्ड क्लासेज़ हैं और किसको अप-लिफ्ट करना है। नहीं करें तो इतना तो तय कर दें कि जो इन्कम टैक्स पे करते हैं इनमें से और किसी सीमा तक पे करते हैं, २५०, ३००, ५०० तक पे करते हैं ऐसे लोगों को तो कम से कम ऐसी रियायत नहीं दी जानी चाहिये ताकि उसका लाभ कम आमदनी वाले हरिजन उठा सकें।

दूसरा प्रश्न आता है इसी प्रावधान में, इस संशोधन में एंग्लो-इण्डियनस के रिजर्वेशन का।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : नहीं है वे इसमें।

श्री भैरोंसिंह : नोमीनेशन का है। राजस्थान में वे है या नहीं, यह अलग बात है पर राजस्थान की इस पर राय मांगी है। लोक सभा के लिये भी है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आर्टिकल ३३४ में एक प्रश्न है रिजर्वेशन का और दूसरा प्रश्न है एंग्लो-इन्डियन्स के नोमीनेशन का।

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य रिजर्वेशन के प्रश्न पर चाहे अपना कोई दूसरे प्रकार का मत रखते हों, लेकिन एंग्लो इण्डियन्स के नोमीनेशन के क्वेश्चन पर सभी एक मत होंगे, और एक मत इसलिये होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस समय वह प्रावधान रखा गया था उस समय हमारे सामने एक सबसे मोटा प्रश्न था कि अलग से इलेक्टोरेट कायम करने का और जाति के आधार पर और वह भी अल्पमत जाति के आधार पर। माइनोरिटी कॉम्युनिटी बेसिस पर हम कुछ इलेक्टोरेट्स अलग से मतदान प्रणाली की व्यवस्था करना चाहते थे। उस समय इस बात का विरोध हुआ और विरोध

(श्री भैरोंसिंह)

विशेष तौर पर इसलिये हुआ था कि हमने पहले एक प्रकार की भूल की थी और वह भूल की थी कि हमने...........

श्री हरिदेव जोशी : On a point of information, Sir, अध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य जो रिजर्वेशन की बात फर्मा रहे हैं एंग्लो-इण्डियन्स के लिये, लोकसभा ने जो अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया है उसमें ३३४ के लिये जो प्रावधान था, शायद वह अस्वीकार रहा अथवा स्वीकार न हो सका। पर राज्य सभा में वह अमेन्डमेन्ट आया ही नहीं। जो अमेन्डमेन्ट यहां है, जिस पर चर्चा करनी है वह यह है कि जो १० इयर का अमेन्डमेन्ट था '२०' इयर उसको अमेन्ड करना है। अब वह चीज इसमें नहीं है कि एंग्लो इण्डियन्स को नोमीनेशन दिया जावे।

श्री पी० के० चौधरी : (फुलेरा) It comes under the same clause, Sir.

श्री भैरोंसिंह : क्लॉज़ ३३४ का एक्स्टेन्शन है। ३३० से ३३३, उसके अन्तर्गत हैं और इन तीनों में एंग्लो इन्डियन्स का भी प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष : केवल शिड्यूल्ड कास्ट का ही नहीं है, तीनों का है। It is a general clause 334 covering all the three categories.

श्री भैरोंसिंह : इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि जब हमने यह नोमीनेशन का प्रावधान रखा था उस समय हमारे सामने एक बड़ा विकट प्रश्न पैदा हो रहा था कि हम माइनोरिटी, कॉम्युनिटी के बेसिस के ऊपर सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर सकते हैं या नहीं? हमारे संविधान बनाने वालों ने इस विषय के ऊपर बड़ी गम्भीरता से विचार किया था और विचार करने के बाद उन्होंने अपने पुराने अनुभव को काम में लिया और पुराना अनुभव वह इस बात की ओर संकेत करता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करने के कारण हमें हमारे देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा है। देश का विभाजन ही नहीं, लेकिन उसके फलस्वरूप हमारे देश के अन्दर भयंकर रक्तपात भी हमने देखा। हमने एक सेपेरेटिस्टिक टेन्डेन्सी को डवलप होते और इस व्यवस्था का दुखान्त भी होते देखा है। इसका संविधान बनाने वालों ने विरोध किया और एक नया वाया-मीडिया निकाला कि उन माइनोरिटी क्लासेज को पार्लियामेन्ट में रिप्रेजेन्टेशन देने के लिये यदि हम ऐसी व्यवस्था कर सकें जिसके आधार पर यदि उनका नोमीनेशन राष्ट्रपति महोदय या गवर्नर महोदय करना चाहें तो वे कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि यह आवश्यक नहीं है। संविधान में जिस प्रकार का प्रावधान है उनके द्वारा राष्ट्रपति महोदय पर और गवर्नर महोदय पर इस बात का बन्धन नहीं है कि उन्हें हरबार एक एंग्लो इन्डियन का रिप्रेजेन्टेटिव नोमीनेट करना ही पड़ेगा, यह उनकी स्वेच्छा का प्रश्न है। यदि वे आवश्यक समझते हैं तो इस प्रकार का नोमीनेशन कर दें। उस समय जिस समय हमारे दिमाग में सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करने का प्रश्न था तो हमने केवल वाया-मीडिया के नाते इस सिद्धान्त को स्वीकार किया था और उसे रिप्रेजेन्टेशन देने के लिए व्यवस्था यह की गई थी कि

(श्री भैरोंसिंह)

हम राष्ट्रपति महोदय पर इस बात को छोड़ दें कि वह किसी को करना चाहें तो नोमीनेट कर दें।

अध्यक्ष महोदय, उस रेफरेन्स या बैकग्राउन्ड में जो व्यवस्था हुई थी उसको आज फिर हम वहां रख देना चाहें जिस रूप में उस समय आवश्यकता महसूस हुई थी तो मैं समझता हूँ यह किसी प्रकार से उचित नहीं होगा। एंग्लो इन्डियन को नोमीनेशन और शिड्युल्ड कास्ट को रीप्रेजेन्टेशन के जरिये लाना, ये दोनों चीजें वैसे तो प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के विपरीत हैं। नोमीनेशन और उसमें भी विशेष कॉम्युनिटी को नोमीनेशन प्रजातन्त्र के मूलभूत सिद्धान्त के प्रतिकूल बात है। आज कोई यह कहे कि हमारे देश में इनकी संख्या अधिक नहीं है उसमें कोई केवल यह कह दे कि एंग्लो इण्डियन की संख्या इतनी है जिसको रिप्रेजेन्टेशन देना है यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। अभी अभी मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि जिस समय हमारी लोक सभा में चर्चा हो रही थी क्रिश्चयन ने भी मिल कर इस जाति का रिप्रेजेन्टेशन किया था कि एंग्लो इन्डियन को मिलता है तो हमें भी यह मौका मिलना चाहिये। कुछ ने विरोध किया कुछ ने प्रयत्न भी किया। पर आज क्या यह आवश्यक है कि एंग्लो इन्डियन को इस प्रकार का रिप्रेजेन्टेशन नोमीनेशन के जरये दें? क्या इसे आवश्यक समझते हैं? मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार से यह आवश्यक नहीं है और सदन को भी ऐसी स्थिति में अपनी स्पष्ट रूप से राय देनी चाहिये कि एंग्लो इन्डियन को नोमीनेशन किसी भी प्रकार से देना उचित नहीं है। माइनोरिटी कॉम्युनिटी की पोजीशन के बेसिस पर यह सिद्धान्त भी इस कॉम्यूनिटी पर लागू इसलिये नहीं होता क्योंकि इससे कम संख्या वाली और भी कॉम्युनिटीज हैं जो क्लेम कर सकती हैं कि हमें भी नोमीनेशन के जरिये रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिये। सेपरेट इलेक्टॉरेट को कन्सीड नहीं करते तो फिर कौन सी दलील, तर्क या लॉजिक आपके पास है जिसके पीछे हमें स्वीकार करने के लिये कहा जा सकता है कि एंग्लो इण्डियन्स को निश्चित रुप से इस प्रकार का रिप्रेजेन्टेशन देना चाहिये? हमने जिस समय संविधान बनाया था उस समय शायद इसके ऊपर काफी तर्क वितर्क, वाद-विवाद और काफी बहस हुई थी। सिक्खों को भी इस प्रकार की व्यवस्था में लाने की चेष्टा की गई थी कि उनको भी किसी प्रकार से प्रोटेक्शन मिले। मुसलमानों को भी माइनोरिटी कम्युनिटी के नाते यह छूट देने की बात और चर्चा की गई थी। पर मुझे जहां तक याद है दोनों ने इसको कॉन्टेस्ट किया था, सिक्ख और मुसलमानों दोनों ने इससे इन्कार किया था और विरोध करते हुए कहा था कि हम जनरल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करके आना पसन्द करते हैं और इस कॉन्टेस्ट में जितनी सीटें उपलब्ध हो सकें उपलब्ध करना चाहते हैं।

मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकता हमारे देश में कई विद्वान् एंग्लो इन्डियन होने के नाते राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नामजद होकर हमारी लोक सभा के सदस्य हैं और वे विद्वान हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता लेकिन एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि विद्वत्ता के नाते, राजनैतिक कारणों के नाते यदि किसी राज-

(श्री भैरोंसिंह)

नैतिक पार्टी में शामिल होकर ये इलेक्शन कन्टेस्ट करके आते हैं तो वह सौभाग्य की चीज होगी और जो हमारे देश में अनुचित व्यवस्था चलती आ रही है वह अपने आप में समाप्त हो जायेगी और इसलिए मैं इन्हीं दो विचारों के साथ कि जो एंग्लो इण्डियन के नोमीनेशन की प्रथा है उस संबन्ध में इस सदन को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूँ कि मैं नोमीनेशन संबन्धी प्रस्ताव में जो एक्सटेन्शन किया जा रहा है, उसका विरोध करता हूँ और बाकी के जितने भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके अन्दर इन्कम बेसिस के ऊपर उन लोगों को सहायता प्राप्त नहीं हो सके। जिनकी इनकम ज्यादा है, उसके सहारे से वह केवल ऐसे डिप्रेस्ड क्लास नहीं रहे हैं बल्कि उनके इन्कम के सोर्सेज से दूसरी क्लासेज़ का डिप्रेशन होता है, इस तरह के लोग किसी रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकें, इस संशोधन के साथ इस तरह का प्रस्ताव लोक सभा में भेजें या अपना मत दें तो इससे हरिजन जाति का और ऐसी ही छोटी जाति का भी लाभ होगा। जो विशेष सुविधायें इस सारी जाति के फायदे के लिए हैं वे कुछ धनी-मानी हरिजन लोगों के साथ में न रह कर सभी लोगों के फायदे के लिए होगा। इन दो विचारों के साथ मैं प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में वाद विवाद चल रहा है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये और एंग्लो इण्डियन के लिये ऐसा प्रावधान रहना चाहिये कि इनको रिजर्वेशन मिले। तो मैं इसके लिये यह निवेदन करूंगा कि मैं इसको अत्यन्त आवश्यकता समझता हूं और यह होना चाहिये। देखा जाय तो इसके लिये दोनों तरफ से काफी कहा जा सकता है लेकिन एक जाति जो वर्षों से पिछड़ी हुई है और कुछ पददलित भी रही है और कुछ सामाजिक जीवन में राजनैतिक स्तर पर वह आगे नहीं आ रही है उसको एक्सटेन्शन दिया जाये तो आगे चलकर इसकी आवश्यकता नहीं रहे जब कि उनमें विद्या का और दूसरी चीजों का प्रचार हो। लेकिन सरकार को यह जरूर चाहिये कि जहां तक हो इनकी रक्षा के लिये व्यवस्था की जाये। यह होता है। यह आज ही नहीं वैदिक काल से लेकर हिन्दुओं के काल में और मुसलमानों के काल में भी और अंग्रेजों की सल्तनत में भी यह चीज बराबर रही है और यहां की राजसत्ता वाले, सिक्ख, मराठे और राजपूतों में भी यह चेष्टा बराबर रही है कि इनके लिये कुछ न कुछ व्यवस्था की जाये। जो तबका बहुत पिछड़ा हुआ रह जाता है उसके लिये गवर्नमेन्ट को कुछ न कुछ रिजर्वेशन और उनके लिये कुछ सहायता करने की आवश्यकता होती है, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं जैसा कि मेरे पहले श्री माधोपुर से आये हुये माननीय सदस्य ने अभी कहा। इसको मैं पूरी तरह मानता हूं कि जैसे हरिजनों के लिये यह हो रहा है कि वे यह चाहते हैं दूसरी जाति हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करे तो उनको यह भी जरूर चाहिये कि उनके खुद के कई भेद-प्रभेद हैं उनमें भी पूरी इस बात की आवश्यकता है कि वह बराबर मिलने जुलने में, पढ़ाई में, सामाजिक चीजों में, खानपान में, व्यावहारिक सम्बन्ध में या हर एक चीज में अपने दायरे को सामने रखकर फिर पढ़ने की कोशिश करें। जैसे कि चैरिटी बिगिन्स एट होम अपने यहां

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

से ही यह चीज शुरू होनी चाहिये । हरिजन हरिजन में दुराव रखते हैं । लेकिन आज भारतवर्ष के अन्दर किसी तबके से यह बात छिपी हुई नहीं है कि गत कई शताब्दियों में जैसा कि व्यवहार इनके साथ होना चाहिये वैसा नहीं हुआ । आज वक्त हम यह समझते हैं कि शायद पशुओं के साथ में जो व्यवहार होता है उससे भी ज्यादा इनके साथ में व्यवहार नहीं रहा है । तो यह चीज आज के सभ्य समाज में, आज की २०वीं सेन्चुअरी की लाइम लाइट में हो नहीं सकती । वह समय आयेगा कि हरिजन और 'सो काल्ड' एंग्लो इण्डियन इस चीज को अपमानित समझेंगे कि हमारे लिये रिजर्वेशन हो । लेकिन आज वह समझते हैं कि गवर्नमेंट सारे सुभीते देकर बराबर एज्यूकेशन और सामाजिक चीजों में इन्हें बराबर लाने की चेष्टा करेगी । इस चीज को मैं ज्यादा अच्छा नहीं समझता कि गवर्नमेंन्ट एक ही जाति को ऊपर उठाये । दूसरी चीजों पर जैसे कम ध्यान देते हैं मन्दिरों के अन्दर, मस्जिदों के अन्दर और हर एक धार्मिक स्थान में बराबर जाते रहें । मैं मस्जिद के लिये इसलिये कहता हूं कि मुसलमानों के अन्दर भी भेद और प्रभेद बराबर रहा है । वहां पर भी शेख, पठान आदि हैं । यूरोप के अन्दर भी यही हाल है । सब जगह यह भेद हो सकता है । जातियां अपने दायरे में चाहे तो स्वतन्त्र रहें लेकिन आज की गवर्नमेन्ट, पीछे की गवर्नमेन्ट और आगे आने वाली गवर्नमेन्ट भी थोड़ा बहुत हैल्प करें तो यह बहुत अच्छी बात है । जैसे बागबान जो ऊंची बढ़ी हुई डाल को काटकर उसको ठीक करने की कोशिश करता है और गिरे हुए पेड़ को उठाने की भी चेष्टा करता है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा भाव अगर रहे और कुछ रिज़र्वेशन हो तो मैं तो इसको अनुचित नहीं समझता हूँ । इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि रिजर्वेशन के लिए और माइनोरिटी की रक्षा करने के संबन्ध में यहां पर काफी रक्तपात हुआ है । मैं इसके लिए यह निवेदन करूंगा कि जहां तक मेरे ख्याल में यह रक्तपात इसके लिए नही हुआ । १५ वीं शताब्दी में बुद्ध और महावीर के बाद यह रक्तपात हुआ तो इतिहास का विद्यार्थी कह सकता है कि इसके लिए नहीं हुआ । यह इसके लिए हुआ है कि जो इस प्रकार के तबके थे उनको बराबरी के स्थानों पर नहीं आने दिया ।

मैं आज यह कह सकता हूँ कि अरब, पर्शिया, अफगानिस्तान से शायद ही दसवां हिस्सा भी उन जातियों का नहीं आया होगा जो बाहर से आई है । हम तो यह कहेंगे कि हमारे हरिजनों के अतिरिक्त उन जातियों में जिनके ऊपर सामाजिक और पोलीटिकल दोनों अत्याचार हुए हैं और वे ही ज्यादातर आज मुसलमान या ईसाई या दूसरे धर्मावलंबी हैं उन्ही में से मिलेंगे, और अपने भाइयों से उसी प्रकार से तिरस्कृत होने पर बदला लेने की भावना उनके हृदय में शायद है । एंग्लो इन्डियनों के वास्ते यह प्रश्न रहे। उनके वास्ते भी सहायता का सवाल रहता है । आज हम कह सकते हैं कि जयपुर के महाराजाओं का बराबर भाव यह रहा है कि जिस जाति को मारकर या जीतकर जिनके वास्ते राज्य स्थापित किया उन्हो मीणों के वास्ते, उनके वास्ते उनके उच्च भाव रहे हैं और उनके वास्ते उन्होंने जो मीणों का विश्वास किया, शायद ही दूसरी जाति का विश्वास किया होगा । जैसे आज उदयपुर के राज-

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

जिन्ह में राजपूत और भील हैं वैसे ही महाराष्ट्र में नेताजी पोलकर वगैरह और जो दूसरे हरिजन वहां के थे उनके वास्ते वही भाव रहे हैं और इस तरह से देखा जाय तो महाभारतकाल में भी बराबर घटोत्कच्छ वगैरह दूसरी जातियों के सम्मिश्रण के महारथियों के साथ होकर जो सवाल रहा है उनके वास्ते वही ऊंचे भाव रहे हैं। महाराज रामचन्द्रजी के हृदय में भी इस बात की घृणा नहीं थी उस समय के मातंग ऋषि को उन्होंने आदर से देखा था। इसके अतिरिक्त झूठे बेर भीलनी के खाने के अन्दर संकोच नहीं किया चाहे लक्ष्मण ने किया हो। इसलिए मेरा विचार यह है कि यह परिपाटी आज तक चली आती है। मैं किसी धर्म के वास्ते किसी की बुराई या भलाई करने और कोई चीज कहने के वास्ते नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं यह बराबर कहूँगा कि नवीन वेदान्त के अन्दर इनको परे नहीं हटाया जाता तो शायद बुद्ध भगवान् की उत्पत्ति नहीं होती। मेरे ख्याल में यह बात होती तो शायद नानक नहीं होते, शायद कबीर नहीं होते, शायद दादूजी भी नहीं होते, आज शायद स्वामी दयानन्द जन्म नहीं लेते। इनके अतिरिक्त शायद केशवचन्द्र सेन जो दूसर धर्मों के संस्थापक हैं वे भी नहीं होते। वे इसलिए हुए कि किसी समय में समाज़ ने किसी जाति के साथ जितना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया। मैं तो यह कहूँगा और बल के साथ यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से सेन्ट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट भी इस बात का ख्याल करे तो कोई अनुचित नहीं होगा।

इस समय सारा विश्व दूसरी तरफ बढ़ रहा है। आज विश्व के अन्दर छोटे और बड़े का भेद नहीं रहा है और मेरे ख्याल से जहां पर ऐसा खयाल रहा है वह सत्ता बराबर गिर गई है। वह इन्टरनेशनल पोलिटिक्स की घुड़दौड़ के अन्दर खड़ी नहीं रह सकती, संसार के अन्दर आगे आकर खड़ी नहीं हो सकती है। इस प्रकार से बुद्ध धर्म के प्रसारण में काफी दिक्कते पड़ी हैं। मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ समय लेने को क्षमा करेंगें, लेकिन यह एक ऐसा विषय है कि इसके वास्ते कुछ कह दूं तो कोई हर्ज नहीं है। ५ मिनिट और लेना मैं अनुचित नहीं समझता हूँ। एक तरह से देखा जाय तो यह समुदाय आज लाखों की तादाद के अन्दर प्रभावित हो रहा है, भाग रहे हैं उस बुद्ध धर्म में जाने के वास्ते। हमारे बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता, डाक्टर अम्बेडकर आदि बौद्ध हो चुके है। बुद्ध धर्म में गिरावट क्यों हुई? इनकी दो शाखाएं महायान और हीनयान आगे बढ़ीं। हीनयान तो बुद्ध भगवान के उन्हीं सिद्धान्तों पर चलती थी और महायान उनके खिलाफ रही। इसका यह फल मिला कि यह बुद्ध धर्म भारतवर्ष से निष्कासित होकर चीन, जापान और स्याम आदि दूसरे देशों में जाकर फैला और यहां पर कमजोर रहा। इसका खास कारण था कि यह जो भावना........

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : इस बात का बुद्ध धर्म से कोई खास ताल्लुक नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह :(जारी) दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि जैसी एंग्लो इन्डियनों के वास्ते विचारधारा है इसके बावजूद पूरी नही होगी। वह भी ऐसी ही है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, आज आपके सामने जो प्रस्ताव सदन के नेता ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूँगा कि इस पर बहस डेढ़ बजे तक चलेगी........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह विषय ऐसा है कि जिस पर विवाद जैसी बात नहीं है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : हम सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह मौका उपयुक्त नहीं है सुझाव करने का। इसलिए ५--१० मिनिट से ज्यादा माननीय सदस्य कृपया नहीं बोलें। डेढ़ बजे माननीय मुख्य मन्त्रीजी बहस का उत्तर देंगे और संकल्प पर वोट किया जावेगा।

श्री पी० के० चौधरी : जो प्रस्ताव सदन के नेता ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। हालांकि यह जो अमेंडमेंट है, यह हमारे विधान का एट्थ अमेंडमेंट है, आठवां अमेंडमेंट है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक बात तो जरूर कहना चाहता हूँ कि विधान जो है वह एक सेक्रेड डाक्यूमेंट है। उसकी एक सेन्क्टिटी है। बार बार जो हम अमेंडमेंट करते हैं, आज आठवां अमेंडमेंट कर रहे है वह चीज ठीक नहीं होती। हालांकि यह जो अमेंडमेंट है वह विधान का है, उसको जरूर एन्टीसिपेट कर दिया था। जिस दिन संविधान पास किया गया था उस दिन भी हमारे दिमाग में यह जरूर था। जिन्होंने संविधान पास किया था उनके दिमाग में यह था कि इस तरह का अमेंडमेंट लायेंगे। यह बात जरूर इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि बार बार विधान में अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है वह अच्छी परम्परा नहीं है। संविधान एक सेक्रेड डाक्यूमेंट है और किसी देश के विधान में बार बार यह नहीं किया जाता है।

अब इस विषय पर आते हुए मैं कहता हूँ कि यह जो अमेंडमेंट है इसके जरिये हम एक पोलिटिकल राइट जिसको हम कहते हैं वह हम उनको दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि हमारा जो सेक्यूलर स्टेट है उस सेक्यूलर स्टेट में हमने डिक्लेअर किया है कि हम क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी चाहते है, अब वहां पर इस अमेंडमेंट पर जो कि कास्ट रिडन सोसाइटी है उसके परपेचुएशन को मन्जूर करते है। इस सम्बन्ध में कमिश्नर फोर शेडयूल्ड कास्ट एन्ड शेड्-युल्ड ट्राइब्स ने अपनी १९५६-५७ की रिपोर्ट में यह बात कही थी कि

backwardness is a tendency to perpetuate itself. Those who listed as backward try to remain as such. Backwardness has become a vested interest.

हालांकि इस संशोधन को मन्जूर कर लिया है, लेकिन साथ ही साथ यह जो बात शेड्-यूल्ड कास्ट्स के कमिश्नर ने कही है उस बात की तरफ ध्यान रखें तो ठीक होगा कि हम एक पोलिटिकल राइट रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यह बात पैदा न हो जाय कि बेकवर्डनेस जो है उसको दूर करने के लिए इस चीज को कर रहे हैं, लेकिन उससे बेकवर्डनेस परपेचुएट न हो जाय, उससे एक वेस्टेड इन्ट्रेस्ट पैदा न हो जाय। इसकी तरफ हमारे समाज के नेता, हमारे पोलिटिकल

(श्री पी० के० चौधरी)

लीडर्स या हमारी गवर्नमेंट के कर्णधारों को ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, हम यह देखना चाहते है कि जिन मेजर्स को और जिन स्टेप्स को हमने बेकवर्डनेस दूर करने के लिये लिया है, they have got perpetuated with backwardness which we have tried to remove.

१. १ म० प०

तो इन मेजर्स में ये जो डिफेक्ट्स हैं उनसे सचेत रहना और उनको दूर करना जरूरी है। जो मेजर्स हम इन्हें दूर करने के लिये लेते हैं वे इफेक्टिव नहीं हैं। इस तरफ भी हमें देखना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, वह यह है कि हम सिर्फ उनको पोलिटिकल राइट्स देना चाहते हैं उससे जो कलरलैस सोसाइटी करना चाहते थे वह नहीं कर पायेंगे। यह ठीक है कि दिखाने को हमने विधान में प्रोविजन कर दिया लेकिन जब तक सोशियल और इकानोमिकल प्रोग्रेस नहीं होगी तब तक चाहे विधान में हम प्रोविजन कर दें, उनको स्पेशल पोलिटिकल राइट देकर उनके प्रतिनिधि विधान सभा में ले आते हैं तो भी वे ऊपर नहीं उठ सकेंगे। इसलिये जहां तक उनके सोशियल एण्ड इकानोमिकल राइट्स हैं उन्हें हमें देखना है कि पिछले १० सालों में हमने क्या किया और हम कहां कहां सेक्सेसफुल रहे। इसमें एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह यह है कि संविधान के पेरा ३ के फिफ्थ शेड्यूल आफ दि कान्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर एक प्रान्त के गवर्नर अपनी report of the Governor on the Scheduled areas,. उनको हर साल यह रिपोर्ट प्रेसिडेन्ट के पास भेजनी चाहिये। हमारे राजस्थान में भी शिड्यूल्ड एरिया है जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये डिक्लेअर किया जाता है, जहां जहां उनकी अधिक आबादी है। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि सन् ५६ की रिपोर्ट है, लेकिन संविधान के सिक्स्थ पैरा में दिया है कि गवर्नर को हर साल राष्ट्रपति के पास भेजनी चाहिये, ५६ की रिपोर्ट ५७ की जनवरी तक उनके पास पहुंच जानी चाहिये थी, लेकिन वह रिपोर्ट आज तक नहीं पहुंची है। इसलिये मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ कानून पास करने से ही नहीं होता है, उसे इम्प्लीमेन्ट करने की तरफ भी हमें देखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, जो शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर है उन्होंने कहा था कि शिडयूल्ड कास्ट के लिये जो सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेंट है वह चीफ सेक्रेटरी के अन्डर में रहना चाहिये और मिनिस्टर्स में से चीफ मिनिस्टर के पास या होम मिनिस्टर के पास या फाइनेन्स मिनिस्टर के पास रहना चाहिये। आप बुरा न मानें, इस डिपार्टमेंट को जिस मिनिस्टर के पास रखा है उनके पास न रख कर मैं उचित समझता हूँ कि इसे चीफ मिनिस्टर साहब के पास रखना चाहिये...

श्री हरिदेव जोशी (बाटोल): फाइनेन्स मिनिस्टर के पास ही तो है।

श्री पी० के० चौधरी : I am telling that this should come under the Chief Minister and the Chief Secretory. अभी यह विभाग चीफ सेक्रेटरी के पास नहीं है, हालांकि शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने चार पांच साल पहले यह सिफारिश की

(श्री पी०के० चौधरी)

थी कि यह चीफ सेक्रेटरी के पास रहे। मैं निवेदन करूंगा कि वाकई यदि सोशियल वैलफेअर की तरक्की चाहते हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब खुद इसको अपने पास रखें। मैं इसको इतनी इम्पोर्टेन्स देता हूँ।

दूसरी बात जो नहीं कर पाये हैं वह यह है कि होम मिनिस्ट्री ने यह सिफारिश की थी, शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की एट्थ रिपोर्ट पब्लिश हो गई है, सेवन्थ रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, एट्थ पब्लिश हो चुकी है लेकिन अब तक नहीं आयी होगी इस रिपोर्ट पर हर एक प्रान्त का लेजिस्लेचर डिस्कशन करे जिससे मालूम हो जाय कि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों के लिये राज्य सरकार ने क्या काम किया और वहां के लेजिस्लेचर्स उनके लिये क्या सोचते है? लेकिन अफसोस की बात है कि सेवन्थ रिपोर्ट मिल गई है, एट्थ भी पब्लिश हो गई होगी लेकिन एक दिन के लिये भी उस पर डिस्कशन इस विधान सभा ने नहीं किया है।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि पोलिटिकल राइट्स के लिये बार बार सिफारिश की जाती है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हमारी विधान सभा के १७६ सदस्यों में से ४८ शिड्यूल कास्ट या ट्राइब्स के सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी के भी २८,२६ सदस्य हैं यानि २७ पर्सेन्ट उनके सदस्य हैं फिर भी उनमें से एक भी शिड्यूल्ड कास्ट का मिनिस्टर नहीं है। सिर्फ एक एक डिप्टी मिनिस्टर ले लिया है। These are peculiar things, सिर्फ कानून पास करने से क्या होता है। मैं कहता हूँ कि आज ३ साल हो गये हैं इस विधान सभा को, लेकिन एक भी शिड्यूल्ड कास्ट या ट्राइब्स का मिनिस्टर नहीं बना है। मैं, हमारे जो सदन के नेता हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एक को तो अपग्रेड किया जाय। ये लोग विधान सभा में २७ पर्सेन्ट हैं, इस रेशियो से कम से कम कैबिनेट में और डिप्टी मिनिस्टरों में रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिये।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : इसके ताल्लुक में तो कुछ नहीं कहा।

श्री पी० के० चौधरी : मैं यह निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने सिफारिश की थी कि सोशियल अपलिफ्ट की स्टेटिस्टिक्स रहनी चाहिये। उन्होंने यह सिफारिश की थी कि इस बात का पता लगाया जाय कि कौन कौन से गांव में अनटचेबिलिटी रह गई है। वे यह मान कर चले हैं कि अनटचेबिलिटी एक्ट पास होने के बाद सब जगह अनटचेबिलिटी दूर हो गई होगी। उन्होंने सिफारिश की थी स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट तैयार करे कि कौन कौन से गांव हैं जहां अनटचेबिलिटी रह गई है। लेकिन मैं यह कहूँगा कि कौन कौन से गांव हैं जहां अनटचेबिलिटी नहीं है इसकी लिस्ट बनाई जाय जिससे मालूम हो सके कि कितने गांव में अनटचेबिलिटी।

१. ८ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

को नहीं मानते हैं। तब जाकर हम कह सकें कि इतने पर्सेन्ट लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। संविधान में खाली संशोधन करने से ही काम नहीं चलता। उसकी स्प्रिट को हमें देखना चाहिये और इकोनोमिक और

(श्री पी० के० चौधरी)

सोशियल अपलिफ्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये, तब जाकर हम उनको आगे ले जा सकेंगे और हमारे बराबर कर सकेंगे। इसके बाद मैं, सदन के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इस सदन में, हमारी पार्लियामेंट ने हमारे संविधान में जो संशोधन करने का निश्चय किया है उस पर विचार कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात का समर्थक हूँ कि जो भी निर्णय किया गया है वह ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि १० साल पहले हमने निर्णय लिया था और इस उद्देश्य से लिया था कि १० साल में हम शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट की स्थिति ऐसी कर देंगे जिसके बाद उनकी स्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि जिससे उनको संरक्षण देने की जरूरत रहे। लेकिन फिर भी जब १० साल का समय और बढ़ता है तो यह भी स्वीकार करना चाहिये कि पहले हमने १० साल का समय निर्धारित किया था और अब और १० साल का समय चाहते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम उसी स्थान पर हैं जिस पर १० साल पहले थे। जैसा पहले सोचते थे अब भी उसी जगह पर हैं। नहीं तो १० साल पहले जो स्वीकार किया, अब आगे १० साल की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, उसका सब से बड़ा, मैं समझता हूँ कारण है और यह मानता हूँ कि कुछ विशेष सुविधायें लोगों को मिलीं, कुछ सुधार उस प्रकार से हुए। जो डेमोक्रेसी हमने अपने देश में स्वीकार की है, वह रिप्रजेन्टेशन करेक्टर की है, डेमोक्रेसी में लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। हम १० साल में ये हालात पैदा कर देते कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनके लिए रिजर्वेशन हटा देते हैं तो रिजर्वेशन हटा देने के बाद भी उनको प्रतिनिधित्व मिल सकता है या नहीं। डेमोक्रेसी में हमें देखना पड़ेगा कि इस प्रकार की हम व्यवस्था करते हैं, उसके बाद आज भी वही स्थिति है, उनको आज भी प्रतिनिधित्व कम मिल सकता है। उसका कारण यह है कि वह स्थिति दूर नहीं हुई है, आपस में जो भेदभाव है, वह दूर नहीं हुआ है। एक दृष्टिकोण इस प्रकार का बना हुआ है कि अगर रिजर्वेशन न रहे तो किसी क्षेत्र में इस प्रकार के दलित वर्ग के व्यक्ति खड़े हो तो सवर्ण लोग कम वोट देंगे, इससे वे लोग प्रतिनिधित्व से वंचित रह जायेंगे। इसका एकमात्र आधार है कि हम डेमोक्रेसी में पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देना चाहते है, जिनकी परिस्थिति वैसी की वैसी है। पंतजी ने जैसा कहा कि हमने काफी खर्च किया है, काफी सुधार भी किया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में २८ करोड़, दूसरी में तिगुना खर्चा रखा हैं, परन्तु जो बुनियादी बात होनी थी, वह नहीं हुई। वह सब से बड़ी चीज है, वह किस प्रकार से होगी, उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसके लिए, जो राजकीय वर्ग है, या जो इस प्रकार के लोग हैं, जो जिस दल के अन्दर हैं, उनको अपने जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा जिससे कि वे उस चीज को समाज के अन्दर ला सकें। परन्तु हमें खेद है कि न सरकारी कर्मचारियों में और न इस प्रकार के दूसरे लोगों के अन्दर इस प्रकार की बात है और मैं तो यहां तक कहता हूँ कि जैसे कई समा-

(श्री मुरलीधर व्यास)

चार सुनने को मिलते हैं कि किसी स्थान पर कोई हरिजन कूए पर चला जाता है, दफ्तर में चला जाता है, क्लास में चला जाता है, आफिस में चला जाता है, आफिस की मैं बात बताऊं कि आफिसर कहते हैं कि हरिजन को फोर्थ क्लास सर्वेन्ट की जगह क्यों भेज दिया, यहां काम नहीं है, दूसरी जगह इसे भेज दो, यहां हरिजन को मत भेजो ...

श्री उपाध्यक्ष : Why should a reflection on hear-say be made ?

श्री मुरलीधर व्यास : वह इसलिए...

श्री उपाध्यक्ष : I don't expect an Hon'ble Member to give his observations by generalising.

श्री मुरलीधर व्यास : अगर मैं उदाहरण दूं तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए समय बचाने की दृष्टि से यह बात कही है। मैं समझता हूँ, कि, इस प्रकार की घटनायें राज्य में होती हैं, इसको राज्य सरकार और दूसरे लोग जानते हैं। मैं ऐसी घटनाओं के बारे में जानता हूँ इसलिए कहा। अब दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में जो बहस हुई, उसकी कापी मेरे पास है। पार्लियामेंट में भी जो भाषण दिये हैं, उनमें यहां तक कहा गया है कि इस प्रकार का एक व्यक्ति था...

श्री उपाध्यक्ष : Repetitions of the statements from the proceedings of Parliament should not be made.

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा कहना यह है कि देश के अन्दर ऐसी स्थिति है, उदाहरण के लिए ऐसी बातें हैं, उस स्थिति को मान्य करने के लिए मैंने यह बात कही है।

एक माननीय सदस्य ने यह राय रखी कि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनमें से बहुत धनवान् हैं, पैसे वाले हैं और उसके अन्दर जो निचला वर्ग है छोटा वर्ग है, उसको किसी प्रकार से सुविधायें मिलें। मैं सिद्धान्ततः इस बात को मानता हूँ व यह बात ठीक है, छोटे वर्ग को सुविधा मिले परन्तु हमारे संविधान में इस प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते। आप यह कहें कि जो रिजर्वेशन है, उसके बारे में प्रतिबन्ध लगायें कि जिसकी हालत ठीक होगी, उसको यह सुविधा न मिले, दूसरे व्यक्तियों को मिले। मैं कहना चाहता हूँ कि फिर सवर्णों को ही सुविधा क्यों मिले ? सवर्णों के करोड़पति पार्लियामेंट में जाकर बैठ सकते हैं, और हरिजनों में यह सुविधा नहीं है। संविधान की दृष्टि से यह ठीक है, लेकिन वैसे ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग वहां जाकर देश पर हावी होते हैं, वे पूंजीपति वर्ग के हैं, वे देश की नीति पार्लियामेंट में, असेम्बली में जाकर बनाते हैं और देश के अन्दर जो भी परिवर्तन लाना चाहते हैं वे उसके अन्दर बाधक होते हैं। तो बाधक होने के दृष्टिकोण से देखा जाय और फिर ऐसे वर्ग को अलग रखने की बात कही जाय, तो मैं सिद्धान्ततः मान भी लूं। यह चीज इस प्रकार कही गई है कि पिछड़े वर्ग में जो हरिजन लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों की हालत अच्छी है, उनको ऐसा मौका न मिले। मौके का जहां तक सवाल है, हमारे यहां दलित वर्ग गिरा हुआ है, यह मैं मानता हूं। अभी जैसा फुलेरा से आने वाले

(श्री मुरलीधर व्यास)

माननीय सदस्य ने उदाहरण रखा और यह कहा कि इस प्रकार की जातियों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ी है। बैकवर्ड क्लास, छोटी जातियों को जो सुविधायें मिलती हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिये संख्या बढ़ी है, जो पहले ३०० थी, वह ४०० तक गई है। यह संख्या सुविधा के दृष्टिकोण से बढ़ी है, यह बात जरूर है. परन्तु वे लोग इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं,जो वाकई ग रीब हैंजोसाधनहीन हैं, मैं समझता हूँ कि उनको सुविधा मिलनी चाहिए। उनके लिये पार्लियामेंट में, असेम्बली में चुनाव की दृष्टि से प्रतिबन्ध न लगायें, बल्कि जिस प्रकार की पालिसी सरकार ने रखी है कि बैकवर्ड क्लास, पिछड़ी जाति के लोग हैं. उनको क्या क्या सुविधायें दी जायं, उस सहायता के दृष्टिकोण से हम स्कालरशिप के मामले में, सर्विस के मामले में और दूसरे कामों में सीमा बांध दें, जैसे कि पजाब सरकार ने रखा है कि जिनकी आमदनी १५०–२०० से कम है, ऐसे लोगों को, परिवारों को ज्यादा सुविधायें दें, अगर इस प्रकार राजस्थान सरकार कुछ करे, क्योंकि इन जातियों की संख्या ज्यादा है और सरकार के पास पैसा कम है। वाकई नीचे तबके के लोगों को सहायता देना चाहते हैं तो ये सुविधायें इस तरीके से दें परन्तु चुनाव में रिजर्वेशन रखा जाय, इसको मैं ठीक नहीं समझता। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार सिद्धान्ततः क्लासलैस सोसाइटी को चाहते है, क्लासलैस सोसाइटी को मानते हुए हमारा यह उद्देश्य है कि हम एक वर्गविहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जातिविहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। यह हमारा उद्देश्य है, इसको समाप्त कर दें तो आज जो हालत है, उसमें जो क्लास बढ़ी हुई है, उसको दूर नहीं करेंगे, मौका नहीं देंगे, तो आगे जाकर वहां तक कैसे पहुंच सकेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इसको सभी दृष्टिकोण से देखना चाहिये कि आज सही मायने में इसकी जरूरत है या नहीं। हम जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, उस मंजिल तक पहुंचने के लिये ये सुविधायें देना आवश्यक है या नहीं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं समझता हूं कि वाकई हम जिस उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हैं उसके लिए सुविधायें देना आवश्यक है और जनतंत्र के विकास में, इस प्रकार का जो पिछड़ा वर्ग है, उसका उत्थान करना चाहिये। इसके साथ ही एक मिनट में मैं यह कहना चाहता हूं कि एंग्लोइन्डियन के लिये जो प्रावधान है, मैं समझता हूं कि एंग्लोइन्डियन की कम संख्या है, इसलिए विशेषता देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, दूसरे दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं. सामाजिक दृष्टिकोण से बहिष्कृत नहीं हैं, क्योंकि संख्या में थोड़े हैं, इसलिये इस प्रकार सुविधा देना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि यह सुविधा उनके लिये नहीं होनी चाहिये, यह मेरा विचार है, क्योंकि वे पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, इसलिये दूसरे पिछड़े वर्गों के लिये सुविधायें दी जाय, इसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर सु०):- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिजर्वेशन के विषय में जो बहस चल रही है, मेरे पूर्व-

(श्री हरिप्रसाद यादव)

वक्ताओं ने भाषण दिये, वे मैंने सुने और उनको सुनने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारा राजस्थान प्रदेश हिन्दुस्तान के सभी प्रदेशों में बहुत बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में बहुत भारी संख्या में पिछड़े वर्ग और शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति भी रहते हैं। जैसे श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि क्या जरूरत है, जैसी एक कहावत है, 'सुबह का भूला शाम को घर आ जाय, उसी प्रकार उन्होंने बाद में कहा है मैं इसका समर्थन करता हूं। कोई बात नहीं सुबह का भूला शाम को घर आने की जैसी बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बहुत बड़े प्रदेश में हम हरिजन, अनुसूचित जाति के लोग, भील, मीणे, कंजर, सांसी, कई प्रकार के पिछड़े वर्ग के लोग और हम भी आपके साथ साथ निवास करते हैं। तो १० वर्ष पहले से, १९४७ से आज तक, १२ वर्ष में हम हरिजन, पिछड़े वर्ग के लगों की जितनी उन्नति हुई, वह आपके सामने मौजूद है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करूं कि उनका उदाहरण भी है कि यहां ४८ व्यक्ति आपके सामने इस विधान सभा में जीते जागते उदाहरण हैं, उनको आपके यहां बोलने का सुअवसर मिला है। रिजर्वेशन के मामले में जितनी प्रगति हरिजन और पिछड़े वर्गों की है, हमारी राजस्थान सरकार ने तरक्की की है, उसका आपके सामने उदाहरण है। इस वर्ष रिजर्वेशन के समय को बढ़ाने का जो लोक सभा में बिल पेश हुआ है, उसको. उस बिल को बहुमत से राजस्थान सरकार पास कराना चाहती है क्योंकि पिछड़ी जाति और हरिजन लोग भी सवर्ण भाइयों के अंग हैं। हमारी जो इन्द्रियां है, यदि उनमें से पैर काट डाला जाय तो हम चल नहीं सकते, हाथ काट डाला जाय तो हम खा नहीं सकते। तो हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, अंग हैं, इसी प्रकार पिछड़ी जाति के लोग और हरिजन आपके अङ्ग हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि १० वर्ष का रिजर्वेशन बढाना अत्यावश्यक है। दूसरे प्रदेशों में भी रिजर्वेशन बढ़ा है। वैसे उधर से माननीय सदस्य ने कहा था कि रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, मेरे माननीय मित्र ने गोलमालपन की भाषा में कहा कि यह नहीं होना चाहिये। समाजवादी प्लेट फार्म से समाजवादी बन कर भाषण देते हैं कि हम हरिजनों की उन्नति चाहते हैं, हरिजनों को खुशहाल बनाना चाहते हैं ....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय उपाध्यक्ष, इनकी समझ में नहीं आता, बौद्धिक दृष्टि से कमजोर हों तो और बात है। या तो समझने की कोशिश करें या यों ऊटपटाग न कहें।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष 'ऊटपटांग' शब्द भी तो अच्छा शब्द नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इसे वापिस लेता हूँ पर आप भी तो समझ कर बात कहें।

श्री हरिप्रसाद यादव माननीय सदस्य ने जो अपने भाषण में विचार रखे, उसकी नजीर रखी। जनता में भाषण देते है ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! आर्डर! आर्डर !! जनता में क्या भाषण देते हैं, यह प्रश्न नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष, जो रिजर्वेशन बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में निवेदन कर रहा हूँ, 'सुबह का भूला शाम को घर आकर, माननीय मित्र ने साथ दिया उसका स्वागत करता हूँ। रिजर्वेशन क्यों चाहिये, १० साल के लिये और क्यों बढ़ाना चाहिये, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दो भाई हैं, एक भाई आगे बढ़ गया है और दूसरा भाई पीछे रह गया है। आगेबढ़े हुए सवर्ण भाई अपने पिछड़े हुए भाई को बढ़ा कर साथ नहीं ले पायें तो उनका फर्ज हो जाता है कि उसको बराबर लगावें। दस वर्ष में आप हमको बराबर लेवल में नहीं ला सके तो १० वर्ष और भी बढ़ जाय तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि यह १० वर्ष का रिजर्वेशन बढ़ाना उचित है। दोनों भाई हैं, एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है, छोटा भाई मांग कर रहा है, उसकी मांग को पूरा करना उचित है। जय हिंद।

श्री उपाध्यक्ष :श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी आप डेढ़ बजे तक अपना भाषण समाप्त कर देंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संविधान (संशोधन) विधेयक सदन के समक्ष है उसमें एक बहुत उचित मांग रखी गई है। हमारा संविधान जिस समय बना उस समय जो अधिकारों का प्रश्न हुआ उसमें यह उचित समझा गया कि जो वर्ग अब तक आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राजनैतिक दृष्टि से पीछे रहे हैं, उस समय तक तो सहन किया जा सका जब तक कि देश में विदेशी राज्य रहा, पर देश के स्वतन्त्र होने के उपरांत यह उचित और आवश्यक समझा गया कि जो इस देश के निवासी हैं, उन सबको समान अधिकार दिये जायं। उन सब अधिकारों में सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के साथ साथ राजनैतिक समानता लाना आवश्यक था इसलिये यह प्रावधान हमारे संविधान में रखा गया कि जो लोग अब तक सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पीछे रहे हैं वे राजनैतिक दृष्टि से भी पीछे न रहीं इसलिए कुछ संरक्षण उनको दिया गया। वह संरक्षण यह था कि सन् १६५० में जो संविधान बना, उसमें १० वर्ष तक के लिए व्यवस्था की गई वे वर्ग जिनको अनुसूचित जाति या जन जाति कहते हैं उसको विशेष संरक्षण दिया जावे अर्थात् यह कि उन स्थानों पर केवल वे ही खड़े हों, दूसरे सवर्ण लोग उनके मुकाबले में खड़े न हों। यह व्यवस्था रखी गई तो इस विचार से थी कि १० वर्षों के अन्दर अन्दर वह स्थिति हम ले आयेंगे कि जिसको पिछड़ा हुआ वर्ग कहते आये हैं, जिसको अनुसूचित और दूसरे दूसरे शब्दों से सम्बोधित करते आये हैं, वह इस योग्य हो सके कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से दूसरे वर्ग के समान स्तर पर हो जायें पर हमारा वह दुर्भाग्य समझता हूँ कि १० वर्षों में हम वह नहीं कर पाये, उनको सामाजिक-आर्थिक स्थिति उस स्तर पर नहीं ला सके जिसके लिये कि १० वर्ष का समय रखा गया था। अब फिर स्थिति ऐसी देखी गई जिसके लिए १० वर्ष का समय और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई। जहां तक हमारी राष्ट्रीय भावना का सम्बन्ध है बहुत पहले से ही हमारे राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी ने तो तब इस तरह के विचार प्रकट किये थे जब उनसे पूछा गया कि देश स्वतन्त्र होगा तो देश का राष्ट्रपति किसे बनायें, तो महात्मा गांधी का कहना था

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं देश के राष्ट्रपति के पद पर हरिजन कन्या को, हरिजन महिला को प्रतिष्ठित करूं । उनसे उस समय पूछा गया था कि हरिजन कन्या, हरिजन महिला इस योग्य नहीं होगी कि देश के इतने बड़े दायित्व को सम्भाल सके; उसमें योग्यता, अनुभव आदि गुणों की आवश्यकता होती है वे यदि उसमें नहीं हों तो ? महात्मा गांधी का उत्तर था कि राष्ट्रपति तो हरिजन महिला ही होगी, हां प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू बन सकते हैं । लोगों में जो हम राष्ट्रीय विचारों के हैं उनके कानों में महात्मा गांधी के वे शब्द अब भी गूंज रहे हैं और वे आज भी इसके लिए कृतसंकल्प हैं कि हमारे देश के जो अधिकार हैं वे लोगों को, जिनको हम हरिजन, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति आदि शब्दों से संबोधित करते हैं, उनको पूरे अधिकार दिये जायं ।

इस दृष्टि से यह संशोधन संविधान में हो रहा है, इसलिये इसका समर्थन मैं तो करता ही हूँ बल्कि मैं देखता हूँ कि लगभग सभी ओर से इसका समर्थन किया जा रहा है और किया ही जाना चाहिये पर इसके साथ साथ हम सब लोग जिनमें वे भाई भी सम्मिलित हैं, जिनके लिये संरक्षण चाहा जा रहा है सबका पूरा प्रयत्न होना चाहिये कि जहां जहां उनके अधिकारों का हनन होता दिखता है, जहां जहां उनका उचित आदर होना चाहिये, वह पूरा होता नहीं दिखता हो या जो अयोग्यताएं आज भी उन पर डाली हुई दिखती हैं, उनको इस अर्से में पूरा कर लें । यह उनके लिये भी एक गौरव की बात नहीं होगी जैसा कि अभी एक पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि १० वर्ष के बाद शायद और भी १० वर्ष बढ़ा दें, यह गौरव की बात नहीं होगी । बल्कि उनमें साहस होना चाहिये यह कहने का कि अब तक किसी वजह से समाज ने हमारे इस तरफ ध्यान नहीं दिया था पर अब हमारा भी कर्त्तव्य होगा और दूसरे लोग जो अपने आपको उच्च वर्ग का कहते हैं उनके लिये भी यह लज्जा की बात है, उनका भी कर्त्तव्य है कि इस १० वर्षों के अन्दर अन्दर हम उनको उस स्तर पर ले आयें जिसे हम अपने यहां क्लासलैस सोसाइटी कहने में समर्थ हो सकें ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मुख्य मन्त्री जवाब देंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, जो संकल्प इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां तक मैं समझ पाया हूं सब तरफ से इसका समर्थन किया गया है, सिवाय जनसंघ के प्रतिनिधि के जो कि श्रीमाधोपुर से चुन कर आये हैं ।

इस प्रश्न पर काफी विस्तार से पार्लियामेंट में और राज्य सभा में विचार किया जा चुका है और मैं आशा यह करता था कि शायद इतने वादविवाद की भी आवश्यकता नहीं है । लेकिन जो कुछ चर्चाएं यहां पर हुई हैं वे एक दृष्टि से लाभप्रद ही हैं । से यहां तो मैं यह निवेदन करना चाहता हू

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कि जो एंगलो-इन्डियन्स के बारे में इस अमेंडमेंट के साथ यहां पर चर्चा आई तो एंग्लोइन्डियन्स के बारे में ३३१ और ३३२ की धारा में यह साफ है और गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन पर छोड़ा हुआ था कि एंग्लो-इन्डियन्स का प्रतिनिधित्व अच्छी तरह से न हो तो वे अपनी ओर से कर सकते हैं। इसमें और अमेंड करने की बात थी और वह अमेंडमेंट पार्लियामेंट में लाया गया वह वहां पास नहीं हुआ। पार्लियामेंट में और यहां पर एंग्लो-इन्डियन्स का जो फाइनल रूप है वही हमारे सामने आया है और इसमें जो कुछ कॉन्स्टीट्यूशन में धारा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा रहा है केवल १० वर्ष की अवधि बढ़ाने की बात है और वह सब पर लागू होती है और इस पर है। लेकिन एंग्लो-इन्डियन्स के लिये ३३१ से ३३३ धाराएं हैं। उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है उनको ध्यान में रखते हुए ३३४ में १० वर्ष के अमेंडमेंट के साथ विचार करना, इस सदन के लिये उपयुक्त नहीं होगा।

अब जो प्रश्न शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों के लिये १० वर्ष की अवधि के लिये है उसके लिये श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आम तौर से हरिजनों में धनी व्यक्ति हैं वे आते हैं। इसलिये वे इसके विरोध में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी इस विषय में है, मैं यह कह सकता हूं कि इस समय भी राजस्थान में पार्लियामेंट में और विधान सभा में जो सदस्य आये हैं, वे आम लोगों के तबके से आये हैं। वे कोई अमीर लखपति आये हों, यह मेरी जानकारी में नहीं है। आम तौर से जो लोग आये हैं वे कांग्रेस के कार्यकर्त्ता रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से अपनी सेवाओं के कारण चुन कर आये हैं। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ज्यादातर चुन कर आते हैं इसलिये श्री माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य को एतराज हो तो अलग बात है....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, रामराज्य परिषद् से भी आये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसीलिये मैंने 'ज्यादातर' शब्द कहा है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अब तो लिमिटेड हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि उनके मूल में शायद राजनैतिक विरोध हो इसलिये कि श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य से दूदू से आनेवालों का विरोध नहीं है और न उनकी पार्टी से आनेवालों का भी विरोध है यह मेरी निश्चित मान्यता है। इसलिये उन्होंने अमीर और गरीब का प्रश्न कह कर इसके साथ जोड़ा है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : रामराज्य में आया वह भी जनसंघ में चला गया।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष, मैं उनकी उन दलीलों को भी नहीं समझ पाया कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये अगर रिज़र्वेशन रखा जाता है तो उसमें कोई इन्कम टैक्स देता है तो उस व्यक्ति को अधिकार

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नहीं मिलना चाहिये। जबकि हमने दूसरे लोगों को जो इन्कम टैक्स देते हैं वे तो हाऊस में आने के अधिकारी हैं और उनको हमने अधिकार दिया है कि वे हाउस में आ सकते हैं तो फिर हरिजन और शिड्यूल्ड कास्ट में आने वाले लोगों पर आप क्यों प्रतिबन्ध लगाते हैं। यह प्रतिबन्ध उन पर क्यों होना चाहिये कि जो इन्कम टैक्स देते हैं वे न आवें। मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल गलत होगा और उनका यह जो सुझाव है वह काफी अनुचित मालूम होता है। आज समाज में ज्यों ज्यों प्रगति होती है और विचारों में परिवर्तन होते हैं, ज्यों ज्यों राजनैतिक प्रगति बढ़ती जाती है, उसका रिफ्लेक्शन तो जरूर आवेगा ही। जब चुननेवाला ज्यादा तबका गरीब है तो कोई एतराज नहीं हो सकता कि गरीब को वोट देकर न भेजा जावे। जैसा एक आध माननीय सदस्य ने कहा जनसंघ की तरफ से, आगे मौका आवेगा तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि हरिजन और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में इन्कम टैक्स नहीं देते हैं उनको खड़ा करेंगे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि अमूमन लोग गरीब ही होते हैं जो एम.एल.ए. बन कर आते हैं और वे इन्कम टैक्स नहीं दे सकते। इन्कम टैक्स के लिहाज से जब वे एम. एल. ए. बनते हैं और उनको अलाउन्स मिलता है उस वजह से उनकी आमदनी बढ़ जाती है तो वह अलग बात है। अगर उनकी घर की आमदनी देखी जावे तो आपको मालूम होगा कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो इन्कम टैक्स पे कर सकते हैं? मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे यहां पर बहुत से भाई आये हैं उनके यहां पक्के झोंपड़े तक नहीं हैं। चाहे वे कांग्रेस की तरफ से आये हैं या किसी पार्टी की तरफ से। यह बात नहीं हो कि गरीब और अमीर में भेद किया जावे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : दूसरे सदस्यों के लिये रिज़र्वेशन नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वोट देने वालों को कोई रिजर्वेशन नहीं है। वे आम लोग गरीब हैं, वे जिसको चाहें अपना वोट दे सकते हैं। तो यह प्रतिबन्ध चुनकर आने वालों और रिज़र्वेशन वालों के लिये लागू हो ही नहीं सकता।

(एक माननीय सदस्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप देर से आये। मैंने निवेदन किया कि पूंजीपति आते हैं मगर मैं यह कहूंगा कि मेरी जानकारी है और मैं समझता हूं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे मुकाबले में जनसंघ के एक अमीर के सामने उटारा के गरीब कांग्रेस वाले को हम जिता कर लाये हैं।

(करतलध्वनि)

यहां पर यह प्रश्न पैदा होता है कि पूंजीपति नहीं आते, गरीब आदमी आते हैं। यहां पर पूंजीपति हारते हैं और गरीब आते हैं। यह देखने की बात है। आम तौर से जनरल सेक्टर में मामूली समाजसेवा करने वाला व्यक्ति आ जाता है। तो यहां हम प्रतिबन्ध लगाने वाली बात कहते हैं तो मैं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

समझता हूं कि इसके पीछे कोई गंभीरता और है। जिस बात को कह कर असल प्रश्न को दूर रखा जाता है।

आज इसकी आवश्यकता क्यों है कि उनके लिये रिज़र्वेशन रखा जावे। मैं यह कहूंगा कि हमारे समाज की स्थिति ऐसी है जिससे इसका रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आज हम रिज़र्वेशन नहीं रखते है तो मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य आज यहां पर मौजूद हैं और यहां ४८ शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स में से आपको नजर आते हैं आज की सामाजिक हालत को देखते हुए उनमें से बहुत कम जनरल इलेक्शन में आ सकते हैं। इन सारी चीजों को आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा और आप पावेंगे कि सामाजिक वातावरण अभी तक सुधरा नहीं है और भी बहुत से दृष्टिकोण हैं। जिनके बैक ग्राउन्ड में हमें सारी बातों पर विचार करना होगा। १० वर्षों में जो कुछ प्रगति हुई उससे हम कह सकते हैं कि समाज में अभी तक वह स्थिति पैदा नहीं हुई और समाज में इस प्रकार की स्थिति पैदा करनी है और हम सभी लोगों को जो सरकार में हैं और सरकार के बाहर हैं उनको पैदा करनी हैं। सब को प्रगतिशील होना होगा। जो लोग विधान सभा या पार्लियामेंट में सदस्य बन कर आते हैं शिड्यूल्ड ट्राइब्स के, उनको यहां पर बराबर का दर्जा मिलता है और बराबर बैठते हैं तो वह खुद सारे समाज पर असर डालने वाला होता है और उससे लोगों की भावना में परिवर्तन होने लगता है जो काफी तेजी से भारतवर्ष में हुआ है। इसके अलावा काफी लोगों से उनका संपर्क बढ़ता है। मिसाल के तौर पर कहूं कि मैं विधान सभा में जाता हूं तो उनको उनके जाति के लोगों को व दूसरे लोगों को उनसे मिलने का अवसर प्राप्त होता है, यही नही कि उसके ही जाति वालों को अवसर प्राप्त होता हो मगर वहां के सवर्ण भी होते हैं जो उनके कॉन्टेन्ट में आते हैं और उनके साथ बैठ कर कई समस्याओं को हल करने में बराबरी के स्तर पर आये हैं। इसलिये यह कहना कि उनके लिये रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूं कि यह कल्पना करना कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, उचित नहीं है, अभी तक दुर्भाग्य से इस प्रकार की स्थिति पैदा नही हुई है और हमारे भारतवर्ष में हमारे सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले इस ओर महात्मा गांधी ने सारे भारत का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया और बताया कि इस चीज में खराबियां हैं उनको दूर किया जावे। इसके बाद हमारे समाज में जो दो हजार वर्ष पुरानी रूढ़ियां आई हुई हैं और जिसके लिये एक हद तक हम सब पुरानी परम्पराओं को कायम रखने में जिम्मेदार होते हैं, उनको दूर करने के लिये हमें काफी प्रयत्नशील होना होगा और वह कार्य आज भी आवश्यक है, कुछ अर्से के लिए और भी आवश्यक होगा कि हम समाज में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, सामाजिक कार्य के आधार पर ये जो भेद भाव हैं उनको समाप्त करके सामाजिक स्तर को बराबर लायें। जहां तक आर्थिक स्तर को उठाने का प्रश्न है पहली पंचवर्षीय योजना पूरी हुई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अन्तिम चरण है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में आने वाले हैं, वे सब आर्थिक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

स्तर को उठाने के लिए ही आधार हैं और इनसे हम आर्थिक स्तर को ऊंचा करते चले जायं। मैं इस बात को मानता हूं कि दूसरी जातियों में भी ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो हरिजनों का जो आर्थिक स्तर है उनसे भी उनका आर्थिक स्तर कमजोर है। तो जहां तक आर्थिक स्तर को उठाने का प्रश्न है यह सब ही के लिए होना ठीक है। जो उद्देश्य भारत ने स्वीकार किया है सोशियल पेटर्न का उसका मूल आधार ही आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने का है, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार यह हो रहा है और आगे भी होगा। दस वर्षों में भारतवर्ष में जो कुछ हुआ है, आज जिनको हरिजन कहें या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग कहें, सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि हम उनको कहां तक स्टेटस देते हैं। जहां तक उनको स्टेटस देने का सवाल है मैं समझता हूं कि विधान सभायें और पार्लियामेंट उनको वह स्टेटस देने का सबसे ऊंचा स्थान है। सर्विसेज में भी जो आते हैं उससे भी स्टेटस प्राप्त होता है और उसके लिए भी हमने रिजर्वेशन दिया है। शिक्षा में समान स्तर हो, समान अवसर उनको भी प्राप्त हो उसमें भी स्कॉलरशिप और दूसरी चीजों से उनको आगे बढ़ाया है। उसमें काफी प्रयत्न हुआ है और काफी प्रयत्नशील रहे हैं। सन् ५१-५२ के अन्दर मेट्रिक के ऊपर १,६०४ को स्कॉलरशिप दी जाती थी जब कि सन् ५८-५९ में ३२ हजार को दी जाती है। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि मेट्रिक से नीचे की कक्षाओं में तादाद बढ़ी है और ऊपर तक पहुंची है तब ही स्कॉलरशिप मिलती हैं, आगे और तेजी से बढ़ेगी। जो कुछ हुआ वह काफी परिवर्तन है और होने लगा है। राजस्थान के गांवों में, जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोई गांव कह सकते हैं कि जहां ऐसा भेद-भाव न रहता हो। कुछ गांवों के नाम गिन देना मुश्किल है लेकिन आप इस सत्य से इन्कार नहीं कर सकते कि गत दस वर्षों में बड़ा परिवर्तन अवश्य हुआ है कि मन्दिरों में, बड़े २ मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश हुआ है, साथ बैठ कर भेदभाव दूर हुआ है, एक कुए से पानी पीने के हजारों उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : हरिजनों के मंदिर में हरिजनों का प्रवेश नहीं हुआ, यह थोड़ा खटकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हरिजनों के मन्दिर में हरिजनों का प्रवेश नहीं होता है!

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यादवों के मन्दिर में यदि शायद हरिजन प्रवेश करने जाय तो उनको करने नहीं देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं बताऊं कि जो भेद ऊपर से नीचे तक चला है उसका रिफ्लेक्शन सब ही पर हुआ है। वह सारा भेदभाव हटना चाहिये और इस बात से इन्कार नहीं किया जाता कि जब तक समान स्तर न आजाये तब तक यह खतरा रहता है और जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि वेस्टेड इन्ट्रेस्ट की तौर पर डेवलप होता चला जाय वेस्टेड इन्ट्रेस्ट डेवलप न हो, इसके लिए सबको प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके लिए समाज में समानता का वातावरण पैदा होता चला जाय, छूआ

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

छूत कम होगी तब ही यह होगा। जब तक ये प्रतिबन्ध दूर नहीं होते हैं तब तक आगे बढ़ने के लिए रुकावटें हैं, कल्पना बनी रहती है इसलिए उसको दूर करने के लिए हम सब के लिये यह आवश्यक बात होगी।

रिपोर्ट और दूसरी चीजों के लिए कहा। तत्काल उसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है कि मैं ज्यादा कुछ कह सकूं। माननीय सदस्यों को आम तौर पर.......

श्री पी. के चौधरी : मेरी गुजारिश उनको मिनिस्टरी देने की थी उसके लिए....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It was not a part of the resolution

श्री उपाध्यक्ष : whether it can be a part of the resolution ?

श्री पी. के चौधरी : It was a part of the debate.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It was a part of your speech with a particular ang आप जिस दृष्टि से यह कहना उपयुक्त समझते है उस दृष्टि को मैं पूरी तरह से समझ गया हूं। इतना कहना ही पर्याप्त होगा।

इन शब्दों के साथ सदन से आपके द्वारा, उपाध्यक्षजी, निवेदन करूंगा कि इस संकल्प को एक मत से स्वीकार किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट के लिए में स्पष्टीकरण करना चाहूँगा

श्री उपाध्यक्ष : The opportunity does not exist. I will put it to vote, Sir

श्री भैरोंसिंह : मेरे कहने के बावजूद मुख्य मंत्री महोदय ने कहा.......

श्री उपाध्यक्ष : I would not allow any opportunity now.

श्री भैरोंसिंह : On a point of personal explanation, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow that.

प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संकल्प "That this House ratifies the amendment to Article 334 of the Constitution of India, proposed to be made by the Constitution (Eighth Amendment) Bill, 1959 as passed by the two Houses of parliament. स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

(करतल-ध्वनि)

१.४८ म. प.

राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एण्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (बारहवां संशोधन) विधेयक, १९५९ (पुरः स्थापन-पारण)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) :उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लैंड रिफार्म्स एन्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (बारहवां संशोधन) विधेयक, १९५९, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !!

प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रिफार्म्स एन्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (बारहवां संशोधन) विधेयक, १९५९, को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री पी. के चौधरी (फुलेरा) I have got a motion for the circulation.

श्री उपाध्यक्ष : That stage is still to come. This is another Bill.

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान ग्रामदान विधेयक, १९५९

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान ग्रामदान विधेयक, १९५९, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डा० चन्द्रकला

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित ग्रामदान विधेयक सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है उस सम्बन्ध में मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि इस विधेयक को पुन: प्रवर समिति को विचारार्थ दे दिया जाय। मैं बहुत विनम्र शब्दों में राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरा प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मतलब किसी भी तरह से यह न लिया जाय कि मैं इस विधेयक में किसी प्रकार की देरी करना चाहती हूं। जब मैंने प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि जिस उद्देश्य को लेकर यह विधेयक आ रहा है और जो सुझाव और सिफारिशें प्रवर समिति ने की है उससे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। इस पर एक बार फिर से अच्छी तरह विचार करने की आवश्यकता है।

हम सब जानते हैं कि राजनैतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद अपने देश की आर्थिक रचना और उसके विकास की दृष्टि से एक आन्दोलन चला जिसे हम भूदान आन्दोलन कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य सर्वोदय समाज की रचना और स्थापना है इसका अगला कदम ग्रामदान है और ग्रामदान से ग्राम स्वराज्य की स्थापना होगी। बड़ी खुशी और सन्तोष की बात है कि हमारे इस प्रान्त के अन्दर लगभग २३५ गांव ग्रामदान के रूप में मिल चुके हैं। यह जो विधेयक बनाया गया है मुझे ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि जो ग्रामदान मिल चुका है, उसकी सारी बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखकर ही यह विधेयक बनाया गया है इसके सम्बन्ध जो कुछ बातें इसमे की गई हैं उनमें से कुछ बातें विचारणीय लगती हैं। विधेयक की धारा २ में यह परिभाषा दी गई जिसमें गांव की परिभाषा दी हुई है। वैसे तो गांव की परिभाषा हमारे दूसरे कानूनों में बतायी जा चुकी है उसके अलावा इसमें कुछ शब्द और

(डॉ० चन्द्रकला)

जोड़ दिये गये हैं। जहां तक नये नये पारिभाषिक शब्दों के जोड़े जाने का सम्बन्ध है वहां तक तो विधेयक का स्वागत करना चाहिये लेकिन इसके साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि जहां बीस घरों की बस्ती इकट्ठी हो जायगी वहां एक ग्राम माना जायगा। यह मुझे मालूम है कि राजस्थान के अन्दर कई ऐसे गांव हैं जिनको हम रेवेन्यू के अनुसार गांव मान चुके हैं उसके अनुसार चार पांच घर को भी हमने गांव माना है। जब रेवेन्यू मामलों में पांच चार घर को गांव मान लिया गया है तो फिर इस ग्रामदान में २० घरों की सीमा रखी जाती है तो यह ठीक नहीं है, इस पर फिर से विचार करना चाहिये। सचमुच ही अगर हमें बीस घरों की ही सीमा रखनी है तो जो रेवेन्यू के गांव हैं उनमें विभेद क्यों? इससे क्या हम एक प्रकार का विभेद प्रस्तुत नहीं करते हैं?

इसके बाद जब हम आगे देखते हैं धारा ३ में। इसमें है ग्रामदानी गांव को दान में कौन दे सकता है, वहां तक तो ठीक है। यह सब जानते हुए कि इसके लिये भूदान बोर्ड बना हुआ है, भूदान बोर्ड द्वारा जितने भी गांव ग्रामदान के रूप में लिये गये हैं वे सब भूदान बोर्ड ने लिये हैं वैसी हालत में यहां पर जो 'प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी' शब्द रखे हैं इनको स्पष्ट किया जाना चाहिये। यह साफ साफ लिखा जा सकता है कि 'प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी' तहसीलदार है या कौन हो सकता है, यह न होने से साफ बात मालूम नहीं होती है। धारा ३ में जो प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी शब्द लिखा हुआ है उससे साफ मतलब नहीं होता कि यह भूदान बोर्ड है या कोई दूसरा। अगर ऑथोरिटी दूसरी हो जाती है तो ग्रामदानी गांव की स्थिति क्या हो जाती है, यह सोचने की बात है।

इसकी उपधारा (७) में लिखा हुआ है कि जब कानून बन जायगा तो उसके पहले जितने भी ग्राम ग्रामदान में मिल चुके हैं या घोषित हो चुके हैं उनकी घोषणा फिर से होगी, फिर से आपत्तियां रखी जायेगी बाकायदा उतनी ही प्रक्रिया करनी होगी जितनी नये गांव के मिलने के साथ होती है। इसमें थोड़ा व्यवहारिकता से हमें देखना होगा ग्रामदान के पीछे एक विचारधारा होती है गांव वाले मिल करके सर्व सम्मति बहुत सोच विचार के बाद ग्रामदान देते हैं कभी भी डिक्लेरेशन करवाइये कोई बात नहीं। लेकिन जब हम यह कानून में प्रावधान रख देते हैं तो जितने भी ग्रामदान में गांव मिल चुके हैं उनको फिर से घोषणा पत्र भरने होंगे उनको मौका रहेगा आपत्तियां दे सकेंगे उनको सुनी जायगी उसके बाद उस पर कार्यवाही की जायगी। हो सकता है भूदान बोर्ड को जितने ग्रामदान में मिल चुके हैं, बहकाने वाले उसके लिये बहका सकते हैं और इस तरह से कई वापिस लेना चाहेंगे तो फिर स्थिति क्या रहने वाली है, यह भी सोचने की बात मालूम पड़ती है।

इसके अलावा घोषणा पत्र की जो बात है वह ज्यादा विचारणीय बात है ग्रामदान के गांव कौन से घोषित होंगे एक तो वे हैं जो गांव ग्रामदान होने जा रहे हैं उसमें जितनी जमीन है उसका ५० प्रतिशत मिल जाता है तो वह ग्रामदान कह दिया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, इससे सारे सर्वोदय की जो भावना है ग्राम द्वारा ग्रामस्वराज्य स्थापित करने की भावना है वह समझ में नहीं

(डा० चन्द्रकला)

आती है। हो सकता है, एक गांव के आदमी के पास उस गांव की सारी जमीन का पचास प्रतिशत हो सकता है, अगर वह सारी जमीन दे देता है तो क्या वह उसका ग्रामदान हो जायगा? अगर हम इस धारा को देखते हैं तो वह भी हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरी जो सब क्लाज है, ८० प्रतिशत आदमी यह घोषणा कर दें कि हम अपनी जमीन ग्रामदान में देते हैं तो वह भी ग्रामदान गिना जायगा। मान लीजिये ये ८० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत थोड़ी-थोड़ी जमीन है और वह भी इतने टुकड़ों में है कि गांव की जो सारी जमीन है उसके प्रतिशत में बहुत कम है तो क्या वह भी ग्रामदान मान लिया जायगा?

तीसरी उपधारा जो इसमें रखी है ८० प्रतिशत एडल्ट पर्सन्स होंगे वे यदि घोषणा नहीं करते हैं तो यह नहीं माना जायगा। इस प्रकार सरकार ने जो बातें रखी हैं कोई मेल नहीं खाती। इस ८० प्रतिशत में एडल्ट होंगे उसमें पुरुष भी होंगे और स्त्रियां भी। वैसी हालत में उनसे प्रेस्क्राइब्ड फार्म पर प्रेस्क्राइब्ड मेनर में ग्रामदान के लिये घोषणा पत्र भरना होगा। एडल्ट्स में जो २१ वर्ष से अधिक की उम्र वाले लोग आयेंगे। इसमें जहां तक पुरुषों से इस प्रकार के फार्म भरवाने का सम्बन्ध है वह तो हो सकता है लेकिन स्त्रियों को किस प्रकार से समझा कर हस्ताक्षर करवाये जा सकते हैं। उनसे किस प्रकार प्रेस्क्राइब्ड मेनर में प्रेस्क्राइब्ड फार्म को भरवाया जा सकता है यह भी सोचने की बात है।

हमें ग्रामदान के साथ में जो इसकी भावना रही है उसको भी देखना है, इसमें ग्रामों के पुनःरचना की भावना है यह हम कहां तक सिद्ध कर सकते हैं, यह देखने की बात है। कल हम इस कानून को लागू करें और इस प्रकार की दिक्कतें सामने आने लग जायं तो अच्छा यही होगा कि पहले ही हम इस प्रकार की जो भी शंकायें है उनको दूर कर दें। अब तक जो काम हुआ है वह सफल हो जाय और आगे के लिये भी रास्ता मालूम पड़ सके।

इसके अतिरिक्त हमने प्रावधान रखा है किसी भी गांव के टुकड़े हैं और वे बीस घर हैं और अपनी सारी जमीन ग्रामदान के रूप में दे देते हैं और उसको अलग गांव घोषित करना चाहते हैं तो उसको घोषित कर देंगे। इससे ज्यादा अच्छा यह होता कि जिस तरह से अलग अलग गांव बनाने की बातें करते हैं जहां गांव के हिस्से अलग अलग होकर के मिल भी सकते हैं वैसी हालत में छोटे छोटे गांव मिल कर ग्रामदान गांव बनने का अवसर मिलना चाहिये। इसलिये यह भी प्रश्न विचार करने लायक है।

इसके अलावा जब आगे इस विधेयक की क्लाज ५ के अन्दर हम देखते हैं तो उसमें एक जगह हमने बताया है कि २० घरों का जो गांव होगा उसको हम गांव घोषित कर सकेंगे। लेकिन दूसरी जगह हमने यह बताया है कि कोई भी गांव तब तक गांव रजिस्टर्ड नहीं किया जावेगा यदि उसकी आबादी ३०० से कम होगी। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं और कई बार इस सदन में भी विचार कर चुके हैं कि पांच व्यक्ति के एक परिवार को हमने माना है। इस हिसाब से

(डा० चन्द्रकला)

जब बीस घरों के गांव को हमने गांव मान लिया है तो ३०० व्यक्तियों की हम शर्त लगाते हैं तो यह हमने अच्छी तरह से सोचा नहीं मालूम होता है। वैसे तो बीस घर भी ज्यादा हैं। जब इससे भी छोटे छोटे गांव होते हैं तो इस ग्रामदानी गांव के लिये यह शर्त लगाना ठीक नहीं मालूम होती है। इसलिये इस पर भी हमारी सरकार को एक बार सोचना पड़ेगा।

इसके अलावा जब कोई गांव ग्रामदान में दे दिया गया या फिर कोई ग्राम ग्रामदानी घोषित कर दिया गया तो सरकार अपनी जमीन अपने अधिकार में लेने का अधिकार रखती है। इसलिये उस भूमि को भी सरकार को ग्राम सभा को समर्पित कर देना चाहिये, ग्राम सभा चाहे जैसा उसका उपयोग करे। बहुत सी तो जमीन होगी नहीं। चराई की होगी, गोचर भूमि की होगी, ऐसी ही भूमि सरकार की ज्यादा होगी। तो इस सार्वजनिक भूमि की व्यवस्था का काम भी ग्राम सभा को दे देना चाहिये। इसके अलावा जिन लोगों ने अपनी भूमि ग्रामदान में नहीं दी, उनकी लगान वसूली या जितनी भी सरकार को देय चीजें हैं उनकी वसूली की जिम्मेदारी भी ग्राम सभा पर डाल देनी चाहिये। तो यह सब जिम्मेदारी ग्रामसभा की होनी चाहिये। नहीं तो क्या होगा कि एक गांव का बड़ा हिस्सा ग्रामदानी हो जावेगा वह अलग दिखाई देगा और एक छोटा टुकड़ा बगैर ग्रामदानी हो जावेगा। ग्रामदानी अलग चलेंगे और बगैर ग्रामदानी अलग चलेंगे। तो उनमें ग्रामसभा किसी प्रकार समन्वय कर सके, ऐसा होना चाहिये। एक बात।

दूसरी बात, ग्रामसभा अपने निर्णय अधिकतर यूनानिमस, नीयर यूनानिमस और मेजोरिटी से तय करेगी। समझ में नहीं आता तीन शब्द एक साथ रखने की क्यों आवश्यकता पड़ी ? मैं तो यह चाहूँगी कि एक बार अच्छी तरह सोच-विचार करना पड़ेगा और 'मेजोरिटी' शब्द निकालना पड़ेगा, नहीं तो सर्वोदय की मूलभूत भावना ही खत्म हो जाती है। सर्वोदय में तो यूनानिमस होना चाहिये। बहुमत में दो का भी बहुमत हो सकता है, एक का भी बहुमत हो सकता है तो इसमें गड़बड़ी होगी और फिर वही और जगहों की बुराइयां इसमें भी आवेंगी। सर्वोदय की भावना के अनुसार ग्राम सभा का निर्णय सर्व-सम्मत ही होना चाहिये।

इसके साथ ही छोटी ग्राम सभाएं, जहां दस-बीस घर के लोग होंगे। वहां पर भी कुछ शर्तें ऐसी रख दी हैं कि उसका मेम्बर भारत का नागरिक होना चाहिए। यह कानून की दृष्टि से ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रामदान आन्दोलन के प्रेरक विनोबाजी जब अपना भाषण समाप्त करते हैं तो जय भारत की बात करते हैं। विश्वबन्धुत्व की बात करते हैं और सारे संसार को एक मानकर चलते हैं। हम जानते हैं बहुत से विदेशी भी उनके साथ आते हैं। भूदान में दिलचस्पी लेते हैं और कभी कभी उनके मन में यह बात भी हो सकती है जब किसी भी ग्रामदानी गांव में बैठकर इस परीक्षण को देखें, परखें और इसका अध्ययन करें और इस दृष्टि से उनमें से कोई ग्रामदानी ग्राम में बैठे और क्रियात्मक रूप से समझना और अपने ढंग से उसे समझकर उसमें योगदान देने की दृष्टि से उसका मेम्बर बनना चाहे तो इस प्रावधान

(डा० चन्द्रकला)

से वह नहीं हो सकता मेम्बर । तो क्यों न इस धारा को हटा दिया जावे ।

इसके आगे ग्राम सभा को भंग करने का अधिकार सरकार ने अपने पास रक्खा है और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बनाई है । एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाना तो अच्छी बात है । लम्बी-चौड़ी ग्रामसभा होगी । सारे मेम्बरों से बैठकर सारे काम होना मुश्किल है इसलिये पांच या अधिक की एग्जीक्यूटिव बने तो यह कल्पना तो ठीक है । पर इसको भंग कर सकेगी सरकार जब भी चाहेगी तब तो इसलिये....

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : गड़बड़ी करेगी तो भंग तो होगी ।

डॉ० चन्द्रकला : सरकार ग्रामदानी गांव की कोई भी व्यवस्था में कोई भी कदम उठा सकती है पर इसमें मैं यह चाहती हूँ कि इससे पहले वह भूदान बोर्ड और ग्रामसभा की सलाह ले लिया करें, इसके बिना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, नहीं तो यह होगा प्रेसीडेन्ट से सरकार के चलाने वाले लोग नाराज हो गये, किसी बिना पर या पार्टीबाजी के नाम पर या गुट्टबाजी के नाम पर....

डॉ० बहादुरसिंह : नहीं करना चाहिये यह बात अलग है, पर कानून में तो यही होगा ।

डॉ० चन्द्रकला : तो इसी बिना पर या सरकार के सत्तारूढ़ दल के आदमी जैसे चाहें वैसा काम नहीं हुआ, तो तुरन्त हटाकर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया और प्रेसीडेन्ट के लिये कर दिया कि ३ साल के लिये वह चुनाव में नहीं खड़ा हो सकेगा । तो यह उचित नहीं है । प्रेसीडेन्ट को भी अगर चाहें तो भले ही हटा दीजिये, पर फिर चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता इस तरह की बन्दिश तो नहीं लगानी चाहिये, नहीं तो इसका राजनैतिक लाभ उठाया जावेगा ।

डॉ० बहादुरसिंह : गड़बड़ी करेगा तो क्या करेंगे ?

डॉ० चन्द्रकला : गड़बड़ी करेंगे ही नहीं, ग्रामसभा जो वहां है । फिर भी पहले उसकी राय ले ली जाय । भूदान बोर्ड को पूछ लिया जाय. यह मैं चाहती हूँ । इस पर विचार करना चाहिये तो अच्छा है ।

फिर इसे प्रवर समिति में भेजा जावे या न भेजा जावे इसका आग्रह नहीं है । पर जो बातें लगती हैं कि कठिनाइयां पैदा करेंगी तो उन पर विचार अवश्य करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : तो अपना विथड्रा कर लीजिये ।

डॉ० चन्द्रकला : जी नहीं, क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष : भेजा जावे या न भेजा जावे कहा न आपने ?

श्री पी के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ग्रामदान बिल है इसके सम्बन्ध में मैं समझता हूँ कि यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों की ओपीनियन इसके बारे में क्या है यह जानना जरूरी है । अभी हमारे देश में एक स्लोगन का राज्य चल रहा है ।

(श्री पी० के० चौधरी)

१९५४ में भूदान का स्लोगन लगाकर हमने भूदान एक्ट पास किया था और कहा जाता है कि हजारों एकड़ जमीन राजस्थान में भूदान में प्राप्त हुई। भूदान का हुआ, इसके बाद सुना सम्पत्तिदान आया। लोगों ने सम्पत्तिदान किया। फिर न जाने कौन कौन दान आये; बुद्धिदान आया, प्राणदान हो गया और आज ग्रामदान आया और प्राणदान और शुरू हो गया।

(हंसी)

ये सारे जो दान चल रहे हैं इस सम्बन्ध में लोगों को क्या जानकारी है, क्या उनकी ओपीनियन है, इसको जानने के बाद इसे यहां पेश करना चाहिये। इसलिये हमने रक्खा है कि कम से कम पब्लिक ओपीनियन को जानने के लिये इसे सर्कुलेट किया जावे।

जिस भूदान के आधार पर यह ग्रामदान बन रहा है उस भूदान ने आज तक क्या किया। इसके बारे में लोगों की क्या राय है। जो लोग भूदान नहीं कर सकते थे उनके लिये रक्खा फिर उन्होंने बुद्धिदान। जो बुद्धिदान भी नहीं कर सकते थे उनके लिये रक्खा सम्पत्तिदान, कुछ ने सम्पत्तिदान किया, जब वह नहीं बढ़ा तो एक नारा और लगाया प्राणदान देने का। सम्पत्तिदान, बुद्धिदान नहीं कर सकते तो प्राणदान करो।

(हंसी)

डॉ० बहादुरसिंह : प्राणदान नहीं, जीवनदान है।

श्री पी० के० चौधरी : जीवनदान प्राणदान एक ही बात है। तो ये जो ग्रेजुएल स्टेजेज हैं ये हैं। जिससे भूदान नहीं हो सका तो उन्हें कहा गया भूमिदान नहीं करते तो चलो सम्पत्तिदान दे दो। जमीन नहीं दे सकते तो सम्पत्तिदान कर दो। जिनसे सम्पत्ति देना नहीं बन सका उनसे कहा गया बुद्धिदान ही सही। इसका ही दान कर दो। चलो बुद्धिदान हो गया। इसके बाद आया

डॉ० बहादुरसिंह : बुद्धिदान होने के बाद बचा क्या ?

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : प्राणदान करो। जीवनदान कर दो। अब जीवन दान के बाद ग्रामदान आया है। इसलिये मुझे शंका पैदा होती है कि आया यह ग्रामदान आखिरी स्टेज में आया है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद शंका निवारण करके भाषण अपना शुरू करिये।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : यह भूदान से शुरू होकर, बुद्धिदान, सम्पत्तिदान, जीवनदान, प्राणदान और ग्रामदान तक आया है, जहां तक हम पहुंचे हैं। इसके सम्बन्ध में शंका पैदा होती है कि आज यह डिलूजन किस हद तक पहुंचा है।
डिल्यूजन लिमिट तक पहुंच गये हैं या नहीं। इस सम्बन्ध में हमें कम से कम पब्लिक ओपीनियन लेनी चाहिये और उसके बाद में इस बिल को पारित करना चाहिये।

(श्री पी० के० चौधरी)

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ग्रामदान है यह मेरी समझ में नहीं आता कि हम आखिर में क्या नक्शा बनाना चाहते हैं, यह मेरे दिमाग में नहीं बैठता है। एक तरफ तो हमने डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन का कानून पास किया है उसका काम तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसके पहले ही यह ग्रामदान आता है, ग्रामसभा आती है, यह और एक बला नई पैदा हुई है। राजस्थान में लैण्ड के ऊपर रोज नये नये कानून बन रहे हैं। रोजाना अमेन्डमेन्ट्स आते हैं। 'पीपुल आर एट ए लास' कि कौन सा कानून कब बना। अब दिसम्बर १९५८ में कोई कानून हमारी विधान सभा के पास किया उसके बारे में किसी ने मुझसे पूछा कि वह गजट में कहां पब्लिश हुआ है। वे कहते हैं कि उसकी कापी लाओ लेकिन मुझे नम्बर नहीं मालूम है तो रोजाना हम कानून बनाते हैं, इस तरह का लेजिस्लेशन लैण्ड के बारे में आज हमारे राजस्थान में चल रहा है। जो डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन का कानून आपने पास किया वह लोगों के दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि हम किस तरह से उसका प्रोपर उपयोग कर सकते हैं। उस कानून को अमल में लाने से पहले ग्रामदान बिल आया है फिर ग्रामसभा आती है जिसमें हम पंचायतों को भी खत्म कर देते हैं, दूसरे गांव का अध्यक्ष बना देते हैं। तो कोई भी लेजिस्लेशन या सिस्टम हम अपनायें तो उसको कम से कम बराबर ध्यान में रखना चाहिये और काम करने का मौका देना चाहिये। अब आपने डीसेन्ट्रलाइजेशन किया कम से कम उसका पूरा प्रयोग तो कर लेते फिर ग्रामदान को लाते। मैं खुद इस ग्रामदान का मतलब नहीं समझ सका हूं। कहीं इसका मतलब यह तो नहीं है कि ५० पर्सेन्ट लोगों ने किसी गांव में जमीन दान कर दी तो बाकी के जो ५० पर्सेन्ट बचते हैं उनकी जमीन भी एक्सप्रोप्रियेट हो जाती है। अगर इसका मतलब यही है तो फिर ग्रामदान और भूदान में क्या फर्क है? भूदान में एक आदमी अपनी लैण्ड होल्डिंग दान कर सकता है और ग्रामदान में वही बात होती है कि यह आदमी जमीन दान कर सकता है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि आधे आदमियों ने दान कर दी तो सबने ही दान कर दी। अगर इसका मतलब यह होता है तो यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जिस गांव में जमीन दान हो गई तो उस ग्राम को ग्रामदानी ही कहेंगे। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि वह ग्राम ग्रामदानी बन जाता है। तो यह सब हम राजस्थान को क्या नक्शा देना चाहते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इस बिल को विथड्रा कर लिया जाये और पब्लिक ओपीनियन ली जाये तो अच्छा रहे। डीसेन्ट्रलाइजेशन का कानून आपने पास किया है पहले उसको तो अमल में लाया जाये। दूसरी बात इसमें रखते हैं कि गांव का पार्टीशन करेंगे। ५० पर्सेंट जहां नहीं मिल सकेंगे तो उस गांव का टुकड़ा करेंगे और आधा तो ग्रामदानी बन जाये और दूसरा हिस्सा नहीं बने तो मैं समझता हूं कि यह एक कन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और उससे इफेक्ट होगा उन लोगों पर कि जो गांव में रहने वाले हैं जो कि आपके और मेरे जैसे पढ़े लिखे नहीं होंगे। यहां तो आप कानून बना देंगे उसका इफेक्ट किस के ऊपर कितना पड़ेगा वह हम नहीं जानते। बस एक बड़े आदमी ने स्लोगन दे दिया और उसके पीछे पागल हो गये मैं देखता हूं कि स्लोगन के पीछे पागल हो जाते हैं। पहले एक स्लोगन

(श्री पी० के० चौधरी)

आया था हिन्दी-चीनी भाई भाई और उनके पीछे लोग पागल हो गये और ऐसे स्लोगन से बहुत नुकसान हो जाता है। हमने सोशियेलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का स्लोगन दिया लेकिन इम्प्लीमेन्ट हमारा एक भी स्लोगन नहीं होता है। कानून हम बना देते हैं लेकिन उन पर हम अमल नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ कानून बनाने और स्लोगन के पीछे चलना और इम्प्लीमेन्टेशन में क्या क्या दिक्कत आ सकती है और लोगों के ऊपर उसका क्या असर होता है उसके ऊपर नहीं सोचते। विधान सभा में बैठकर भूमिदान, बुद्धिदान, सम्पत्तिदान और ग्रामदान सब कानून बना देते हैं। मैं समझता हूं कि इस चीज को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिये। हमें पहले भूदान का एक्सपीरियेन्स हुआ है, सम्पत्तिदान का हुआ है, बुद्धिदान और प्राणदान का तजुर्बा हुआ है उस सारे तजुर्बे को ध्यान में रखकर इस ग्रामदान के बारे में हम थोड़ा का रुककर चलें। हमारे माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने बहुत ऐतिहासिक कानून पास करवाये हैं उन्होंने सीलिंग का कानून पास किया है उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने मृत्यु भोज का कानून पास किया है उसके लिये भी वह धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन अगर यह ग्रामदान का बिल पास कर देंगे तो सारे पर पानी फिर जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो मेरा प्रस्ताव है कि उसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सरक्यूलेट किया जाये तो अच्छा रहेगा और मालूम भी हो जायेगा कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि इस समय लोगों के दिमाग में यह बैठा हुआ है कि यह कुछ नहीं है बल्कि एक स्लोगन है बैकवर्ड है जिससे लोगों को भुलावे में डालते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को आल कन्सीडरेशन में लिया जाये और इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्कुलेट कर दिया जाये। मैं मानता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने कमिट किया था जिस समय मैं खड़ा हुआ था कि वह इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करेंगे। I hope he will stick to his own words. With these words I take my seat.

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने इस विधेयक के संबन्ध में दो प्रस्ताव प्रस्तुत हुए एक तो यह है कि इस विधेयक को दोबारा सलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाये और दूसरे इसके ऊपर पब्लिक ओपीनियन मालूम कर ली जाये। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों प्रस्तावों का समर्थन नहीं करता बल्कि इस बिल का मूलतः विरोध करता हूँ। आज यह दूसरा कन्ट्रोवर्शियल विषय है जिसके ऊपर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा होना पड़ा है। मैं अपने विचार व्यक्त करूं उसके पहले यह निवेदन करना चाहूँगा कि अभी जिस प्रकार से संविधान के संशोधन के ऊपर बहस हुई थी और उस में कुछ शब्दों का माननीय मुख्य जी ने गलत अर्थ लगाया उस प्रकार के गलत अर्थ मैं सदन के माननीय सदस्यों से लगाने की अपेक्षा नहीं करता हूँ और इसलिए मैं यह चाहूँगा कि गलत अर्थ लगाने का कार्य करने से पहले यदि उनके सामने किसी प्रकार की गलती अन्डरस्टेंडिंग हो तो मुझसे उसको क्लेरीफाई करालें और वह रास्ता अच्छा नहीं रहेगा जो कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपनाया....

श्री उपाध्यक्ष : अभी यह प्रश्न तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : थोड़ा स्पष्टीकरण करना था। मैं यह निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश बाबू जयपुर पधारे थे। मैंने उनका भाषण सुना और सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि श्री जयप्रकाश बाबू सर्वोदयी व्यवस्था दा के द्वारा किस प्रकार की शासन पद्धति में विश्वास करते हैं। उन्होंने आज के शासन का एक अच्छा विवेकपूर्ण विवेचन करते हुए अपना परिवर्तन लाने को यवस्था दी थी। उस सब का सार जो मैंने उसमें निकाला है वह समझता हूं कि यही हो सकता है कि वह किसी की इच्छा के विपरीत कोई इस प्रकार के कार्य में विश्वास नहीं करते कि जिनके कारण किसी व्यक्ति की आत्मा को आघात पहुंच सके। मैंने यह विधेयक देखा और शुरू से अन्त तक इसमें जिस प्रकार के प्रावधान रखे गये हैं वह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जयप्रकाश बाबू ने जिस प्रकार की व्यवस्था देने के लिए भाषण दिया था उस व्यवस्था की भावना के बिलकुल विपरीत आचार्य विनोबा भावे ने इस संबन्ध में जितना साहित्य प्रकाशित करवाया उसमें से भी कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी है। और पढ़ने के बाद अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जिस समय इस सर्वोदयी व्यवस्था के अन्दर भूदान का प्रश्न प्रमुख रूप से लिया जा रहा था और उस प्रश्न के पीछे जो सारी बातें कही जा रही थी उन बातों में और अब ग्रामदान के लिए जो बैकग्राउण्ड बनाया जा रहा है और उस बैकग्राउण्ड के प्रिपेरेशन में जो बातें कही जा रही हैं उनमें सिद्धान्ततः रात दिन का अन्तर है। भूदान का मतलब यह है कि एक व्यक्ति अपनी जमीन का दान करे और दान करने के पश्चात् भूदान बोर्ड का यह अधिकार है कि दान की हुई जमीन को किसी भी व्यक्ति को दे दे जो व्यक्ति काश्त करके उस ज़मीन की पैदावार बढ़ा सके और साथ ही साथ अपने जीवन निर्वाह के लिए साधन जुटा सके। वहां पर भूदान एक्ट की बाकी की चीजों को छोड़ कर एक सिद्धान्त को मुख्य रूप से मानना पड़ेगा कि व्यक्तिगत रूप से किसी चीज का एलॉटमेंट किया जाय और व्यक्ति-रूप से किसी दुःखी के दुःख का निवारण किया जाय। जिस समय इसी विधान सभा में भूदान के विधेयक की चर्चा हुई थी उस समय शायद हमारे विभाग में न तो कोऑप-रेटिव्ज़ का प्रश्न था, न कल्टीवाइज़ेशन का प्रश्न था। उस समय एक प्रश्न था कि जो लोग दान कर सकते हैं उन दानियों से ज़मीन ली जाय और जिन लोगो तक पास में भूमि नही है उनको भूमि दी जाय ताकि अपना जीवन निर्वाह कर सके। अब ग्रामदान का दूसरा रूप आया। इसका मतलब यह है कि एक मौके पर व्यक्तिगत रूप के अन्दर इस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति का सिद्धान्त अपनाया था उस सिद्धान्त के प्रति जाकर अब हम सामूहिक रूप से उन सारी समस्याओं को दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं। अब वे समस्यायें क्या हैं वे इसमें छिपी हुई हैं। भूदान में केवल एक समस्या थी कि किसी के पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन दिलवाना ग्रामदान के पीछे यह नहीं है कि ज़मीन लेकर ऐसे लोगों को ज़मीन दे जिनके पास ज़मीन नहीं है, ग्रामदान का मतलब पूरी ज़मीन और ज़मीन के पूरे इन्ट्रेस्ट हैं वे सारे के सारे

(श्री भैरोंसिंह)

समाज के सामने समर्पित करें और समाज को वहां एक ग्राम सभा के रूप में सीमित किया है अब दोनों के पीछे मूल अन्तर है यह हमारे सामने आया है। भूदान लेते हैं ज़मीन तकसीम करने के लिए और ग्रामदान करवाते हैं ग्राम का एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में लेने के लिए। दोनों में मूल अन्तर है और उस मूल अन्तर के कारण पहले इसके अन्दर जो त्याग की भावना पनपाना चाहते हैं उस त्याग की भावना में मूल मतभेद पैदा होता है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि इस ग्रामदान के पीछे जहां हम एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में लेना चाहते है, जहां ग्राम की व्यवस्था हाथ में लेना चाहते हैं वहां वह मूलमन्त्र जिसके द्वारा लोगों का दुःख ज़मीन देकर दूर करना चाहते हैं वह अपने आप छुप जाता है। हमारी मन्शा यह है कि हम ग्राम की व्यवस्था लेना चाहते हैं, और व्यवस्था में खेती की व्यवस्था और बाकी पंचायत एक्ट के अन्दर व्यवस्था में ग्रामपंचायतों को अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करना शामल है। तो इसका मतलब यही हुआ कि रूस के कम्यून्स और चाइना के कम्यून्स के कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिवाइज़ेशन को देखें और श्रमदान की व्यवस्था की तुलना उससे करें तो विशेष अन्तर नहीं है। मैं कहता हूँ आज आप के ग्राम दान की रूस और चाइना के कम्यून्स हैं उनकी तुलना एक साथ की जा सकती। वह कहा जा सकता है कि रूस के कल्टीवाइज़ेशन में थोड़ा सा फोर्स से ज्यादा प्रमुख काम करता है। वहां पर हर चीज़ फोर्स से की जाती है और यहां पर हर चीज़ वालन्ट्री एक्शन से की जाती है। यह थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। आगे की जितनी व्यवस्था है वह सारी की सारी उन्हीं लाइन्स की हैं जो इसके कम्यून्स की या चाइना के कम्यून्स में होती है. कलेक्टिव फार्मिंग में होती है और कलेटिवाइज़ेशन में होती हैं।

अब प्रश्न यह आता है कि वहां पर ज़मीन सरेन्डर फोर्म से कराई जाती है और यहां पर वालन्ट्री। तो कम्यूनिस्ट और इस व्यवस्था में क्या अन्तर है वह अन्तर मैं सदन को बताना चाहूँगा। हमारे देश के अन्दर आचार्य विनोबा भावे ने काफी भ्रमण किया है। सब जगह उनका स्वागत किया गया है। स्वागत करने के साथ साथ लोगों ने भूमि का जमीन का और ग्रामदान का भी किया। ग्राम दान हो गया मैंने कुछ गांवों में जाकर और आचार्य विनोबा भावे के दौरे से मैं ऐसा समझता हूँ कि ज्यादा दिन नहीं बल्कि ७,८ दिन ही उदयपुर डिवज़न के कुछ गांवों में जाकर वहां पर इस स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि लोगों में इस प्रकार त्याग की भावना किस प्रकार आचार्य विनोबा भावे जेनेरेट करते हैं, इन गुणों को जाकर भी समझ और इन गुणों को प्राप्त करने की दृष्टि से और इस ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से मैंने तीन गांवों का दौरा किया। इन तीनों गांवों में पहुंचना और पहुचने पर गांव के लोगों से मालूमात की, कि त्याग की भावना किस प्रकार से पैदा हुई है, आचार्य विनोबा भावे के भाषण से पैदा हुई है या उनका साहित्य पढ़ा है उससे पैदा हुई है या देश के सामने जोमुश्किलें आ रही हैं उनसे प्रभावित होकर यह सारी चीजें प्रभावित हुई। लोगों से पूछा कि ग्रामदान करने के लिए लोगों ने उनके साहित्य को पढ़ा है तो जिन्होंने ग्रामदान किया

Page No.70

(श्री भैरोंसिंह)

वे अनपढ़ हैं तो मेरे दिमाग में यह चीज आई कि साहित्य के भाव से या साहित्य के पढ़ने के कारण से यह विचारधारा इनमें पनप नहीं सकती, तो फिर ऐसी चीज़ उनके दिमाग में कैसे पनपाई गई ? संभवत: उनका भाषण सुनने के बाद उनके मस्तिक में इस प्रकार की बात पैदा हुई होगी, लेकिन मालूम हुआ कि उनके यहां पधारने से १५ दिन पहले ही कह दिया कि उस प्रकार की व्यवस्था होगी कि ग्रामदान होगा। तो वह चीज भी मेरे दिमाग में आई कि उनके भाषण से प्रभावित होकर नहीं हुआ है। ग्रामदान दूसरे कारणों से किया गया है। फिर लोगों से पूछा कि भाई, ग्रामदान क्यों किया ? जो मुखिया-मुखिया व्यक्ति थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने बताया कि मुख्य मुख्य व्यक्ति हमारे पास आये और उन्होंने बताया कि ग्रामदान करने से हमारे यहा प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनेगी, हमारे यहां आयुर्वेदिक औषधालय खोला जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय सदस्य उन गांवों के नाम तो बतलायें कि जिनके लिये आप कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : बता रहा हूँ, तसल्ली रखें। सभी बताऊंगा।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : व्यक्ति का भी नाम बता दें।

श्री भैरोंसिंह : व्यक्ति का अच्छा नहीं है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि फिर मैंने उनसे पूछा, भाई, और क्या क्या बताया था ? तो उन्होंने कहा कि रोड से लिंक कर दिये जाओगे, प्राइमरी स्कूल खुल जायगा, आयुर्वेदिक औषधालय खुल जायगा, तुम्हारे बच्चों को स्कालरशिप मिल जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : Name of the village has become important because to controvert your argument, the other side will like to have the name.

श्री भैरोंसिंह : बताऊंगा। एक चीज का नहीं सब का।

डा० चन्द्रकला : एक का ही बता दें।

श्री भैरोंसिंह - एक का तो बनस्थली के पास ही बतला दूंगा।

डा० चन्द्रकला : वनस्थली में ग्रामदान नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं निवेदन कर रहा था तो उस सारी स्थिति के अन्दर, उस बेकग्राउन्ड पर विचार करना पड़ेगा कि आज इस प्रकार के व्यक्ति जो इस त्याग की महिमा को नहीं समझते और त्याग की महिमा को समझे होंगे और समझने के बाद सारे रिटर्न्स मिलने वाले है, उन रिटर्न्स के कारण से उन्होंने इस सारी स्थिति को लाभदायक समझा होगा और लाभदायक समझ कर उन्होंने उसे दान किया होगा। उसे दान कर दिया लेकिन इस बिल में एक व्यवस्था की जा रही है कि उसका अधिकार, जिस तरह से जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने बताया कि ५८ ५० पर्सेन्ट जमीन का डोनेशन हो गया और वहां के ८० पर्सेन्ट एडल्ट्स ने इसके लिये स्वीकृति दे दी तो उस गांव का ग्रामदान हो

(श्री भैरोंसिंह)

जाता है, इसे स्वीकार कर लिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझ नहीं पाया कि यह फोर्स या कोअर्शन दोनों में से आता है या नहीं। मैं कहता हूँ कि यह फोर्स और कोअर्शन दोनों में ही आ गया। वहां के ८० पर्सेन्ट एडल्ट्स ने कह दिया कि हम डोनेट करते हैं तो बाकी जो २० पर्सेन्ट लोग बचते हैं उनसे फोर्सिबली लेने की व्यवस्था करते हैं। हमने व्यवस्था की है लगान वसूल करने की, लगान कौन वसूल करेगा ? लगान वसूल करेगी ग्राम सभा। ग्राम सभा को लगान वसूल करने का अधिकार दिया है। वह ग्राम सभा उन २० पर्सेन्ट से भी लगान वसूल करेगी जिन पर फोर्सिबली इसे लागू किया जा रहा है, अधिकृत रूप से उस ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा करेगी। ग्राम दान या भूदान जिसे ८० पर्सेन्ट लोगों ने मन्जूर किया उनके लिये तो यह व्यवस्था ठीक है लेकिन बचे हुए २० पर्सेन्ट पर कानून के जरिये जबर्दस्ती यह व्यवस्था लादी जा रही है तो मैं समझता हूँ रूस के कम्यून्स और चाइना के कम्यून्स में जो काम फोर्सिबली किया जा रहा है वही काम राजस्थान में सरकार या विनोबाजी के नाम से २० पर्सेन्ट लोगों से फोर्सिबली कराने की व्यवस्था की जाती है और धीरे धीरे जनता पर फोर्स एक्ससाईज करने की बात में और इसमें कोई अन्तर नहीं है। एक तरफ यह कहा जाय कि हम ऐसी व्यवस्था लाना नहीं चाहते और दूसरी तरफ इस प्रकार का प्रावधान रखा जाय जिससे इस प्रकार की व्यवस्था मिलती है, राजस्व मन्त्रीजी अच्छी तरह से समझते होंगे कि हम सरकार के बीच में और दूसरे काश्तकारों के बीच में मध्यस्थता की जो प्रणाली है उसको समाप्त करना चाहते हैं। सदन में कई बार जागीरदारी जिस समय खत्म हो रही थी, कानून बन रहा था और जमींदारी एबोलिश करने का जिस समय प्रश्न आया था उस समय कई उत्तेजनात्मक भाषण यहां पर हुए थे कि जागीरदारों को खत्म किया जाय, जमींदारों को तुरन्त खत्म किया जाय और इसलिये खत्म किया जाय कि हम काश्तकारों और सरकार के बीच में मध्यस्थता की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। मैं आज इस प्रकार के उत्तेजनात्मक भाषण करने वालों से पूछूंगा कि जागीरदारों और जमींदारों की मध्यस्थता आपको स्वीकार नहीं थी, उसके कई कारण थे, लेकिन आज आप फिर ग्राम सभा के रूप में यह चाहते हैं कि किसानों और सरकार के बीच में मध्यस्थता की व्यवस्था रहे और किसानों का सीधा सम्बन्ध सरकार से न रहे, इसका क्या कारण है ? मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की भावना में बहने वाले, इस प्रकार का विचार रखने वाले और इस प्रकार की ठोस इकॉनोमिक पॉलिसी बनाने वालों में से कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा कि हम मध्यस्थता को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये इसे जागीरदारी और जमींदारी सिस्टम के नाम से नहीं बल्कि ग्रामदान के नाम पर लाना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन के माननीय सदस्य ने इस बात को अच्छी तरह से देखा होगा कि जागीरदारी और जमींदारी किस प्रकार से स्थापित हुई ? अंग्रेजों के समय में किसानों से लगान वसूल करने का एक विकट प्रश्न था उसका समाधान किस प्रकार से किया जाय यह उनके सामने एक समस्या थी। जो रेंट कलेक्शन का मामला था उसकी व्यवस्था वैसे नहीं कर पा रहे थे।

(श्री भैरोंसिंह).

इसलिये उन्होंने सोचा कि इसका कान्ट्रेक्ट दिया जाय और उसी कान्ट्रेक्ट बेसिस पर जमींदारियों की स्थापना हुई । आज मैं समझता हूँ कि जो कान्ट्रेक्ट पर जमींदारियां थी उनको आगे जाकर जमींदारी के राइट एक्वायर हो गये और वे उनके मालिक बन बैठे । आज वही समस्या हमारे सामने आ रही है । ग्राम सभाएं अच्छी भावना के नाते स्थापित की जा रही हैं लेकिन ये ही ग्राम सभाएं धीरे धीरे जाकर सर्व सत्ताधारी बन गईं और उन्होंने अपने अधिकार एग्ज़ीक्यूटिव को दिया और एग्ज़ीक्यूटिव ने अपने प्रधान को सभी अधिकार दिये तो वे प्रधान के अधिकार जो एग्ज़ीक्यूटिव के अधिकार हैं या ग्राम सभा के अधिकार हैं वे ग्राम सभा से एग्ज़ीक्यूटिव में और एग्ज़ीक्यूटिव से प्रधान के पास जाते हैं तो उसका मतलब यह है कि हो सकता है आगे जाकर गांव में फिर जमींदारी या जागीरदार नहीं बल्कि उनके समानान्तर दूसरी व्यवस्था कायम करके एक आदमी के हाथ में सत्ता कायम करना चाहते हैं । यह बात सही है कि ग्राम सभा की एग्ज़ीक्यूटिव और उसके प्रधान इलेक्टेड होंगे लेकिन आज इलेक्शन के जरिये इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं तो व्यक्ति विशेष के हाथ में इस प्रकार के अधिकार आयेंगे और जब व्यक्ति विशेष के हाथ में अधिकार आते हैं तो आज जो व्यवस्था चल रही है उससे भिन्न रूप नहीं होगा बल्कि जो अनुभव किया है उसके आधार पर कहना चाहता हूं कि यदि गांवों का संपूर्ण शासन एक आदमी के हाथ में चला जाता है तो वहां रहने वाली जनता की क्या हालत होगी, यह सब जानते हैं ।

आज यह कहा जाय कि २० घर वालों का ग्रामदान होगा, इतने लोगों ने कह दिया कि हम ग्रामदान में भूमिदान देना चाहते हैं । उनमें ऐसे घर भी हो सकते हैं जिनके पास ५ बीघा जमीन हो या ७ बीघा या ८ या १० बीघा जमीन हो । अब कम भूमि वाले इस प्रकार का विचार कर लें कि हम इस प्रकार की मेजोरिटी बनावें, जिससे हम काम्पेक्ट एरिया बना सकें । इस नाते माइनोरिटी वाले ग्रामदान करदें और ऐसा कर दें जिसमें ४, ५ आदमी हों जो गांव के मालिक हों वे इसमें लाजिमी तौर से शामिल हों और हम उन पर अधिकार कर लें । कुछ आदमियों की जमीन हथियाने के लिये २० आदमी दूसरों की जमीन हड़पने की चेष्टा करें तो इसके लिये ग्रामदान या भूमिदान सब से सुलभ रास्ता है । इसके अनुसार कर सकते हैं ।

आज गांवों में, लोग माने या न माने, लेकिन भूदान के अन्दर अक्सर लोग भूदानी नेताओं के प्रयास के कारण, उनसे सहानुभूति रखने के लिये, अपना प्रभाव स्थापित करने के लिये इस बात की चेष्टा करते हैं कि जितने डिस्प्यूटेड लैंड के झगड़े होते हैं, गोचर के बारे में, पड़त भूमि के बारे में, खातेदारी के बारे में या बेदखली के बारे में जो झगड़े होते हैं तो उस प्रकार की जमीन से और झगड़े से मुक्ति प्राप्त करने का सबसे सुलभ जरिया यह है कि भूदान के जरिये लोगों की जमीन दे दे । भूदान में जमीन देने पर त्याग और दान का प्रश्न हो जाता है इसलिये इसका विरोध करने वालों को गालियां पड़ती हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता ।

ऐसी स्थिति में इसमें कुछ ऐसे खण्ड हैं, जिनमें से एक खण्ड का उल्लेख मैं यहां पर करूंगा, (२) खण्ड (ए) ।

(श्री भैरोंसिंह्)

'Act to have overriding effect: The provisions of this Act shall have effect notwithstanding any-thing to the contrary contained in any other law for the time being in force.'

इसका मतलब यह हुआ कि इस कानून के लागू होने पर या इसके अमल में आने पर या इसको अमल में लाने के लिये यह कानूनी रूप से स्वीकार करना होगा और उसके विपरीत यदि कोई भी पहले का कानून बना हुआ है तो उस कानून का असर इस पर कुछ नहीं हो सकेगा। मैं बाकी कानूनों का उल्लेख नहीं करूंगा लेकिन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का निश्चित रूप से उल्लेख करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें परिभाषा दी है 'ओनर' की और आगे स्वीकार किया है कि जमीन का ओनर होता है वह जमीन डोनेट कर सकता है। ओनर दो तरह के रखे हैं

" 'Owner' in relation to any land means—(i) in the case of land which is not held by a khatedar tenant, the landholder and (ii) in the case of land which is held by a khatedar tenant, such tenant."

इसका मतलब यह हुआ कि या तो खातेदार टिनेन्ट अपनी भूमि का दान दे सकता है और यदि खातेदार टीनेन्ट नहीं है तो लैंड होल्डर डोनेट कर सकता है। मोटे रूप से देखें तो इन दोनों में कोई मतभेद नहीं दिखता, त्रुटि नजर नहीं आती। लेकिन अगर कोई यह कह दे कि डिस्प्यूटेड काश्कारी है, कोई जमीन किसी सब टीनेन्ट के पास, जिसको छुड़ा नहीं सकते, जिसको इजेक्ट नहीं करा सकते, उस सब टीनेन्ट की जमीन को खातेदार या लैंड होल्डर डोनेट कर देता है, तो सब-टीनेन्ट का क्या अधिकार है। उसका अधिकार था टिनेन्सी एक्ट में उसके अधिकार के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उसमें प्रावीजन्स थे, उनको ओवर राइड करते हुए लैंड होल्डर को, खातेदार को अधिकार दे दिये कि सब-टीनेन्ट की झगड़े वाली जमीन को डोनेट करना चाहे तो कर सकता है। अब इस डोनेशन के बाद एक व्यवस्था रखी है कि डिक्लेरेशन होगा और डिक्लेरेशन होगा क्लॉजेज (३)(४) के अन्तर्गत, कुछ टाइम प्रेसक्राइब किया है, उसके बाद वह डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन के बाद प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी के सामने जायगा, उसके बाद ऑब्जेक्शन सुने जायेंगे। उसके बाद लिखा है :

'either confirm the declaration or refuse to cenfirm it.'

पांचवे में लिखा है :

'Any person aggrieved by an order of the prescribed authority under sub-section (4) may file an appeal to the authority prescribed in this behalf within thirty days of the date of order and subject to the decision on such appeal, the order of the prescribed authority shall be final.'

अब प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी क्या है ? इस समय, मैं समझता हूँ कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी के सिवाय दूसरा नहीं जानता हो। मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस तरह हमने भूदान बोर्ड बना रखा है और भूदान एक्ट के अन्तर्गत कुछ अधिकार दे रखे हैं, उसी तरह ग्रामदान बोर्ड बनाये और अगर न बनाये तो प्रेसक्राइब्ड ऑथोरिटी भूदान बोर्ड

(श्री भैरोंसिंह)

को बना दे। जो ग्रामदान के सम्बन्ध में डिस्प्यूट पैदा होते हैं, उनकी अपील भूदान बोर्ड को रेफर की जायगी और भूदान बोर्ड में, मैं समझता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, त्यागी लोग रहते हैं, बहुत त्यागी होते हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनको टीनेन्सी एक्ट का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होता है, लेकिन त्यागी के लिए आवश्यक नहीं है कि वह इस प्रकार कानूनी पचड़े में पड़े। वह भावना का मूल्यांकन करता है, कानून का मूल्यांकन नहीं करता है। भावना किस प्रकार की है, त्याग करने वाले की भावना के लिए वह बेरोमीटर हो सकता है और उस बेरोमीटर से सारे के सारे जजमेंट होंगे। मैं चाहता हूँ कि वह बेरोमीटर न हो, भावनात्मक दृष्टि से जजमेंट न हो। अब तक जिस कानून के जरिये किन्हीं व्यक्तियों को प्रोटेक्शन दिया है, उस प्रोटेक्शन के एश्योरेन्स को किस प्रकार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए कम से कम यदि हम सब-टीनेन्ट की जमीन को डोनेट करने का अधिकार देते हैं, तो ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि किसी रेवेन्यू ऑथोरिटी के सामने जाकर अपील दायर करके वह जजमेंट प्राप्त कर सकें। मैं समझता हूं, जो राजस्व मन्त्रीजी जानकारी देंगे, उसके बाद और कुछ बातें कही जा सकती है, पहले कहना ज्यादा अच्छा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : I intend to adjourn the House at 4, and I therefore request the Hon'ble member to be brief now.

श्री भैरोंसिंह : वह चार बजे होगा, कल भी चल रही है, इसके ऊपर कल भी चलेगी बहस। यह एक महत्वपूर्ण बिल है।

श्री उपाध्यक्ष : कल उसके संशोधन चलेंगे। आज इसकी डिबेट समाप्त हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह : कल पास करना है, पास किसी सूरत में कर देंगे।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इसी सूरत में कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरों को मौका नहीं देंगे।

श्री भैरोंसिंह : दूसरों को मौका दें, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं दुबारा नहीं बोलूंगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a Point of information, Sir, I will like to know whether some V.I.P. has expired ?

श्री उपाध्यक्ष : I am not in possession of any such information.

श्री भैरोंसिंह : अच्छा होगा अगर वी. आई. पी. का नाम बता दें।

श्री पी० के० चौधरी : I will like to know.

श्री उपाध्यक्ष : Let us proceed on with the debate.

श्री पी० के० चौधरी : I will like to know, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Atleast the adjournment is not in connection with the information.

Page No.75

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : It may be verified.

श्री पी० के० चौधरी : In that case the House may like to pass some resolution in mourning.

श्री उपाध्यक्ष : I have no information. Please proceed on with the debate.

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि उस स्थिति के अन्दर माननीय राजस्व मन्त्रीजी के कहने पर यह पता लगेगा कि उसमें किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की यह कन्ट्रोवर्सी चल रही है, यह समाप्त हो जाय तो अच्छा होगा। यह मौत तो मेरे दिमाग पर असर कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : वह हो जायगा।

डा० बहादुरसिंह : आप मूव कर दें।

श्री पी० के० चौधरी : मैं मूव क्यों कर दूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप फर्मायें....

श्री भैरोंसिंह : एक झगड़ा चल रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : There is no information with me.

श्री पी० के० चौधरी : I have got that information.

श्री उपाध्यक्ष : Are you convinced about the reliability ?

श्री पी० के० चौधरी : Yes, Sir. Dr. Pattabhi Sitaramayya, Ex-Governor, Madhya Pradesh has expired this morning.

डा० बहादुरसिंह : गवर्नमेंट को मालूम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : I cannot take note of it. You will proceed on with the debate.

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति के अन्दर मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामदान के विषय में हमें थोड़ी गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा....

श्री उपाध्यक्ष : इतना तो विचार किया है आपने।

श्री भैरोंसिंह : एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान में बताया कि जो अब तक ग्रामदान हो चुका है, उस ग्रामदान के विषय में इस प्रकार की व्यवस्था न रखी जाय, जिस व्यवस्था के द्वारा उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और डिक्लेरेशन की जांच करवानी पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ऐसा जो प्रावधान रखा गया है, वह बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है और उन सब ग्रामदानों को, जो अब तक हो चुके हैं, उन सारे ग्रामों को एक मौका देने के लिये....

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं एक बात माननीय सदस्य से जानना चाहूँगा कि इस कानून में कहां इस बात को उठाया है कि जो सब टीनेन्ट होंगे, बावजूद इसके कि

Page No.76

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उनको टीनेन्सी एक्ट में कुछ अधिकार मिल गये हैं, उनकी जमीन को ग्रामदान में देने का खातेदार को अधिकार रखा है।

श्री भैरोंसिंह : डिस्प्यूटेड....

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि टीनेन्सी अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार जो सब टीनेन्ट १५ अक्टूबर, १९५५ को सब टीनेन्ट था, वह ऑटोमेटिकली खातेदार काश्तकार हो गया। They are on more sub-tenants after 15th August, 1959. फिर आप कौन से सब टिनेन्ट के लिए कह रहे हैं जब कि सबटीनेन्ट के इन्ट्रेस्ट को टीनेन्सी एक्ट के अनुसार प्रोटेक्ट कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : सब टीनेन्ट के डिस्प्यूटेड केसेज हैं, उनके बारे में मैंने कहा, मैंने डिस्प्यूटेड केसेज का नाम लिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : डिस्प्यूटेड चीज रहती नहीं, सब-टीनेन्ट थे वे ऑटोमेटिकली खातेदार हो गये।

श्री भैरोंसिंह : बहुत से केसेज चल रहे हैं, कोर्ट में केसेज चल रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी बगल में लायक वकील बैठे हैं आप उनसे पूछ लें। जो मुकदमे चल रहे हैं, उनमें जो ट्रान्सफरी है। He will take place of the transferer; यह कानून है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह कानून ओवर राइड कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : वह कानून ओवर राइड कर दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह नहीं हुआ है। वह जनरल-लॉ है और वह रहेगा। कोई ओनर है, उसका राइट डिस्प्यूटेड है, उसे लैंड होल्डर कहिये या खातेदार कहिये, वह डिस्प्यूटेड राइट का ट्रान्सफर करता है, तो बाद में ट्रान्सफरी उसकी जगह सब्स्टीट्यूट हो जायगा। किसी मुकदमे में यह हुआ कि ट्रान्सफरी के हक में नहीं हुआ तो वह जमीन निकल जायगी और ग्रामदान में नहीं रहेगी। इसमें डिफीकल्टी की बात नहीं है, ओवर राइडिंग का मामला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ओवर राइडिंग का मामला नहीं है, माननीय मन्त्रीजी ने कह दिया। जितने केसेज सब-टीनेन्ट के कोर्ट में चल रहे हैं, उनके स्टेटिस्टिक्स तैयार करें। खातेदारी राइट के लिए कोर्ट में कितने केसेज चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने चल रहे हैं, रेवेन्यू बोर्ड में कितने केसेज चल रहे हैं, उनकी जानकारी करें, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के केसेज की संख्या कम नहीं होगी। जो टिनेन्सी एक्ट है, उसके प्रोवीजन को ओवर राइड करने का प्रोवीजन रखते हैं तो डिस्प्यूटेड केसेज का क्या होगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : टिनेन्सी एक्ट में डिस्प्यूटेड केसेज के लिए क्या प्रोवीजन है, वह बतायें।

श्री भैरोंसिंह : ओवर राइड कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : डिस्प्यूटेड केसेज के लिए क्या प्रोवीजन है?

श्री भैरोंसिंह : ऐसे डिस्प्यूटेड केसेज हों, जिसमें एक कहता है कि खातेदार मैं हूं, दूसरा कहता है खातेदार मैं हूं। खातेदार को आपने ओनर माना है, उसको डोनेट करने के लिए अधिकार दिया है। उस स्थिति में जो यह देखता है कि मैं मुकदमे में जीत नहीं सकता, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह डोनेट कर दे। आपने टीनेन्सी एक्ट के प्रोवीजन को ओवर राइड कर दिया है। अब जो डिस्प्यूटेड मामले हैं सब टिनेन्ट के, उनकी क्या पोजीशन रहती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सलाह करलें। आपके पास वकील बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह : सब देख लिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कह रहा हूं कि सलाह कर लें।

श्री भैरोंसिंह : मेरे को सलाह करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रेजरी बेन्चेज में जो बैठे हैं उनसे सलाह करके वापिस आये।

श्री उपाध्यक्ष : I drop that issue. Please proceed with the debate.

श्री भैरोंसिंह : सलाह करने की बात आती है, तो जिस तरह वे सरकारी अधिकारियों से सलाह लेते रहते हैं........

श्री उपाध्यक्ष : You proceed on with the debate, please.

श्री भैरोंसिंह : इसमें कोई कानून नहीं है कोई प्रावधान नहीं है कि ग्रामदान में देने के बाद और फैसला देने के बाद जमीन वापिस दे दी जायगी। कौन सा प्रावधान है इसमें जमीन वापिस देने का। आज खातेदारी डिस्प्यूटेड है और ओनर के हक में डिसाइड नहीं होता तो कौन सा प्रावधान है जिससे जमीन दे दी जायगी, इसमें कोई व्यवस्था नहीं हैं।

मैं अब इस प्रसंग में नहीं जाता पर जो मुख्य बातें इस कानून में मुझे बहुत आपत्तिजनक ध्यान में आती हैं उनकी ओर सदन का ध्यान खास तौर से आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें कुछ बातें विशेष तौर पर ग्राम की व्यवस्था को ले कर की गई हैं, वह व्यवस्था इस प्रकार की है, जिस व्यवस्था पर हर व्यक्ति को आपत्ति हो सकती है। जहां तक कि पंचायत एक्ट के अन्तर्गत जितनी सुविधायें या प्रशासनिक अधिकार उस ग्राम सभा को मिलेंगे, ओटोमेटिकली मिलेंगे, क्योंकि उसकी व्यवस्था के अनुसार ग्रामदान के कारण से जो काम अलग से निकल जायेंगे उस ग्राम के अन्दर उस पंचायत का अधिकार जो उस समय तक था वह सारा पंचायत का अधिकार ग्राम सभा को मिल जायगा और उसके अन्तर्गत वह ग्राम सभा काम करेगी।

इसके बाद भूमि के अलॉटमेंट की व्यवस्था की है, अलॉटमेंट ग्राम सभा करेगी और ग्राम सभा को अधिकार दे दिया है इजेक्टमेंट का और उसमें प्रोविजन कर दिया कि जो भूमि डोनेट करता है। उसके सम्बन्ध में रूल्स बनाये जायेंगे कि उनको भूमि का अलॉटमेंट कैसे किया जायगा। ये तीनों चीजें जिस दृष्टि से रखी हैं अपने विचार इस विषय पर व्यक्त करना चाहता हूं, वह विषय है हमारी सरकार की गलत नीति। वह नीति है, किसान की भूमि उसके पास रहेगी, इस बात की गारन्टी, गारन्टी

(श्री भैरोंसिंह)

के सिद्धान्त को इसलिये स्वीकार किया है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर किसान का नहीं रहता है तो प्रोडक्शन में कमी आती है, जिसका हमारे देश की खाद्य नीति पर असर, बुरा असर पड़ता है। एक तरफ सरकार कहे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर किसान का रहेगा, जितने लैंड रिफॉर्म्स के कानून बनाते हैं उनमें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का ख्याल रखा जाता है औरदूसरी ओर हम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का ख्याल रखे बगैर उस प्रकार का कानून बनायें कि जब चाहा जिसको चाहा इजेक्ट कर दिया, जब चाहा, जिसको चाहा बीच में से निकाल दिया, जब चाहा जिसको चाहा अलॉट कर दिया और फिर प्रोडक्शन में वृद्धि करना चाहें तो हमारे देश में एक भयंकर स्थिति पैदा होगी, जितने कानून हमने बनाये हैं उन पर पानी फेरने की कोशिश करेंगे और जो संरक्षण किसानों को दिया है, उस संरक्षण को उनकी भावनाओं को इस प्रकार से उभाड़ कर वापिस उनसे वे सारी चीजें छीनना चाहते हैं, जो उन्हें हमने उन कानूनों के द्वारा आज तक दी हैं। आज हर आदमी यह चाहता है कि किसान को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना आवश्यक है। पर यहां हमने ग्राम सभा को इजेक्टमेंट का अधिकार दे दिया है तो वैसे सिद्धान्त के रूप में कहा जा सकता है कि किसान की जमीन नहीं है, किसान ने सारे अधिकार जो उसको अपनी जमीन पर थे, ग्रामदान के नाम पर सरेन्डर कर दिये हैं। मैं कहता हूं यह आधार रूप में गलती है, जमीन की प्रोप्राइटरशिप और दूसरी चीज की प्रोप्राइटरशिप के सिद्धान्त में बड़ा भेद है, एक राइट प्रोडक्शन में वृद्धि करता है और दूसरा प्रोडक्शन पर असर नहीं करता। जमीन पर प्रोप्राइटरशिप का अधिकार इसलिये देना चाहते हैं कि किसान उस भूमि को अपनी भूमि समझ कर ज्यादा से ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट करे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाये। जमीन के मामले में किसान की भावनाओं को उभाड़े जाने के कारण किसान भावनात्मक दृष्टि से प्रोप्राइटरशिप का अधिकार ग्राम सभा को दे दे तो जो सिक्योरिटी फील करके, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट करके उसने प्रोडक्शन को बढ़ाया है वह भावना उसमें फिर नहीं रहेगी। उसके बजाय उसमें यह भावना रहेगी कि जमीन समाज की है तो भूख भी समाज की है और सब चीजें समाज की हैं और इस प्रकार वह अपनी उस रेस्पोंसिबिलिटी से भी बचेगा जो सामाजिक दृष्टि से उस पर इम्प्लाइड है।

ग्राम सभा को इजेक्ट करने और अलॉट करने का अधिकार देने की व्यवस्था कर रहे हैं, वह अब तक जितने कानून हमने बनाये हैं उस भावना के खिलाफ है और इस भावना का हमारे देश के मोटे मोटे रिसोंसज पर बुरा असर पड़ेगा।

जमीन किसानों की न रह कर समाज के नाम पर सरकार के हाथों में चली जाय तो बिलकुल वही समाजवादी व्यवस्था हुई समाजवादी व्यवस्था और इससे इसमें कोई अन्तर नहीं। एक तरफ कह दिया जायगा कि इलेक्टेड व्यक्तियों के हाथों में सारी व्यवस्था दी जा रही है और दूसरी तरफ सरकार अपने हाथ में इस प्रकार के अधिकार लेकर किसी प्रकार की अनियमिताओं के होने पर उन ग्राम सभाओं को भंग किया जा सकता है, सरकार भूमि के सारे अधिकारों

(श्री भैरोंसिंह)

को अपने हाथ में ले लेने का प्रावधान रख रही है। तो इस तरह धीरे धीरे धीरे यह सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में जाती है, है, इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। इसमें रखा गया है कि यदि ग्राम सभाओं की शिकायतें हों तो उनको भंग किया जा सकता है और किसी प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी को सरकार नियुक्त कर सकती है। आज कल हमारी सरकार तहसीलदार नायब तहसीलदार और गिरदावरों के अलावा किसी और प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी में विश्वास नहीं करती। हिसाब की गड़बड़ी, अलाटमेंट और इजेक्टमें के मामलों में गड़बड़ी का सवाल लेकर ग्राम की व्यवस्था को सरकार अपने हाथ में ले सकती है और इस तरह यह व्यवस्था समाज के हाथों में न होकर व्यक्ति के हाथों में चली जा सकती है। इस स्थिति में ग्राम सभा को आगे कर दिया और प्रेस्क्राइब्ड आथोरिटी के हाथों से बैक डोर सरकार इन ज़मीन के अधिकारों को अपने हाथों में लेना चाहती है। वही समाजवादी व्यवस्था है, उसमें और इसमें कोई अन्तर नहीं, सरकार इलेक्टेड आथोरिटी के आधार पर रूस वालों की तरह अपने साथ में यह अधिकार लेना चाहती है। रूस वालों के तरीके में यह अच्छा तरीका है। ज़मीन किसान की न रहे, यह इस रूप में स्वीकार कराना।

इस लिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल में मूल रूप से जो बातें गलत रखी गई हैं उनके कारण मैं इसका विरोध करता हूँ।

दो गांव डूंगरपुर में हैं, एक गांव का का नाम तिलियाणा है ...

श्री बालमुकुन्द (डूंगरपुर) : तिलियाणा गांव हमारे यहां कोई है ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह : तिलियाणा या किलियाणा गांव है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ये कह रहे हैं कि कोई नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तिलियाणा गांव है, छोटी ढाणियां भी हो सकती हैं, ये कह दें तो क्या हुआ। एक गांव तिलियाणा या कल्याणा है और दूसरा देरावली है।

३ म० प०

श्री उपाध्यक्ष : ये नाम देना, नहीं देना है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास लिस्ट है। ये नाम उस लिस्ट में से हैं जो आचार्य बिनोबा जी भावे को सबमिनिट की है। उसमें इसका नाम है।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : भावेजी के साथ आप भी गये थे।

श्री भैरोंसिंह : मैं नहीं गया था। आप ही बहुत थे जाने वाले मेरा नम्बर ही नहीं आया। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूँ कि....

श्री दामोदरलाल व्यास : एक तो मैंने गांव नोट कर लिया, तिलयाणा या कल्याणा जो भी हो। दूसरा क्या बताया आपने ?

श्री भैरोंसिंह : दूसरा देरावली है। इस सारी स्थिति को देखते हुए हमें इस प्रसंग पर विचार करना होगा कि आज जो हमारी

Page No.80

(श्री भैरोंसिंह)

किसानों के हित के लिये घोषित नीति के विपरीत जाता है या नहीं और आया वह किसानों को प्रोटेक्शन देता है या नहीं। यह किसी प्रकार से भी सरकार की जो घोषित नीति है उसके विपरीत नहीं जाना चाहिये तो लाजमी तौर से हमें मंजूर करना होगा, टीनेन्सी एक्ट में हमने मंजूर किया है और सारे प्रावधान किसानों के हित में मंजूर किये हैं और यहां पर आप ग्रामदान में जो बातें रखते हैं उनसे किसानों का अहित ही होगा। इसलिए हमें इसके मूलभूत आधार पर सोचना चाहिये। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो कानून आप बनाते जा रहे हैं वह आपकी घोषित नीति के खिलाफ होगा। कलेक्टिवाइजेशन है और किसानों को इससे फायदा नहीं होगा और सरकार बेकडोर से यह उन पर लादती है। सरकार इम्पोज नहीं करके २० परसेन्ट लोगों के लिये अन्याय नहीं करना चाहिये जो बैकडोर से कलेक्टिवाइज़ेशन का विरोध करते है। इस लिए मैं निवेदन करूंगा कि सदन इसका विरोध करे ज्यादा अच्छा होगा।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I think today I can try speaking in English.

Mr. Deputy Speaker, Sir....

श्री उपाध्यक्ष : It being a very important subject, I think it would be feasible for the Members if you speak in Hindi.

श्री श्रीभानसिंह : I have not been able to formulate certain words in Hindi.

श्री उपाध्यक्ष : You can repeat that in English.

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ जो पी० के० चौधरी ने रखा है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जावे और मेरी यह मान्यता हैं कि जब से हमने भारतवर्ष में हमारी पार्टी ने एक समाजवाद का नारा लगाया हैं तब से यह कहा जावे की राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में एक कानून का फ्लड सा हमने अपने देश लेट लूजकर कर दिया है। आज एक आर्डिनरी आदमी यह नहीं जानता कि आखिर देश में राज्य चलाने के लिये कानून जरूरी है मगर कुछ कानूनों को चाहे समाजवाद का देश हो चाहे साम्यवाद का हो, चाहे पूंजीवाद का हो लेकिन कानून की सीमा जरूरी होनी चाहिये। एक तरफ हम इकोनोमिक रिफोर्म करते हैं, इकोनोमिक डेवेलपमेंट के लिए कानून बनाते है तो दूसरी तरफ पोलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव रीआर्गेनाइजेशन का कानून बनाते हैं और तीसरी तरफ इकोनोमिक रिफोर्म। लेकिन अभी तक मेरे समझ में नहीं आ सका कि ग्रामदान का कानून बनाते हैं वह इकोनोमिकरिफार्म सोशियल रिफोर्म यह पोलिटिकल रिफोर्म में आता है या तीनों को मिला कर एक नये मार्ग पर चल रहे हैं या इसको किसी केटेगरी में लिया जा सकता है इसको क्लासीफाइ नहीं किया जा सकता कि किस केटेगरी में आ सकता है। जब मैं खुद इसको नहीं समझ सकता कि यह इकोनोमिक, सोशियल या पोलिटिकल रिफोर्म है तो मैं यह मान कर चलता हूँ कि ले मेल तो इसको समझ ही नहीं सकता कि यह क्या है। किस के लिये इस कानून को बनाने की जरूरत पड़ी और इससे क्या पर्पज़ या

(श्री श्रीभानसिंह)

आब्जेक्टिव आपका सर्व होगा और क्या आब्जेक्टिव आप अचीव करने वाले हैं। जहां तक इस कानून के सिद्धान्त हैं फिलोसोफी है, आइडियल है बहुत अच्छा है। एक सेक्रीफाइस की कन्सीव रहती है लेकिन आप कहते है कि प्रोपर्टी को समाज के लिए, देश के लिये रखना चाहते हैं मगर यह डाउट होता है वह यह कि हम कोई यूटोपिया (Utopia) के लिये कानून बना रहे हैं। हम यूटोपिया (Utopia] के लिए कानून नहीं बनाने जा रहे है हम लोगो के लिये कानून बना रहे हैं जब किसी इन्डिविजुअल के लिए हम कानून बनाते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। आप ने ग्रामदान का कानून बनाया, आप कोई यूटोपिया के लिए कानून बनाने जा रहे हैं आप कानून जो ह्यूमन नेचर है उसके लिये कानून बनाया है उसमें वह सेक्रीफाइस आई है। जब तक हम ह्यूमन नेचर को चेन्ज नहीं कर सकते तब तक इससे कोई पर्पज सर्व नहीं होगा और जिस कानून से कोई पर्पज सर्व नहीं हो, मैं समझता हूँ और साफ कहना चाहता हूँ कि सदन को इस प्रकार के पेचीले कानून नहीं बनाने चाहिये और अगर इस प्रकार के पेचीले कानून पास हो गये तो इसमें कोई प्रगति नहीं हो सकेगी और न किसी का हित हो सकेगा।

जहां तक लैंड रिफॉर्म किये जाने का प्रश्न है तो उस सम्बन्ध में आज मुख्य मन्त्री ने कहा कि हम अन्तिम लैंड रिफोर्म पास कर चुके और वह सीलिंग था। लैंड रिफार्म में ग्रामदान आता नहीं। जहां तक विलेज रिफोर्म का प्रश्न है उसके लिये हमने डिसेन्ट्रलाइजेशन बिल पास कर दिया और उसके अनुसार पंचायत समितियां कायम हुई, तहसील पंचायतें हुई। उसके जरिये से उनका रिऑर्गेनाइजेशन होगा और यह रिऑर्गेनाइजेशन इसके अन्दर भी नहीं आता। एक गांव के ८० पर्सेन्ट या ५० पर्सेन्ट हिस्से को आप दे दें और उसके सराउन्डिंग एरिया को न दे और उसको एक स्पोट के तौर पर रखें और यह कहें कि यह ग्रामदान का ग्राम है और बाकी का सारा का सारा गांव तहसील में ग्रामदान का नहीं है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और दूसरे में अलग एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो हम एक प्रकार का पब्लिक माइन्ड में कन्फ्युजन पैदा करेंगे और एक प्रकार से कन्फ्युजन क्रीएट करने जा रहे हैं और कर सकते हैं। कहीं यूटोपिया रख दें तो वहां पर प्रीचिंग हो तो बहुत अच्छा है। फिलोसफी और रिलीजियन की वजह से रिफॉर्म नहीं करते। हम प्रेक्टिकल कन्सीड्रेशन रखना चाहते हैं। हमें आइडियल फिलोसफी रखनी चाहिये। हमको यह देखना चाहिये कि हम इसको इम्प्रेक्टिकेबल न करें। आज समाज सोसाइटी इसको प्रेक्टिकल करने के लिये तैयार हैं या नहीं या हम इसको प्रेक्टिकली कर सकते हैं या नहीं।

जैसा मैंने निवेदन किया कि अभी मृत्युभोज का बिल इस सदन में पास किया मैं उसकी बुराई नहीं करता। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि लेजिस्लेशन के जरिये हम ह्युमन फ्रीडम को नलीफाइ करते हैं, इन्डिविजुअल फ्रीडम को नलीफाई करते हैं। वे यह यह नहीं जानते कि जो स्वतन्त्रता की गारन्टी संविधान में की है उसका मतलब क्या है और यह लेजिस्लेशन थोड़ा थोड़ा पास हो रहा है वह कहां तक उसमें समावेश होता जा रहा है। आखिर इसका मतलब

(श्री श्रीमानसिंह)

क्या है ? इन्डिविजुअल फ्रीडम सोशियल रिफॉर्म्स के जरिये से क्रीएट नहीं कर सके जब यह स्टेज समझी गवर्नमेंट ने वालिन्टीयरी ऑर्गेनाइजेशन ह्यु मन माइन्ड को सोशियल लेजिस्लेशन के लिए प्रिपेयर नहीं कर सके। तब जाकर मृत्यु-भोज का कानून पास किया और सदन को डाउट रहा कि यदि इस कानून को इतना सख्त न बनायेंगे तो काम नहीं चलेगा, वायोलेशन होगा और इसी लिए उसमें एक पीनल क्लॉज रख दिया। हमको सोशियल रिफॉर्म्स में भी पीनल क्लॉज रखने की आवश्यकता पड़ गई क्योंकि ह्यूमन माइन्ड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जब सोशियल इविल को ह्युमन नेचर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो इस यूटोपिया के लिए ह्यूमन नेचर कब तैयार होगा। क्यों न सेक्रिफाइस कर दें Everybody for all and all for everybody इस तरह की भावना आ जाय और ग्रामों को मैनेज कर लें। लेजिस्लेशन बहुत अच्छा है, इसकी भावना बहुत अच्छी है लेकिन भावनाओं से लेजिस्लेशन पास किया तो प्रगति नहीं कर सकते। इकोनोमिक प्रोग्रेस करने का अलग तरीका है और उन इकोनोमिक प्रोग्रेस के तरीकों के जरीये से हम सोसाइटी में एक इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो इकोनोमिक खर्चे से, दृष्टि से आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। इससे क्या इम्प्रूवमेंट करने का है, यह मेरी समझ में नहीं आया। जब इम्प्रूवमेंट नहीं करने को है तो फिर इसको पास करने की क्या आवश्यकता है। मैं यह भी मान लूं कि सक्सेस होगी। राजस्थान में आचार्य विनोबा भावेजी की टूर हुई, कितने ग्राम मिले, ३५००० से यदि २०० गांव भी मिल गये और उसके लिए लेजिस्लेशन पास करें तो कहीं ऐसा न हो जाय कि इन्डिविजुअल के लिए भी लेजिस्लेशन पास करना पड़े और फिर लेजिस्लेट करें। यह देखना चाहिये कि कितने ग्रामदान में कितने वेलिडेटरी लेजिस्लेशन कर देंगे, प्रेक्टिकल वेल्यू हो तो लेजिस्लेट करना चाहिये। और दो सौ गांव मिल गये तो उसके लिए लेजिस्लेट करने का मतलब यह हुआ कि स्टेट इन्डिविजुअल के लिए भी लेजिस्लेट करेगी कि इन्डिविजुअल को इस प्रकार से रहना चाहिये। स्टेट को कॉम्प्रिहेन्सवली देखना चाहिये, जो सबके लिए हों वैसा करना चाहिये। जब इन्डिविजुअल के लिए करेंगे तो सोश्यलिज्म में इन्डिविजुअल फ्रीडम जो दी गई है वह फ्रीडम मर जावेगी, स्वतन्त्रता नहीं रहेगी। स्वतन्त्रता क्रश हो गई सोशिलिज्म क्रश हो गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई और इन्डिविजुअल के इनीशियेटिव के लिए हमेशा से कोशिश कर रहे हैं वह हमेशा के लिए क्रश हो गया तो फिर रहा ही क्या। फिर मैटीरियल गेन क्या रहा। जो अगर हर्ड की तरह से चाहते हैं, कलेक्टिव थिंकिंग हो, ग्रूपिंग के बेसिस पर हो, जिस तरह से हर्ड ड्राइव किये जाते हैं और इन्डिविजुअल फ्रीडम ऑफ एन्टरप्राइज खत्म हो गया तो निश्चित रूप से मान कर चलना है कि एज ए स्टेट हम खत्म हो जावेंगे, एज ए नेशन हम खत्म हो जावेंगे। जो कार्डिनल प्रिन्सिपल फ्रीडम का है संविधान में, वह यदि खत्म हो गया और ग्राउन्ड्स प्रिपेयर कर दिये उस कम्युनिज्म के लिए तो कोई फर्क नहीं रहता। हमारे देश में, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, कम्युन्स की तरह पेटर्न-तैयार कर दिये तो एक रिएक्शनरिज्म के लिए ग्राउन्ड्स तैयार कर देंगे। सर्वोदय के पीछे इसकी भावना है,

(श्री श्रीमानसिंह)

हर एक स्टेट की सर्वोदय की भावना है, गवर्नमेंट की भावना है । लेकिन जो कोई पोलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट सबके डवलपमैन्ट के लिए बिलीव नहीं करती है तो उसको पोलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का मौका नहीं मिलता और फंक्शन नहीं करतीं । इसकी पोलिसी के पीछे सर्वोदय की भावना है । लेकिन कोई पोलिटिकल पार्टी इसकी नकल नहीं करती है । जनरल प्रोब्लेम्स को ही पोलिटिकल पार्टीज लेती हैं और डेवेलप करती हैं । वह भी सर्वोदय है । इसी के पीछे ही सर्वोदय की केवल भावना हो यह मेरी समझ में नहीं आता ।

३. १५. म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

इससे मैं यह बता रहा था कि जो अमाउन्ट ऑफ लेजिस्लेशन है वह पब्लिक ओपिनियन नहीं समझ सकती और इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए रखना है, पब्लिक ओपीनियन इसको समझती है, रीयली इसके लिए प्रियेपर्ड है, ग्रामदान करना चाहती है तो इस तरह लेजिस्लेशन करना चाहिये यह हमें देखना पड़ेगा । तो जब तक पब्लिक कान्शियसनैस पैदा न हो और नहीं करें तब तक लेजिस्लेशन पास नहीं करना चाहिये । बहुत से लेजिस्लेशन हमने पास किये जिसके लिए पब्लिक तैयार नहीं हुई वे मेयर स्टेट्यूट बुक पर रहे हैं । उनसे कोई ... सर्व नहीं हुआ यदि इसको स्टेट्यूट बुक में रखना है तो करिये । जैसा माननीय सदस्य ने इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट कराया है उस मोशन को मैं सपोर्ट करता हूँ और अपना आसन ग्रहण करता हूँ ।

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सभापति महोदय, सदन में जो ग्रामदान विधेयक रखा है, मैं समझता हूँ कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है जिसको राजस्व मन्त्री महोदय ने रखा है । मैं यह सोच रहा था कि अभी राजस्थान में दो ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए थे, एक तो डिसेन्ट्रलाइजेशन का और दूसरा सीलिंग का । ये दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे लेकिन दोनों के साथ साथ मैं यह महसूस कर रहा था कि उसमें जो कमियां हैं वे किस प्रकार से दूर हो सकती हैं और वास्तव में डीसेन्ट्रलाइजेशन और सीलिंग के उद्देश्य में जो सामाजिक क्रान्ति करना चाहते हैं उसमें आखिर कौन सा ऐसा रास्ता है जिसमें हमें पूरी कामयाबी मिल सके । जिस समय सीलिंग का सवाल चल रहा था उस समय भी मैं साथियों से कह रहा था कि सीलिंग के सम्बन्ध में अधिक और कम सीमा निर्धारण के लिए क्यों विवाद करते हैं उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ग्रामदान विधेयक है और यदि वह पारित हो जाता है तो बड़ा भारी क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जाता है । आज जैसा मुख्य मन्त्री ने भाषण में कहा था भूमि की क्रान्ति हमें जहां तक करनी थी तो उसके तमाम लक्ष्य हमने पूरे कर लिये । उस वक्त भी मैंने सोचा कि आखिर भूमि की क्रान्ति के बारे में बड़े बड़े लोग सोचते हैं, गम्भीरता के साथ सोचते हैं और चिन्तन करते हैं और किया भी है तो वे इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि यदि विकेन्द्रीकरण करना है, डेमोक्रेसी को पूरी तरह से स्थापित करना है, तो उसका एक मात्र हल है वह है भू-दान, ग्राम-दान । ग्राम दान का जो लक्ष्य है वह अन्त में भू क्रान्ति

(श्री मुरलीधर व्यास)

का है। यदि वह सही रूप में हो जाता है तो वास्तव में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जाता है। मैंने अभी सम्मानित सदस्यों के भाषण सुने। मुझे आश्चर्य हुआ। इस ग्रामदान को एक समाजवादी समाज की व्यवस्था कह दी और साथ साथ यह भी कहा कि इससे समाज की प्रतिष्ठा नष्ट हो जावेगी, व्यक्ति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जावेगी और समाजवाद समाप्त हो जावेगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि ग्रामदान विधेयक के पारित करने से समाजवाद समाप्त होता है और कांग्रेस पक्ष के लोग समझते हैं कि इससे साम्यवाद पनप जावेगा, समाजवाद समाप्त हो जावेगा तो मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर किस तरह से सोच रहे हैं और इस मामले में कहां तक पहुंचे हैं।

मैं यह महसूस करता हूं कि सही मायने में भूमि के सम्बन्ध में जो सीलिंग निर्धारित की है वह हमने कानूनी दृष्टिकोण से सीमा निर्धारित की लेकिन उसमें कुछ खामियां रह गई थी वह अनेक थी उसके बारे में मैंने कहा था कि इस सीमा निर्धारण भूमिहीनों को भूमि मिलने वाली नहीं है। उस पर कुछ माननीय सदस्य स्तंभित से रह गये थे लेकिन वह बात सही थी। अभी जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा यह एक दूसरा तरीका निकाला है भूमि देने का। जिस किसान के पास दो चार बीघा जमीन है या गांव के अन्दर ८० प्रतिशत आदमी इस प्रकार के हैं जिनके पास एक बीघा या दो बीघा जमीन है अगर वे सब मिल कर के यह फैसला कर लेते हैं हमारे पास जो कुछ भी जमीन है वह हम ग्रामदान के रूप में देते हैं वैसी हालत में यह उनका करना उचित है। २० प्रतिशत लोग जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है वे इसका विरोध करते हैं तो वैसी हालत में उन पर उस व्यवस्था को थोपना साम्यवाद होगा। मैं इस लोजिक को समझ नहीं पाता अगर इस प्रकार कुछ व्यक्तियों के पास बहुत ज्यादा जमीन रखी हुई है और दूसरों के पास कम है तो इस प्रकार से उनको जमीन मिल सकती है और इसके लिये ग्राम वालों को काम करने का हक मिलता है। उस गांव के अस्सी प्रतिशत लोग जो बेकार हैं उनके पास पूरा काम नहीं जिनको पूरा खाना नहीं मिलता उनके लिये व्यवस्था हो जाती है और उनके लिये सोचने का अधिकार ग्राम-सभा को मिल जाता है तो इसमें बुरा क्या हुआ। एक ओर तो आज उनकी हालत ठीक होगी दूसरी ओर जो सत्ता का विकेन्द्रीकरण हम चाहते हैं वह भी हो जायेगा। विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत जो ग्रामीण इकाई है वह अपने आप आत्मनिर्भर हो जाती है अपनी व्यवस्था अपने आप करती है तो इसमें आप को क्या एतराज है। जब ग्रामदान हो जाता है तो उस ग्राम की सभा हो जाती है इस तरह से वे सब चीजों में स्वावलम्बी हो जाते हैं और इसके साथ साथ जनतान्त्रिक तरीके से काम करने का उनको अवसर मिल जाता है।

जहां तक ग्रामदान के रूप में जो गांव आयेंगे उनके विकास का सम्बन्ध है वह सरकार पर रहेगा जब तक सारे प्रान्त के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है तब तक उनके विकास आदि का सम्बन्ध सरकार से रहेगा जहां सरकार का सहयोग रहेगा वहां उसका सम्बन्ध विकास से भी रहेगा। जो ग्रामदान विधेयक है वह अपने आप में बड़ा

(श्री भैरोंसिंह)

महत्वपूर्ण एवं क्रान्तिकारी विधेयक है इसके लिये जो कम्युनिज्म का तरीका कहते हैं उसको मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह कम्युनिज्म का तरीका नहीं यह तो सोशिलिज्म का तरीका है डेमोक्रेसी का तरीका है इससे हम जनतन्त्र प्रणाली को विकास करने का मौका देते हैं।

आज की डेमोक्रेसी में हम देखते हैं दस प्रतिशत लोग ८० प्रतिशत लोगों पर हावी हो जाते हैं। यह इसलिये कि उन दस प्रतिशत लोगों के पास सब प्रकार के साधन सुविधा होती है इसलिये वे उन पर हावी हो जाते हैं। अगर इस प्रकार का कानून बन जाता है तो जो ८० प्रतिशत लोग है उन लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ साथ नई व्यवस्था के अन्दर हम गाव को स्वावलम्बन की ओर ले जा सकेंगे। आज हम क्या देखते हैं जिनके पास अधिक पैसा और भूमि है वह सारे गांव के ऊपर हावी होते हैं और जिसके पास कुछ पैसा नहीं भूमि नही वे उसी हालत में पड़े रहते हैं। इसी को लक्ष्य में रहते हुये हम इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं और इसीलिये हमने सहकारिता का सिद्धान्त स्वीकार किया है। हम चाहते हैं कि सभी कोऑपरेटिव बेसिस पर कार्य करें जिस प्रकार कोऑपरेटिव के कोई १० शेयर खरीदता, कोई २० कोई २५ खरीदता है और सहकारी समिति का निर्माण किया जाता है इसी प्रकार किसी गांव के ८० प्रतिशत लोग अपनी सारी सम्पति ग्राम के हित में अर्पण कर देते हैं और उसकी व्यवस्था स्वयं करते हैं उनके लिए ग्रामसभा बन जायगी। जहां आपने सहकारिता का सिद्धान्त स्वीकार किया है उसके अन्दर कानूनी बात कह कानूनी बाधायें पैदा करते हैं तो उनके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कानून का जंगल इतना जबरदस्त हो गया है कि उसको हमें साफ करना होगा और उस कानून रूपी जंगल को साफ करने के लिए यही रास्ता और इस प्रकार का विधेयक है। इससे कानूनी जंगल भी साफ हो जायेगा और गांव के लोग अपने आप खुद अपना फैसला करेंगे उस तरह से ग्रामीण मामलों में दूसरों का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके अलावा दूसरे जो कानून है वे तो लागू रहेंगे ही लेकिन अपने मामलों के अन्दर कानूनी जंगल जो बना हुआ है जो ब्यूरोक्रेसी हावी होकर बैठी हुई है उससे कुछ राहत मिलेगी। इस प्रकार के कानून से ब्यूरोक्रेसी समाप्त होगी, जनतन्त्र समाजवाद और सहकारिता की रक्षा होगी, गांव अपने आप में स्वावलम्बी बनेगा। मैं समझता हूँ यह ग्रामदान विधेयक जो हैं वह यदि ठीक तरह से पारित हो जाता है तो हमारी जनतन्त्र की व्यवस्था को इसमें बल मिलेगा। अगर गांव के लोग इसको समझ नहीं पाते हैं तो हमें उनको समझाना पड़ेगा कि वे ग्रामदान करें। इसके लिये हमें जनमत तैयार करना होगा इस विधेयक को जो माननीय सदस्य कहते है कि जनता की राय के लिये प्रचारित किया जाय मेरा उनसे निवेदन है कि इसके लिए विनोबा जी गांव गांव घूमे हैं और इस तरह से हिन्दुस्तान के हर गाव गांव में इसका बहुत प्रचार हुआ है यदि हम जनमत के प्रचार के लिये मेज पर इसको लम्बा समय देना चाहते हैं जिस प्रकार कि दूसरे विधेयक में दिया जाता है तो मैं कहूँगा कि इससे तो इस कार्य में बाधा पहुंचाने का काम हो जायगा। इस बिल के पारित हो जाने से समाजवाद को बल मिलेगा। अगर राजस्व मन्त्री इस बिल

(श्री भैरोंसिंह)

को पारित करवा लेते हैं तो मेरी समझ में यह बहुत बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा। यही निवेदन कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री भोगीलाल पंड्या (आसपुर) : माननीय सभापति महोदय, यह ग्रामदान विधेयक जो है उसका विशेष सम्बन्ध उन लोगों से है जो सोच समझ कर ग्रामदान देते हैं - जो स्वावलम्बी होकर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, गांव की गरीबी, बेकारी और भूखमरी को त्याग प्रेम और करुणा से निपटाना चाहते हैं।

अभी अभी एक माननीय सदस्य ने बतलाया था कि इस अधिनियम को जिस प्रवर समिति ने प्रतिवेदित कर भेजा है उसको पुनः विचारार्थ भेजा जावे। लेकिन जो जो बातें उन्होंने अपने भाषण में कही और जो जो दलीलें दीं वे सब ऐसी हैं जो उनके संशोधनों में दी जा चुकी हैं इसलिये उन्होंने जो कुछ कहा उनका इससे समाधान हो जाता है।

इनके अलावा एक मित्र ने इस विधेयक को जनता की राय के लिये भेजने का कहा था और यह प्रस्ताव रखा था कि इसके लिये ३१ मार्च, १९६० तक की अवधि दे दी जाय। उन्होंने इस बारे में जो दलीलें दी हैं उनका जवाब देना आवश्यक है। पहले तो उन्होंने बताया कि जो भूदान बोर्ड बना था उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। यह एक ऐसी बात है जिसको सब जानते हैं। भूदान में ५० लाख एकड़ से भी अधिक जमीन प्राप्त हुई है उसमें से काफी जमीन भूमिहीन किसानों को दे चुके हैं और जिनके पास जमीन नहीं थी उनको भी दी गई है, यह कितना उपयोगी काम हुआ यह सर्वविदित है। मैं थोड़ी सी जमीन की बात नहीं करता पचास लाख एकड़ जमीन मिली है। इसके लिये यह भी भ्रम है कि इसमें से अधिक जमीन उपजाऊ नहीं है लेकिन वह उपजाऊ होनेवाली है। राजस्थान में जो भूमि के भाग मिले हैं वहां राजस्थान केनाल के आ जाने से वह कितनी उपजाऊ हो जायेगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, यह जमीन भी भूमिहीन परिवारों को मिलेगी।

भूदान के साथ साथ सम्पत्तिदान, बुद्धिदान आदि का भी जिक्र किया गया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सम्पत्तिदान से भी काफी रुपया मिला है, उसी से भूदान का कार्य चल रहा है और भूमि का वितरण हो रहा है।

बुद्धिदान का सवाल है, अपनी जमीन की रक्षा के लिये कई गरीब आदमियों को कानूनी राय लेनी पड़ती है ऐसे वकीलों से राय प्राप्त होती है जो मुफ्त में सुझाव देते हैं। इससे भी लाभ हुआ है।

जीवनदान का जहां तक सम्बन्ध है, वे ऐसे भूदानी कार्यकर्ता हैं जो कुछ लेते नहीं हैं और भूमि को प्राप्त करते हैं। बिना किसी पारिश्रमिक के कार्य करते हैं यह कितना पवित्र कार्य है। इससे यह कहना कि देश की जनता का हित नहीं होता है यह उचित नहीं है।

(श्री भोगीलाल पंड्या)

एक मेरे अन्य माननीय मित्र ने यह बताया कि किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने बताया कि श्री जयप्रकाश नारायणजी का भाषण हुआ कि किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिये और उसी के विपरीत इस ग्रामदान में जबर्दस्ती हो रही है तो उनका यह कहना गलत है। ग्रामदान तो लोगों की स्वेच्छा, उनकी पूरी राजी खुशी से किया जाता है। जब उनके पूरी पूरी समझ में आ जाती है तभी उनको जमीन ग्रामदान में देने के लिये कहा जाता है और जब वे तैयार होते हैं तभी ली जाती है। एक साधारण सी बात है कि जरा सा भी देने का काम होता है तो कोई बिना सोचे वे समझे नहीं देता तो फिर सारा गांव दान में देना कोई मामूली बात नहीं है। तो यह दबाव से नहीं प्रेम और प्रेरणा से, करुणा की प्रेरणा से लिया जाता है।

दूसरी बात कही गई कि कम्लेक्टिव फार्मिंग और कलेक्टिवाइजेशन में कोई अन्तर नहीं है। इसमें मेरा निवेदन यही है कि जब लोग स्वेच्छा से देने को तैयार होते हैं ग्रामदानी गांव की ज़मीन का कम से कम ५० प्रतिशत और ८० प्रतिशत लोग तैयार होते हैं तभी ग्रामदान माना जाता है। यह भी कहा गया कि रूस की तरह की व्यवस्था की जा रही है तो मैं निवेदन कर दूँ कि कोई भी व्यवस्था उन पर थोपी नहीं जा रही हैं, जैसा वे लोग मिलकर ठीक समझेंगे उसे वे लागू कर सकेंगे इसमें थोपने की कोई बात नहीं है।

यह कहा गया कि अनपढ़ लोगों को लालच देकर या किसी को स्कूल बनाने । लालच देकर किसी को औषधालय या सड़क बनाने का लालच देकर इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने इस तरह के किलयाणा और देशवली गांवों के नाम भी बताये। अब चूंकि उन्होंने गांवों के जिलों के नाम लिये इसलिये मैं निवेदन कर दूँ कि डूंगरपुर जिले में इस नाम के कोई गांव ही नहीं हैं।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : आप बता दीजिये फिर डूंगरपुर में कौन कौन गांव सम्मिलित हुए हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या : १३१ ग्रामदान गांव हुए हैं। उनकी लिस्ट मेरे पास है है। मैं बता सकता हूँ। पर जो गांव बताये गये वे बिल्कुल मनगढ़ंत गांव हैं, इस तरह के कोई गांव नहीं हैं। मैं बराबर विश्वास दिलाता हूं कि जिन्होंने भी ग्रामदान में अपनी भूमि दी है उनको आप हमारी अनुपस्थिति में भी जाकर पूछेंगे तो वे यही कहेंगे कि हमने अपनी स्वेच्छा से दिया है, किसी तरह के लालच से नहीं, जबानी भी हमने किसी पर भरोसा नहीं किया है एक, एक ने दस्तखत करके दिया है तब हमने माना है। अब यह हो सकता है कि किसी गांव के दो, तीन लोगों ने दस्तखत नहीं किये तो उनकी जमीन हमने नहीं ली, उनके पास कुछ आदमी गये। उन्होंने उनसे कहा कि आप शिकायत कर दो। उन्होंने भी यही कहा कि हमने ज़मीन नहीं दी तो अपनी मर्जी से नहीं दी, इसके लिये किसी ने हमारे साथ कोई जबर्दस्ती नहीं की। उन लोगों ने शिकायत करने से भी इन्कार किया। पर किसी तरह से दरख्वास्तें भेजी। मैंने जब ये बातें जयपुर में सुनी तो मैंने जाकर गांव में लोगों से पूछा। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ लोग आये और कहा था कि तुम्हारे दस्तखत नहीं हैं तो दरख्वास्त

(श्री भोगीलाल पंड्या)

लिख दो कि हमारे दस्तखत नहीं हैं। पर हमने तो नहीं लिखा। फिर भी न मालूम कैसे दख्वास्तें पहुंची उनके नाम से, मालूम नहीं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी पूरी सहमति होती है और गांव में ८० प्रतिशत लोग तैयार होते हैं तभी ग्रामदान होता है। तो दो व्यक्तियों को लेकर यह सब प्रचार हुआ और उसमें भी उन दोनों व्यक्तियों की कोई सहमति नहीं थी। प्रचार तो होना चाहिये तो इससे खामियां हों तो वे दूर हो सकती हैं। मैं इसके लिये राजी हूं। पर यहां पर जो कहा गया वह बिल्कुल ठीक नहीं है। न हमने किसी को कोई प्रलोभन दिया है न आश्वासन दिया है, आज तक कुछ भी नहीं दिया। न लोग हमसे ऐसी उम्मेद करते हैं। बल्कि जहां कहीं मैं गया लोगों में काफी उत्साह पाया। लोग कहने लगे कि हमारी भूमि का सर्वे हो गया है। अब हमारी भूमि कब हमारे भाइयों को देंगे? इस तरह की इच्छा जाहिर की है। लोगों में उत्साह है।

आगे कहा गया कि किसी एक ही आदमी के पास अगर पचास प्रतिशत जमीन होगी और उसने दान दे दिया तो क्या सारा ग्राम दान हो जावेगा? उनको मैं निवेदन कर दूं कि उस गांव के ८० प्रतिशत लोगों की सहमति से ही ऐसा होगा। तो यह भी कहना ठीक नहीं है।

जो अब बीस प्रतिशत बच रह गये हैं उन पर भी कोई दबाव नहीं होगा। वे अपनी इच्छा से काम करेंगे। उनको कोई डराने, धमकाने का सवाल नहीं पैदा होगा। इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां ग्रामदान हुआ है, वहां जा कर आप देखें। जो लोग सम्मिलित हुए हैं वे अपना काम कर रहे हैं, जो नहीं हुए वे अपना अलग से कर रहे हैं। पर जब वे यह बात देखते हैं कि उनमें झगड़ा वगैरह कुछ होता नहीं, बड़ी राजी खुशी से मिल कर काम करते हैं और उनके आपस के सभी झगड़े वगैरह वहीं निपट जाते हैं व लोगों को लगान वगैरह जमा कराने के समय और तकावी या अन्य सहयोग एवं सहायता लेने के समय मिल कर काम करने से तकलीफें कम हो गई हैं तो यह देख देख कर पहले जिनको समझ में नहीं आया था वे भी सम्मिलित होने के लिये स्वेच्छा से आकर्षित हो रहे हैं।

दूसरा, यह कहा गया कि बीस प्रतिशत लोगों को बिल्कुल बाध्य किया जावेगा इसका भी मैंने जवाब ऊपर दे दिया है। न पचास प्रतिशत के लिये बाध्य करेंगे न बीस प्रतिशत के लिये।

यह कहा गया कि जिसके पास जमीन नहीं है ऐसे दो, चार आदमी जो होशियार होंगे वे दूसरों की जमीन हड़प लेंगे। ऐसी बात है ही नहीं। इसमें जिसके पास ज्यादा जमीन है वह अपने ही ग्रामदानी गांव के लोगों को देंगे, यह नहीं कि बाहर के लोगों को दे दें। फिर गांव के लोग ही मिल कर बैठेंगे। वे ही निर्णय करेंगे कि किसको जमीन देनी है और कितनी? गांव के हित में नियम बनाये जावेंगे। इसके आगे दूसरे नियम कौन से होंगे? गांव के लोगों को ही लाभ उठाना है वे नियम तो उनके लिये उपयोगी होंगे। इसीलिये यह रखा है कि दूसरे नियम लागू नहीं होंगे।

यह भी कहा गया कि जब चाहेंगे तब वे जमीन ले लेंगे। इससे इजेक्टमेन्ट होगा।

(श्री भोगीलाल पंड्या)

तो मैं बताऊं कि यह इसलिये नहीं किया गया है। लोगों की भावना को लेकर किया गया है। इस प्रकार न तो बेदखल करने का सवाल आता है न सरकार को देने न देने का आता है। सारे गांव वाले मिलकर पांच या दस साल के लिये जैसा वितरण करना चाहेंगे करेंगे, उनका अपना तरीका होगा। गांव-वाले चाहें तो व्यक्तियों के हिसाब से बांटें। यह तो सारी अच्छी व्यवस्था है उनके अपने हित में जैसी अच्छी लगे वे करें। तो यह एक व्यवस्था है जिसके अनुसार काम होगा। इसमें सरकार का काम नहीं। न ऐसा कानून बनेगा कि दूसरे को दबावेंगे। सब मिल कर ही कानून बनावेंगे।

एक माननीय मित्र ने यह बताया कि यह समझ में नहीं आया कि इसमें सोशियल इकोनोमिक या पोलिटिकल कौनसा रिफॉर्म होगा? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें तीनो रिफार्स होंगे। सोशियल रिफार्म में सामाजिक कुरीतियाँ दूर करेंगे, आर्थिक दृष्टि से सुधार होंगे, सब मिल कर सहयोग से, सामूहिक रूप से और सहकारी ढंग से काम करेंगे. बचे समय में ग्रामोद्योग अपना-वेंगे इससे उनकी आर्थिक हालत सुधरेगी और फिर पोलीटिकल रिफार्म भी होगा। क्योंकि गांव के लोग मिलकर व्यवस्था करेंगे, उनके अपने चुनाव होंगे और आगे प्रतिनिधि भी भेजेंगे। तो इसमें सब तरह के सुधार हैं।

उन्होंने कहा कि किसी के आदर्श के लिये क्या कानून बनाना है? बने तो ठीक है और न बने तो भी ठीक है। यह ठीक है जब दोनों को बराबर मानते हैं तो जब कानून बन जाता है तो ठीक है, उसे मान लेना चाहिये। उन्होंने दलील दी थी कि भूदान वगैरह से भी कुछ नहीं हुआ और इससे भी कोई लाभ नहीं होगा, इसका जवाब मैं दे चुका हूं। भूदान से निश्चिततः लाभ हुआ है और इससे भी लाभ होगा। दूसरी बात यह है कि जहां ग्रामदान हो चुका है और इसके लिये कानून नहीं बना इससे लोगों को काफी दिक्कत आ रही है इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि आज ही इसके ऊपर विचार होना चाहिये और जल्दी से जल्दी यह कानून पास होना चाहिये। बात यह है कि २०० से ज्यादा गांव ग्रामदान में आ चुके हैं और उनमें भी भूमि वितरण में और लगान आदि देने में और सरकार से सुविधा प्राप्त करने में कई तरह की कठिनाइयां आ रही हैं, काफी विलम्ब हो चुका है इसलिये विकास कार्यों को वैधानिक रूप देने के लिये इस कानून का पास होना जरूरी है। इसलिये जिन मत्रों ने इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये कहा है या प्रवर समिति को वापिस भेजने के लिये कहा है और जिनकी इच्छा यह रही है कि कानून बनाना ही नहीं चाहिये उनसे मैं कहूंगा कि आज ही इस पर विचार करके जल्दी से जल्दी इस कानून को पास करवायें ताकि लोगों को जो सुविधा मिलने वाली है वह मिले।

श्री सभापति (श्री आबिदअली) :- रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : चैयरमैन महोदय, ग्रामदान विषय में सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसके ऊपर काफी सिंहाव-लोकन किया है। मैं निवेदन करूंगा कि

Page No.90

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

गांधीजी के बाद जो कतिपय ऋषितुल्य महानुभाव हैं उनसे महामना विनोबा भावेजी का स्थान काफी ऊंचा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भावावेश में और सिद्धान्त के मामले को लेकर यह अत्यन्त आवश्यक है कि ग्रामदान का सवाल कार्य रूप में होना चाहिये और इसको पारित करना चाहिए। लेकिन मैं यह समझता हूं कि अभी यह 'टाइमली' नहीं है और देशानुकूल इसमें और भी ज्यादा इस चीज को थ्रेश-आउट करने की पूरी आवश्यकता है क्योंकि अभी बहुत छोटा फ्रेक्शन राजस्थान के अन्दर ही नहीं प्रत्युत भारतवर्ष के दूसरे प्रान्तों में भी बहुत थोड़ी जगह इसका असर हुआ है। हमारे ऋषि तुल्य आचार्यों जैसे आचार्य भावे, आचार्य तुलसी और भी बहुत से आचार्य हैं उनकी इस प्रकार की उच्च भावनायें हैं कि उनके लिए हम नत मस्तक होकर उनके ऊपर विचार करते हैं। लेकिन यह ऐसा विषय है कि इसको यों जल्दी जल्दी में पारित कर देना मेरे खयाल में ठीक नहीं होगा। जैसा कि कतिपय सज्जनों ने यह भी कहा था कि इसको अगर पब्लिक ओपीनियन के लिए भेज दिया जाये और अगले सत्र तक कन्सीडरेशन में रख लिया जाये तो इसको मैं अनुचित और देशानुकूल बुरा नहीं समझूंगा। चैयरमैन महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किए बिना नहीं रहूंगा कि जल्दी जल्दी इस प्रकार के क्रांतिकारी और बड़े महत्व के विषय को जिसमें हजारों गांवों का प्रश्न आता है, जिसमें सिद्धान्त रूप में कोई बात उपस्थित होती है उनमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले बिल पास हो चुके हैं और दूसरे भी काश्तकारों से सम्बन्ध रखने वाले कानून पास हो चुके हैं, उनको तो अभी तक कार्य रूप में पारिणित नहीं किया है और इसको ला रहे हैं, आखिर ऐसी क्या जल्दी है कि इसके लिए इतनी शीघ्रता की जाये? मैं यह निवेदन करूंगा कि देखा जाये तो इस प्रका के कई ऐसे मामले हैं और मुझे पूरा ध्यान नहीं है लेकिन शायद यह पहले राजस्थान के अन्दर ही परिवर्तन प्रचलित करने का प्रश्न आया होगा। I think Revenue Minister will tell me in this matter या दूसरे सज्जन कहें मेरे खयाल में तो यह पहला ही कदम है। मैं यह जरूर समझता हूँ और राजस्थान का इसमें गौरव है और राजस्थान इसी में नहीं बल्कि कतिपय दूसरी भी कई उच्च विचारधाराओं के मामले में पहला कदम उठा रहा है इसके लिए राजस्थान गौरवान्वित है और साथ ही साथ यह भी मैं कहूँगा कि बाज़ समय ऐसी जल्दी में इस तरह के गहन मामलों को चलाया जाता है तो ऐसे मामलों को दो दफा सोचने की आवश्यकता होती है कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। बाज वक्त में कोई सवाल जितनी उच्च विचारों का होता है उसे अगर जल्दी में पारित कर दें तो कई दिक्कतें उपस्थित हो सकती हैं। यह कतई दिक्कत की बात नहीं है कि आइन्दा सत्र १॥ महीने बाद ही आवे व इस विधेयक को लिया जाये तो क्या हर्ज की बात है? शायद उस समय तक विनोबाजी का राजस्थान में पदार्पण हो जाये और दूसरे इस बात को सोचकर बहुत से गांव वाले भी आगे बढ़ें। पहले शुरू में यह चीज भूदान के लिए आई थी और भूदान के बाद फिर ग्रामदान का सवाल उपस्थिति हुआ, और इसके बाद में हो सकता है तहसीलदान और जिलादान का सवाल आये.......

एक माननीय सदस्य : देशदान भी आ सकता है।

(हंसी)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : देश-दान के लिए चिंता की क्या बात है? हम तो सारे कटिबद्ध हो रहे हैं। उत्तरापथ और दक्षिणापथ प्रांत और क्षुब्ध हो रहे हैं। इस बात को जरूर सोचने की आवश्यकता है कि ऐसे जल्दी में पास करने की क्या आवश्यकता है अगले सत्र तक रख देने में क्या खराबी हो जायेगी? इसके लिए जो कई माननीय सदस्यों के विचार हैं कि इस समय इस पर विचार नहीं किया जाये तो इसमें क्या हर्ज है। पहले जो विषय पारित हो चुके हैं उन्हीं को कार्य रूप में परिणित करने में काफी दिक्कतें आयेंगी। यह प्रश्न जो कम्यून की तरह आता है और चीन और रसिया की नकल हो रही है तो ये तो विचारधारायें हैं, कोई किसी चीज के ऊपर विचारधारा प्रस्तुत करता है और दूसरे कोई चीज को आगे बढ़ाते हैं लेकिन इस पर थोड़ा सा दो दफा सोच कर और ठंडे दिल से सोचने की चीज़ है या कम से कम इस पर एक, दो रोज माननीय सदस्यों की विचारधारायें आनी चाहिए, क्योंकि यहां कई विचारधाराओं के माननीय सदस्य हैं उनको रोक दिया जाकर इसको पारित कर दें यह थोड़ी विचारने की बात है। मैंने मेरी आयु में कई दफा यह देखा है और कई मुल्कों में यह देखा है कि एक सवाल व एक दफा जो चीज़ प्रस्तुत होती है वह बाद में यों गिर जाती है और खत्म हो जाती है जैसे सूर्यास्त के समय के बादल खत्म हो जाते हैं। दूसरा, उसी पृष्ठभूमि पर दूसरे महल चुने जाने शुरू हो जाते हैं और उनके ढहने पर तीसरी तरह के महल चुने जाया करते हैं। तो इ . बातों के वास्ते पूरे विचार की जरूरत है। इसकी नकल दूसरे भारतवर्ष के प्रान्तों ने अभी नहीं की है। अगर इसका असर कुछ बात के सबब से ढीला पड़ा तो मैं इसको अनुचित समझूंगा, यह पोस्टेरिटी तक जाने की चीज़ है। विचार करके करना चाहिए। मैं मेरे विचारों को दोहराना नहीं चाहता। मैं तो इसलिये अर्ज करता था कि सदन की अगर इसी सत्र के अन्दर पास करने की मर्जी है तो कम से कम बहस के वास्ते एक सारा दिन इसके लिए निर्धारित कर दिया जाय। जैसा कि १८ तारीख को सत्र खत्म होने का प्रश्न था तो एक रोज़ और अवश्य बढ़ेगा, दो रोज और बढ़ सकते हैं, ऐसी क्या बात है? लेकिन ऐसी चीज़ के वास्ते जरूर गौर करना चाहिए जिससे प्रत्येक तरफ की विचारधारा आ जाय।

यह जो सवाल कहा जाता है कि गांव के लोग तैयार हो जाते हैं, मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि जैसा कि मेरे से पहले एकाध माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था कि बाज वक्त में जनता जनार्दन और पब्लिक की जो धारणा है वह एक साथ जैसे ही कोई प्रभावशाली महानुभाव और कम से कम विनोबा भावे जैसे आचार्य के मुखारविन्द से कोई चीज सामने आती है तो उसी वक्त जनता इस बात के वास्ते तैयार हो जाती है। यह बड़े ऊंचे दर्जे की चीज़ है। इसके लिए कोई प्रभावित हो तो यह तो क्या बात है? कल दूसरी पार्टी के सज्जनों के विचारों को सुन कर कई दफा सदन के माननीय सदस्यों की विचारधाराएं बदल जाया करती थीं। और बुराई की तरफ से लिया जाय तो इस बात से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, जैसे जुलियस सीजर के मारे जाने पर ब्रूटस ने सीज़र की लाश पर तलवार रख कर

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

लेक्चर दिया और उसके बाद में-ब्रूटस के लेक्चर के बाद में एन्टोनियो ने कहा तो जनता जनार्दन उससे पहले ब्रूटस से प्रभावित हो गयी। दूसरी दफा एन्टोनियो से प्रभावित हो गई तो इस बात का क्या अर्थ है ? तो एक इतनी ऊंची भावना के अन्दर पोलिटिकल टिन्ज भी उसके साथ में रखते हुए सोशियल टिन्ज भी है और दूसरी चीज भी है तो जनता प्रभावित हो जाती है तो क्या कोई बड़ी चीज थोड़ी है। मैं तो यही कहूँगा कि या तो एक रोज और बहस जारी रख कर तय करें तब यह पारित किया जाय, या दो महीने का अर्सा है पब्लिक ओपीनियन इस अर्से के अन्दर मालूम पड़ जायेगी, उस समय इसको लिया जाय।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय,यह जो हमारे अपनेसामने ग्रामदान विधेयक आया है उसके ऊपर दो प्रकार बल्कि तीन प्रकार के संशोधन आये हैं। एक के अनुसार उसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय दूसरे के अनुसार लोकमत के लिये प्रसारित किया जाय और तीसरा इस आश्रय का भी एक आया है कि उसका मूलत: विरोध कया जाय, मैं इन तीनों आशयों से जो संशोधन आये हैं उनका विरोध करता हुआ जो मूल ग्रामदान विधेयक है उसका समर्थन करता हूँ।

जो विचार अभी सुनने को मिले उनसे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि या तो शायद हमारे बहुत से माननीय सदस्य यह भूदान और ग्रामदान की प्रवृत्तियों के बहुत सम्पर्क में नही रहे हैं इसीलिए शायद उनके बारे में जानकार नहीं है या उन्होंने युक्ति के लिए युक्ति और दलील के लिये दलील दी और कुछ इस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): मैंने तो २० गांव भूदान के नज़र किये हैं उनमें से हूँ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपको धन्यवाद।

इसमें भूदान या ग्राम-दान के विधेयक को लोकमत के लिए प्रसारित करना, ग्रामदान के संबन्ध में जनता का मत जानने के लिए भेजना यह तो जिस प्रकार मेरे से पूर्ववक्ता महोदय ने कहा उसके लिए जनमत का प्रसार करना हमारे लिये बहुत कम छोड़ा है। पिछले ५, ७ या ८ वर्षों में जब से यह भूक्रान्ति के अग्रदूत आचार्य विनोवा भावे ने भूदान का मिशन लेकर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पदयात्रा की है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा प्रचार और प्रसार वही है उससे अधिक लोकमत को जाग्रत करने के लिए कोई भी आन्दोलन नहीं हो सकता।

ग्रामदान जो है यह भूदान का अगला कदम है। यह एक व्यक्ति को, आचार्य भावे को जिस प्रकार से कुछ महापुरुषों को आत्मप्रेरणा होती है जैसे कि एक फल को नीचे गिरत हुआ देख कर न्यूटन को यह मालूम हुआ कि भूमि में एक आकर्षण शक्ति है। शिव लिंग से कुछ मिठाई को ले जाने पर स्वामी दयानन्द को यह मालूम हुआ कि सच्चा शिव यह नहीं है, कोई दूसरा ही शिव है। इसी प्रकार से विनोबा भावे को हैदराबाद के इलाके में जब वे घूम रहे थे, जहां कि साम्यवादी आतंक छाया हुआ था मेरे दोस्त ने कहा कि साम्यवादी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

इन्तजाम लाने के लिए लोगों की संपत्ति को राज्य के हाथों में देने के लिए इस आशय से ग्रामदान लाया जा रहा है। शायद उनको इसकी पृष्टभूमि का पता नहीं है। जिस समय वहां पर सरकारी अधिकारी फेल हो चुके थे तेलंगाना प्रान्त में शान्ति स्थापित करने के लिये उस समस महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने जाकर शान्ति स्थापित की। यह शान्ति स्थापित की उसी रूप में। एक तरफ भूखे, नंगे हजारों आदमी दिखाई देते थे और दूसरी तरफ वे लोग थे जिनके पास में बहुत भूमि थी। लोग आकर आचार्य से कहते थे कि हम भूमि चाहते हैं। हमारे पास भूमि नहीं है इसलिये उपद्रवों में शामिल हुए हैं। हम हाथ, पैर रखते हैं, ईश्वर ने बुद्धि दी है लेकिन कोई साधन नहीं है कि हम अपने हाथ पैर और बुद्धि का सदुपयोग कर सकें। उस समय आचार्य विनोबा भावे को इलम हुआ कि किसी प्रकार से अगर भूमि दी जा सकती है तो यह क्रान्ति खत्म हो सकती है। वह खूनी क्रान्ति थी। वह क्रान्ति ऐसी नहीं थी। वह खूनी क्रान्ति थी। दिन दहाड़े लोग काटे जाते थे। उस समय विनोबा भावे के अन्दर आत्म प्रेरणा हुई कि यदि भूमि की व्यवस्था कर दी जाती है तो यहां पर शान्ति स्थापित सकती है। और इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने कुछ लोगों से, वहां के स्थानीय लोगों से कहा, उनके पास सरकारी कानून नहीं था और न कोई सरकारी अधिकारी उनके साथ था लेकिन उन्होंने कुछ लोगों से कहा कि भाई क्या आपके पास भूमि है जिसे आप दे सकते हैं। उस समय उनको कुछ दानी मिले, २ मिले, ४ मिले, ६ मिले जिन्होंने कहा कि हमारे पास भूमि है हम दे सकते हैं। ....

४.१.म.प.

श्री सभापति (श्री आबिद अली) : मैं आशा करूंगा कि आप अपने विचार ५ मिनट में ही समाप्त कर देंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : क्यों नहीं इसे कल के लिये रख दिया जाय ?

श्री सभापति : आप आरम्भ रखिये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पोइन्टस मेरे बहुत बाकी हैं।

श्री सभापति : हाउस की सेन्स काफी इधर की और उधर की आ चुकी है। आप अपना भाषण ५ मिनट में खत्म कर देंगे, उसके बाद निर्णय जो देना होगा वह दूंगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं यह बतला रहा था कि भूदान के बाद ग्रामदान उसका अगला कदम है। यह चीज नई नहीं है। सबसे बड़ी चीज इसमें यह है, माननीय सदस्यों ने कहा कि कोअर्शन करना होगा, दबाव डाला जायेगा, २० को दबाया जायेगा, ८० के बहुमत से। मैं समझता हूँ शायद उन्होंने इसकी भावना को नहीं समझा है। इसमें कोई दबाव का प्रश्न नहीं है। जो २० हैं उनको अपनी जमीन रखने की पूरी स्वतंत्रता है। उनकी जमीन ली नहीं जायेगी, उस पर उनका अधिकार रहेगा। केवल मालगुजारी जो उनसे वसूल की जायेगी वह ग्राम सभा द्वारा की जायेगी। आज भी मालगुजारी राज्य के अधिकारी करते हैं, बाद में ग्राम सभा करेगी। उनका प्रभुत्व जमीन पर उसी प्रकार से रहेगा। यह कहना कि ८० लोग

Page No.94

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

२० पर कोअर्शन करेंगे तो इसका सवाल नहीं रखता है बल्कि उनको तो ज्यादा सहुलियत रहेगी। आज जो लगान तहसील आदि में जमा कराना पड़ता है........

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : पटवारी जमा करता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उसको ग्रामसभा ले लेगी। इसके अलावा कोई दूसरा असर पड़ने वाला नहीं है। हम अभी सीलिंग बिल पास कर चुके हैं। उसके पहले भी इसी प्रकार की दलील थी कि होगा क्या? असल में यह एक प्रकार की सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति है। इसमें यह भावना रखी है कि लोग कोई भूखा और दरिद्र इस प्रकार रहेगा। गांव की जो आर्थिक अवस्था है उसको ठीक करने के लिए यह रखा गया है। सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना रही है जिसके जरिये ग्रामदान कराया जाय बल्कि यह कानून इसलिये बनाया जा रहा है कि २३५ ग्राम राजस्थान में ग्रामदान आन्दोलन में इकट्ठे हो चुके हैं वे कानूनी अड़चन डाल रहे हैं।

भूदान के लिये भी सरकार को कानून बनाने पड़ा। जैसे कि मैंने बताया विनोबाजी ने तलंगाना में इसे शुरू किया और वहां से देश के एक सिरे से दूसरे सिरे में गया। उसके बाद जो भी पुराना कानून चलता आ रहा है उसमें हेर फेर चलती आ रही हूँ उस कानून के रहते हुये जिस प्रकार की क्रान्ति करना चाहते थे वह नहीं कर पाये इसलिये भूदान कानून लाना पड़ा। अब जब कि स्वतः लोगों ने बगैर दबाव के व लोभ लालच के दान दिया तो मैं समझ नहीं पाया कि इसमें प्रलोभन देने की बात कहीं आती। मैंने भी इसमें काम किया है, मैं भी भूदान के लिये गया हूं, इस प्रकार से कहीं भी लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है वे स्वतः देते हैं। जिनके पास १०० बीघा जमीन है वे उसमें से ५. १० बीघ देते हैं। एक ही गांव में ऐसे कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वे ग्रामदान करते हैं। वहां पर कोई दो चार आदमी विरोध करें तो कहें कि सर्व सम्मति से नहीं है इसलिये यह प्रावधान रखा कि ८० प्रतिशत लोग तैयार हो जाय तो ग्रामदान होगा, इस आशय से माना जायेगा कि ग्रामदान हुआ। २० के लिये बलप्रयोग होगा ऐसी बात नही है...........

श्री भैरोंसिंह : लठ तो चलेंगे नहीं बाकी कुछ रहेगा नहीं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसे स्वेच्छा से समझना चाहिये। यह कोई राजनैतिक उद्देश्य की की पूर्ति नही है। सच तो यह है कि विनोबाभावे, जो आज राजनीति से अलग होने की बात करते हैं उनके लिये इस तरह से कहें यह उचित नहीं है। यह कोई कांग्रेस का प्रचार नहीं है। दूसरे लोग भी इसका प्रचार कर रहे हे। विनोबा भावे ने सब को आह्वान किया है, इसमें साम्यवादी, प्रजा समाजवादी आदि सभी हैं, मैं नहीं कह सकता जनसंघी भाई इसमें है या नहीं, बाकी सभी को आहवान किया है। इसलिये भूदान या ग्रामदान में राजनैतिक उद्देश्य को एट्रोब्यूट करें यह अच्छी चीज नहीं है। यह साधारणतः और मुख्यतः एक सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति है। वे चाहते हैं कि गांवों में जो लोग

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

रहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति समान स्तर पर आवे, वहां पर ऊंच-नीच और गरीबी-अमीरी का भेद न रहे और सब को भूमि का समान वितरण हो।

हम यहां पर सीलिंग किस लिये लाये ? इसके पीछे भी वही भावना थी जो हजारों और लाखों लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है और कृषक हैं उनके लिये हम सीलिंग कानून लाये। ग्रामदान और भूदान के पीछे भी इसी प्रकार की भावना है। इससे भूमि सभी लोगों को मिलेगी। किन्हीं के पास कम है, किन्हीं पास ज्यादा है गांववालों को ही इसके समान वितरण का अधिकार दिया जायेगा। कोई सरकारी मशीनरी काम करे, ऐसा नहीं है। वे ही स्वेच्छा से फैसला करें कि भूमि किसको देनी है तो इस प्रकार सोचना कि किसीको औषधालय का प्रलोभन दिया गया और किसी को सड़क का प्रलोभन दिया गया, उचित नहीं है; यह इसकी मंशा नहीं है। ग्रामदान कानून इसलिये बनाया जा रहा है कि जो ग्राम ले चुके हैं विनोबा भावे या दूसरे के प्रबन्ध के लिये बनाया जा रहा है। यह कोई नयी चीज नहीं है। भूदान आन्दोलन बहुत दिन पहले से शुरू हो गया था। ग्रामदान भी बहुत दिनों से चला आ रहा है। यह दुर्भाग्य ही समझना चाहिये कि इसको समझे नहीं। इसके पीछे कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं है। इसके पीछे भू वितरण का उद्देश्य है। भू वितरण समानरूप से इस कानून के द्वारा कर सकें, यह उद्देश्य है कभी भी २० पर ८० का बल प्रयोग हो, यह मंशा इसकी कभी नहीं है। २० के पास भी स्वेच्छा-पूर्वक जमीन रहेगी, उन पर कोई जबर्दस्ती नहीं होगी कि वे अपनी भूमि दे दें, उनका भूमि पर स्वामित्व उसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से अब है। केवल लगान या माल-गुजारी ग्रामसभा लेगी। उसके लिये यह कहना है कि जिस प्रकार हमारे यहां विकेन्द्रीकरण चला है और ये पंचायतें छोटी छोटी होने जा रही हैं उसमें भी ग्राम सभाएं आयेंगी। यू० पी० में इस प्रकार की ग्राम सभाएं बनी हैं। यह कोई नयी चीज नहीं है इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामसभा मिल कर जो ग्रामदान करें वे ही लोग मिल कर भूमि बोयेंगे सरकार नहीं और गांववाले खुद बांटेंगे वे देखेंगे कि इस आदमी के पास बिल्कुल भूमि नहीं है तो इसको १० बीघा दे दो या उसके पास ५ बीघा है तो उसको २ बीघा और दे दो यह काम गांव वाले खुद करेंगे। इसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इस भावना को समझते हुए हमारे जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के इसमें संशोधन रखे हैं कि वे इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाय, वे इनको वापिस ले लें। मैं उनका विरोधी हूँ और इसको आवश्यक नहीं समझता हूँ और जिस रूप में यह विधेयक है इसका समर्थन करता हूँ।

श्री **भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : On a point of order Sir सभापति महोदय, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि अब हाउस एड्जोर्न किया जा रहा है ...

श्री **सभापति** (श्री आबिदअली) : यह अभी बता दिया गया है....

श्री **भैरोंसिंह** : मैं उसके पहले कुछ निवेदन करना चाहता हूँ....

श्री **दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री) : There can be no point of Order.

Page No.96

श्री भैरोंसिंह : The House cannot be adjourned because there is no mention in the Business Advisory Committe's Report.

श्री दामोदरलाल व्यास : This is no Point Of Order.

श्री भैरोंसिंह : We have to go according to the pogramme fixed by the Business Advisory Committee. इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि हाउस इसलिए एड जोर्न किया जा रहा है क्योंकि गवर्नर महोदय के यहां पर एट होम है। अगर इस प्रसंग को लेकर हाउस एड्जोर्न किया जाता है तो मैं इसका शख्त विरोध करता हूँ और इसलिए विरोध करता हूँ कि एट होम हाउस के काम के मुकाबले में ज्यादा इम्पोर्टेन्स नहीं रखता....

श्री सभापति : To which Rule you are referring ?

श्री भैरोंसिंह : आप एड्जोर्न कर देते हैं, उसके बाद कुछ कहने में सार नहीं होगा। इसलिए चेअरमैन महोदय, मैं पहले कहना चाहूँगा कि बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया कि गवर्नर महोदय के यहां एट होम है इसलिये हाउस चार बजे तक चलेगा। मैं समझता हूं कि हाउस का समय ज्यादा मूल्यवान है बनिस्पत गवर्नर महोदय के एट होम के। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हाउस के समय को कम मूल्यवान एट होम के मुकाबले में न किया जाय और कोई डिसीजन करने से पहले मत ले लिये जायें।

श्री सभापति : Is it not within the discretion of the Chair to journ the House ?

श्री भैरोंसिंह : बिजनेस एड्वाइजरी कमेटी का प्रस्ताव आता है उसमें सशोधन करने का अधिकार हाउस को है। उसके अनुसार हाउस ५ बजे तक चलेगा, उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं तो उसमें हाउस की सम्मति ली जाना चाहिए।

श्री सभापति : मैं आपसे पूछ रहा था कि कन्डक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स के किस रूल के तहत मुझे हाउस एड्जोर्न करने का अधिकार नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : सिटिंग आफ दी हाउस के सम्बन्ध में है, उसमें ...

श्री सभापति : क्या चेयरमैन का यह डिस्क्रीशन नहीं है कि हाउस एडजोर्न किया जा सकता है, इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि किस बात के लिए एड्जोर्न किया जा रहा है ?

श्री भैरोंसिंह : तमाम रूल्स चेयर के डिस्क्रीशन पर डिपेन्ड करते हैं, पर हाउस की सम्मति पर डिपेन्ड करता है।

श्री सभापति : Then your arguments are premature.

श्री भैरोंसिंह : प्रीमेच्योर तो है, लेकिन आप हाउस एड्जोर्न कर रहे....

श्री सभापति : ऐसा है, मैं खुद चाहता था ....

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, यह बता दें कि किस कारण से हाउस एड्जोर्न किया जा रहा है ? क्या एट होम के लिए हाउस एड्जोर्न किया जा रहा है ?

श्रीसभापति : For the sake of your satisfaction I just ask you as to

(श्री सभापति)

whether the Chairman has got no discretion to adjourn the House with out assigning any reasons ?

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूँ नहीं है ।

श्री सभापति : Under what Rule ?

श्री भैरोंसिंह : रूल्स की किताब मेरे पास नहीं है ।

श्री सभापति : The Rule should be quoted.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार,जयपुर) : No quotation of a Rule is necessary, Sir. The House has to sit from 11 A. M. to 5 P. M. Ofcourse, the Chair has the discretion, but that discretion has to be used in accordance with the Rules .

श्री सभापति : When there is a dispute about a particular point, the mention of the Rule is very necessary.

श्री भैरोंसिंह : मैंने निवेदन कर दिया, वैसे सारे रूल्स के अन्दर चेयर का डिस्क्रीशन है लेकिन डिस्क्रीशन का मतलब यह नहीं है कि उस डिस्क्रीशन को हर जगह लागू किया जाय । हाउस की सिटिंग ११ बजे से लेकर ५ बजे तक होती है और उसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट रेगुलेट करती है। वह जो रिपोर्ट बनाती है वह हाउस में आती है, उसके अनुसार बिजनेस को रेगुलेट किया जाता है । उसके रेगुलेशन में समय निर्धारित है उसके पहले हाउस एड्जोर्न होता है, इसका मतलब है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको हाउस ने स्वीकार किया है, उसमें कोई संशोधन आये और उस पर हाउस की सम्मति लेनी चाहिए ।

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा कि यह ऐसा इम्पोर्टेन्ट मेटर नहीं है । वैसे रूल १३ है, वह साफ है "The Speaker shall determine the time when a sitting of the House shall be adjourned sine die or to a particular day, or to an hour or part of the same day;

Provided that the Speaker may, if he thinks fit, call a sitting of the House before the date or time to which it has been adjourned or at any time after the House has been adjourned sine die."

मेरे खयाल से यह बहुत ही स्पष्ट है और कोई गम्भीर बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : चेयर या स्पीकर को जो अधिकार दिये हैं वे इसलिए नहीं दिये हैं कि हाउस को एट होम के लिए एडजोर्न

(हंसी)

कर दिया जाय । यह एट होम के लिए एड्जोर्न हो रहा है । मैं चाहूँगा कि ऐसा नहीं है तो रीजन बता दिया जाय कि किसके लिए एडजोर्न हो रहा है ?

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : जो एट होम में न जायें, वे न जायें ।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज ! रूल्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मुझे रीजन बताने पड़े । मैं हाउस को कल ११

(श्री सभापति)

बजे तक के लिए एड्जोर्न करता हूं । आज जो डिबेट हुई है....

श्री भैरोंसिंह : मैं इसका विरोध करता हूं कि हाउस को गवर्नर महोदय के एट होम के लिए एड्जोर्न किया जाय। मैं समझता हूं कि यह किसी भी प्रकार उचित नहीं है। इसलिए मैं वाक आउट करता हूं ।

(४ बज कर-१५ मिनट पर श्री भैरोंसिंह व विरोधी दल के कई माननीय सदस्यों ने बहिर्गमन किया)

श्री सभापति : Wait a bit.

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आज जो डिबेट हो रही थी वह कन्क्लूड होती है। कल मिनिस्टर इन्चार्ज जवाब देंगे।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही दिनांक १७-१२-५९ मध्यान्होत्तर चार बज कर १५ मिनट पर, अगले दिन दिनांक १८ दिसम्बर, १९५९ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त–विवरण

(बृहस्पतिवार, दिनांक १७ दिसम्बर, १९५९)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्तम्भ		स्तम्भ
	३१८८	नियुक्त वार्ड बायज	
जैसलमेर जिले में चलते–फिरते अस्पताल की मांग		सहकारी विभाग के अस्थायी कर्मचारी	
पाली स्थित बांगड़ अस्पताल में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की मांग		ग्राम रामपुरिया (कोटा) के तालाब के पास कैथून रोड़ हर बनी चम्बल नहर की पुलिया को सुविधाजनक बनाना	
नागोर जिला कृषि अधिकारी द्वारा बगैर स्वीकृति के गेहूँ के बीज की खरीद		जयपुर शहर की आजाद बस्ती, लालजी का बाग, हथरोई तथा हसनपुरा में सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था	
ग्राम पंचायत, धानुगांव (बूंदी) के हैडक्वार्टर का अन्यत्र स्थानान्तरण		जीरावल तथा आबूरोड के मध्य चलनेवाली नियमित बस से सम्बन्धित अनियमितताएं	
टोंक शहर का बिजलीघर			
नागोर जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय के चपरासी श्री पांचूराम माली की बकाया तनख्वाह पर जाली हस्ताक्षर		अजमेर डिस्ट्रिक्ट के औषधालयों में दवाइयां एवं वैद्यों के वेतन दिलाने की व्यवस्था	
वनस्पति घी की बिक्री पर रोक		जोधपुर तहसील के जंगलात क्षेत्र में आये हुए गांव	
पाली तहसील की लघु सिंचाई योजनाएं			
ग्राम मुंडरू में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला जाना		सिरोही के नागरिकों को २४ घंटे बिजली उपलब्ध न होने की कठिनाई का निवारण	
श्रम कल्याण केन्द्रों के हेतु निर्मित सहकारी भवन		जोधपुर नगरपालिका में एक योग्य हरिजन को सेनेटरी इन्स-पेक्टर के पद पर प्रमोशन देना	
राहुवास नदी पर बांध बनवाना			
जयपुर नगर की डिस्पेन्सरियों में		चितौड़गढ़ जिले में एन्टी करप्शन	

	स्कम्भ
विभाग में दर्ज मामलों पर कार्यवाही	
भूतपूर्व राज्य के समय पेशकार के पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी	
भाखरा बांध के होइस्ट चेम्बर को हुई क्षति से राजस्थान को होने वाली हानि	
चतौड़ जिले की डाक्टर्स रहित डिस्पेन्सरीज़	
जोधपुर से सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) के निष्पादन अभियन्ता के कार्यालय का विवर्तन	
झोटवाड़े से कालवाड़-पचार तक रोड तैयार करवाना	
पुलिस हिरासत में थानों में मारे गये व्यक्ति	
जयपुर इम्प्रुवमेन्ट बोर्ड द्वारा बसाई गई बस्तियां	
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	
स्थगित	३२४६
राज्य में रेल्वे का विस्तार	
सरकार द्वारा सन् १९५२ से आज तक भंग की जाने वाली नगर पालिकाएं	

	स्कम्भ
अतारांकित प्रश्न	३२५३
जिला झुंझुनूं के विकास खण्ड तथा शेडो विकास खण्ड राजस्थान जल बोर्ड की प्रगति रिपोर्ट	
पुरस्थापित किये गये विधेयक	३२५६
राजस्थान भवन (किराया और बेदखल नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १९५९ सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किया गया।	
सदन की मेज पर रखा गया पत्र	३२५७
श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, ने राज्य के भूमि आयोग (State Land Commission) के प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखा।	
सरकारी संकल्प	३२५७
श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया, जो वादविवाद के पश्चात् स्वीकार किया गया :—	
"That this House ratifies the amendment to Article 334 of the Constitution of India, propsed to be made by the Constitution (Eighth Amendment) Bill, 1959, as passed by the two Houses of Parliament."	

स्तम्भ

विधायी कार्य

विचारार्थ लिये गये विधेयक

(१) राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्प्शन आफ जागीर्स (बारहवां संशोधन) विधेयक, १९५९

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(२) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान ग्रामदान विधेयक, १९५९ श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय—

(१) डा० चन्द्रकला ने यह संशोधन रखा कि विधेयक को उसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, तथा

स्तम्भ

(२) श्री पी० के० चौधरी ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने का संशोधन प्रस्तुत किया।

इन पर किये गये वाद–विवाद में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री भैरोंसिंह (१४),
२. श्री श्रीभानसिंह,
३. श्री मुरलीधर व्यास,
४. श्री भोगीलाल पंड्या,
५. रावल श्री नरेन्द्रसिंह तथा
६. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

शुक्रवार १८ दिसम्बर, १९५९ की कार्य–सूची

१. राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत बनाये गये नियम।

२. राजस्थान ग्रामदान विधेयक, १९५९ (विचार-विमर्श एवं पारण)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४२८ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी	किस पद पर अस्थाई रूप में लिये गये	कब लिये गये,	जन सेवा आयोग द्वारा न भरने का कारण
१	२	३	४	५
१.	श्री श्रीकृष्ण माथुर	सहायक रजिस्ट्रार	२३–६–५६	जन सेवा आयोग द्वारा इनका साक्षात्कार २५ नवम्बर से २८ नवम्बर, १६५६ तक हुआ है जिसके परिणाम की प्रतीक्षा है।
२.	श्री गोविन्दकान्त शर्मा	,,	१६–१–५६	,,
३.	श्री राधाकिशन	,,	१२–८–५६	,,
४.	श्री हुक्माराम (अनुसूचित जाति)	,,	२१–४–५६	,,
५.	श्री कुन्दनलाल कपूर	,,	१०–१–५७	,,
६.	श्री विश्वनाथसिंह	,,	२७–२–५६	,,

१	२	३	४	५
७.	श्री नाहरसिंह	सहायक रजिस्ट्रार	१२-११-५६	इनकी नियुक्ति जन सेवा आयोग द्वारा निर्धारित प्रार्थनापत्र मंगाये जाने की तिथि १८-७-५६ के पश्चात् हुई है। अतः इनका इस बैच में जन सेवा आयोग के समक्ष साक्षात्कार को जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी	किस पद पर अस्थायी रूप में लिये गये	कब लिये गये
१	२	३	४
१.	श्री एम० एम० जहुर	इन्सपेक्टर (एग्जी)	१९५४
२.	श्री हरप्रसाद निगम	,,	,,
३.	श्री छोटेलाल गुप्ता	,,	१९५६
४.	श्री बृजमोहनसिंह	,,	१९५६
५.	श्री सम्पूर्णसिंह	,,	,,
६.	श्री हेमसिंह	,,	,,
७.	श्री उमावल्लभ	,,	,,
८.	श्री कृष्णकुमार शर्मा	,,	,,
९.	श्री पुरुषोत्तम कौशिक	,,	,,
१०.	श्री पुश्पेन्द्रसिंह	,,	,,
११.	श्री मेघराज चोधरी	,,	,,
१२.	श्री योगेशचन्द्र	,,	,,
१३.	श्री हरफूलसिंह	,,	,,
१४.	श्री गजेन्द्रसिंह	,,	,,
१५.	कुमारी सुशीला पारीक	,,	,,
१६.	कुमारी खेमा भान	,,	,,
१७.	श्री मोहम्मद जाकिर सद्दीक	,,	,,
१८.	श्री सुमेरचन्द	,,	,,

१	२	३	४
१६.	श्री भीमसिंह	इन्सपेक्टर एग्जी	१६५६
२०.	श्री पुरुषोत्तममल	,,	,,
२१.	श्री बृजलाल	,,	,,
२२.	श्री रामसिंह वर्मा	,,	,,
२३.	श्री हरिराम बिश्नोई	,,	,,
२४.	श्री सुरेन्द्रसिंह	,,	
२५.	श्री पारसचन्द	,,	
२६.	श्री रामेश्वरसिंह	,,	,,
२७.	श्री ओ३मनारायण	,,	,,
२८.	कुमारी फूलकुमारी	,,	,,
२६.	श्री नरपतसिंह	,,	,,
३०.	श्री विश्वम्भरसिंह	,,	,,
		इन्सपेक्टर (आडिट)	
१.	श्री प्रेमचन्द	इन्सपेक्टर (ऑडिट)	१६५६
२.	श्री म्रिगेन्द्रकुमार	,,	,,
३.	श्री वीरचन्द	,,	,,
४.	श्री [illegible]तराय	,,	,,
५.	श्री खजानसिंह	,,	,,
६.	श्री रविन्द्रनाथ	,,	,,
७.	श्री प्रतापसिंह	,,	,,
८.	श्री कुंवर रवीन्द्रकुमार	,,	,,

१	२	३	४
६.	श्री सोमदत्त	इन्सपेक्टर (आडिट)	१६५६
१०.	श्री सुरेन्द्रसिंह	,,	,,
		सहायक निरीक्षक	
१.	श्री रूपसिंह	सहायक निरीक्षक	१६५६
२.	श्री तेजकरण	,,	,,
३.	श्री मांगीलाल	,,	,,
४.	श्री देवीलाल	,,	,,
५.	श्री रामसिंह	,,	,,
६.	श्री रामकथक	,,	,,
७.	श्री रामरत्न	,,	,,
८.	श्री राजेन्द्र	,,	,,
६.	श्री विजयसिंह	,,	,,
१०.	श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा	,,	,,
११.	श्री राधामोहन	,	,,
१२.	श्री रामेश्वरप्रसाद	,,	,,
१३.	श्री रामनारायण	,,	,,
१४.	श्री जुगलकिशोर	,,	,,
१५.	श्री हजारीलाल मीना	,,	,,
१६.	श्री रामजीलाल मीना	,,	,,
१७.	श्री वंशीधर चमार	,,	,,
१८.	श्री गुलजारीलाल	,,	,,

Page No.107

१	२	३	४
१६.	श्री तारासिंह	,,	१६५६
२०.	श्री रूपचन्द यादव	,,	,,
२१.	श्री मनोहरलाल कोली	,,	,,
२२.	श्री भूंथालाल	,,	,,
२३.	श्री प्रभुनारायण	,,	,,
२४.	श्री सतीशकुमार	,,	,,
२५.	श्री कजोड़ीलाल	,,	,
२६.	श्री गोपीनाथ	,,	,,
२७.	श्री दुर्गालाल	,,	,,
२८.	श्री रामसहाय	,,	,,
२६.	श्री गिरीशचन्द्र	,,	,,
३०.	श्री सरनामसिंह	,,	,,
३१.	श्री रतनसिंह	,,	,,
३२.	श्री गोपालशरण	,,	,,
३३.	श्री रामनिवास	,,	,,
३४.	श्री जमनाप्रसाद	,,	,,
३५.	श्री गोपालप्रसादशर्मा	,,	,,
३६.	श्री दुर्गाप्रसाद उपाध्याय	,,	,,
३७.	श्री भारतभूषण	,,	,,
३८.	श्री उमादत्त शर्मा	,,	,,
३६.	श्री गिरधारीलल	,,	,,
४०.	श्री मातादीन शर्मा	,,	,,
४१.	श्री अमरसिंह		,,

Page No.108

१	२	३	४
४२.	श्री वीरेन्द्र स्वरूप	,,	१६५६
४३.	श्री रघुवीरसिंह	,,	,,
४४.	श्री रामनिवास	,,	,,
४५.	श्री भंवरलाल	,,	,,
४६.	श्री नरपतसिंह	,,	,,
४७.	श्री डेवाराम	,,	,,
४८.	श्री केदारनाथ जोशी	,,	,,
४९.	श्री कुंजबिहारी	,,	,,
५०.	श्री तेजसिंह	,,	,,
५१.	श्री मिर्जा हबीब बेग	,,	,,
५२.	श्री हेमाराम	,,	,,
५३.	श्री रामप्रसाद	,,	,
५४.	श्री श्रीकिशन	,,	,,
५५.	श्री पुखराज	,,	,,
५६.	श्री जयराम	,,	,,
५७.	श्री भीखमचन्द	,,	,
५८.	श्री रामचन्द्र	,,	,,
५९.	श्री बख्तावरसिंह	,,	,,
६०.	श्री सूरजकरण	,,	,,
६१.	श्री बलवीरसिंह	,,	,,
६२.	श्री अर्जुनराम केला	,,	,,

१	२	३	४
६३.	श्री नन्दलाल केला	,,	१६५६
६४.	श्री हनुमानलाल	,,	,,
६५.	श्री परसराम	,,	,,
६६.	श्री हेमाराम	,,	,,
६७.	श्री धनसिंह सोडा	,,	,,
६८.	श्री पूनाराम	,,	,,
६९.	श्री जगदीशप्रसाद	,,	,,
७०.	श्री बाबूलाल	,,	,,
७१.	श्री मांगीलाल मोची	,,	,,
७२.	श्री गंगाराम बलाई	,,	,,
७३.	श्री नाथूराम भील	,,	,,
७४.	श्री मोतीलाल भील	,,	,,
७५.	श्री दयाचन्द भील	,,	,,
७६.	श्री पूरनमल रेगर	,,	,,
७७.	श्री कजोड़मल खटीक	,,	,,
७८.	श्री धनराज	,,	,,
७९.	श्री शांतिचन्द्र	,,	,,
८०.	श्री रणवीरसिंह	,,	,,
८१.	श्री सुरेन्द्रपाल	,,	,,
८२.	श्री सुलतानसिंह	,,	,,
८३.	श्री कोमलकिशोर कथक	,,	,,

१	२	३	४
८४.	श्री प्रभुदयाल	,,	१६५६
८५.	श्री हीरालाल	,,	,,
८६.	श्री रामजीलाल	,,	,,
८७.	श्री बाबूलाल रेगर	,,	,,
८८.	श्री रामलाल रेगर	,,	,,
८९.	श्री लालचन्द कोली	,,	,,
९०.	श्री मोहनलाल वर्मा	,,	,,
९१.	श्री देवीलाल	,,	,,
९२.	श्री बलवन्तसिंह	,,	,,
९३.	श्री लक्ष्मीदास	,,	,,
९४.	श्री सोहनलाल	,,	,,
९५.	श्री मनीराम	,,	,,
९६.	श्री हनुमानप्रसाद	,,	,,
९७.	श्री भंवरसिंह	,,	,,
९८.	श्री प्रभुदयाल	,,	,,
९९.	श्री मोहनलाल	,,	,,
१००.	श्री अर्जुनराम	,,	,,
१०१.	श्री आसुराम	,,	,,
१०२.	श्री लक्ष्मणप्रसाद	,,	,,
१०३.	श्री जुगलकिशोर	,,	,,
१०४.	श्री मोहनसिंह	,,	

१	२	३	४
१०५.	श्री रामबाबू	,,	१६५६
१०६.	श्री अमरसिंह	,,	,,
१०७.	श्री अमरलाल महर	,,	,,
१०८.	श्री धनेशचन्द्र श्रीवास्तव	,,	,,

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३७ का उत्तर देखिये)

फर्स्ट ग्रेड इन्सपेक्टर

नं०	नाम	जाति		योग्यता
१	२	३	४	५
१.	श्री प्यारेनाथ चीफ सेनीटेरी इन्सपेक्टर	कायस्थ	ओवरसियरी सेनीटरी एल. एस. जी कोर्स	मेट्रिक
२.	श्री मगराज	अग्रवाल	बम्बई ,,	इन्टर
३.	श्री उमरावचन्द	मेहता	एल. एस. जी. डी. कोर्स, बम्बई	बी० ए०
४.	श्री लक्ष्मणसिंह	तंवर	,, ,,	बी. ए. एल एल. बी.
५.	श्री करणराज	चौधरी	सेनेटरी कोर्स	,, - ,,
६.	श्री चन्दनराज	भंसाली	,, ,,	मेट्रिक
७.	श्री शिवदत्त	पुरोहित	एल० एस० जी० डी०	बी० ए०
८.	श्री शंकरलाल	परिहार	सेनेटरी कोर्स	मेट्रिक
९.	श्री विजयसिंह फर्स्ट	सोलंकी	,,	इन्टर
१०.	श्री विजयसिंह सेकिन्ड	सोलंकी	एल. एस. जी. डी., सेनेटरी कोर्स	मेट्रिक
११.	श्री मोहनसिंह	राजपूत	२३ वर्षीय अनुभवी	

सेकिन्ड ग्रेड इन्सपेक्टर

१.	श्री गोपीराम	हरिजन	नगरपालिका के सफाई विभाग का	१६	वर्षीय अनुभव
२.	श्री मनोहरदास	रंकावत	,, ,,	१४	,,
३.	श्री मांगीलाल	राजपूत	,, ,,	१३	,,
४.	श्री चम्पालाल	व्यास	,, ,,	२६	,,
५.	श्री सांगसिंह	राजपूत	,, ,,	२८	,,
६.	श्री पृथ्वीराज	कोली	,, ,,	२४	,,
७.	श्री अब्दुलगनी	मुसलमान	,, ,,	२५	,,

८.	श्री रहीमबक्ष	मुसलमान	नगरपालिका के सफाई वभागका	१६	वर्षीय अनुभव
९.	श्री बच्छराज	रावणा राजपूत	,, ,,	१७	,,
१०.	श्री जगन्नाथ	पुष्करणा ब्राह्मण	,, ,,	२९	,,
११.	श्री विष्णु शंकर	दवे	,, ,,	२२	,,
१२.	श्री छतरसिंह	सांखला	एल. एस. जी. डी. सेनेटरी कोर्स बम्बई	जयपुर मेट्रिक	
१३.	श्री बंशीधर	व्यास	,, ,,	,,	,,
१४.	श्री रामनाथ	पुरोहित	एस० आई. सी. नई दिल्ली (सेनेटरी कोर्स)	मेट्रिक	
१५.	श्री बाबूलाल	हरिजन	कार्य अनुभव		

———

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४४६ का उत्तर देखिये)

LIST OF THE A. I. CENTRES IN RAJASTHAN

N. E. S. & C. D. BLOCKS.

1. Pisangan.
2. Malpura.
3. Bilara.
4. Girwa.
5. Kishangarh bas.
6. Sumerpur.
7. Raisinghnagar.
8. Phulera.
9. Sawai Madhopur.
10. Deeg. (Nagaur)
11. Baran.
12. Hindaun.
13. Rajasumand.
14. Dungarpur.
15. Didwana.
16. Bundi.
17. Ladpura.
18. Kushalgarh.

KEY VILLAGE BLOCKS.

1. Alwar.
2. Bassi.
3. Nagaur.
4. Jhalrapatan.
5. Beawar.
6. Kekri.

7. Masuda.
8. Nasirabad.
9. Jodhpur.
10. Sanchore.
11. Bikaner,
12. Mahajan.
13. Pilani
14. Andhi.

A. I. CENTRES.

1. Jaipur.
2. Urban A. I. Centre, Ajmer.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११० का उत्तर देखिये)

1. Udaipur to Himmatnagar via Rikhabdeo-Kherwara-Dungarpur.
2. Raniwara to Deosa (to get a direct link to Mandla)
3. Pilani to Loharu.
4. Conversion of present Meter Gauge into Broad Gauge Line from Sawai-Madhopur to Jaipur.
5. Meter Gauge Loopline between Tonk and Chauth Ka Barwara meeting Sawai Madhopur-Jaipur Broad Gauge Line at Chauth Ka Barwara.
6. Chittorgarh to Kota.
7. Ratlam to Dungarpur via Banswara and Galiakot.
8. Ganganagar to Hindumalkot (by broad Gauge).
9. Toda Raising-Deoli-Bundi-Kota.
10. Mandal-Banera-Shahpura-Jahajpur-Deoli.
11. Kosi (U. P.) Bharatpur via Kama-Deeg and Kumber (by Broad Gauge)
12. Shri Mathura to Gangapur via Karauli (District Sawai Madhopur.)
13. Raniwera to Sanchere.
14. Broad Gauge Link from Jaipur to Sambhar.
15. Shri Ganganagar-Sardarshar via Padampur and Suratgarh.
16. Ajmer to Merta City.
17. Sawai Madhopur (Rajasthan to Shivpur Kalan (M. B.)
18. Churu-Taranagar-Nohar via Sawa.
19. Pali Sadri to Neemuch via Chhoti Sadri.
20. Linking of Jhalawar town with Railway line.
21. Connecting Hanumangarh with Bhatinda by Broad Gauge line.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२५ का उत्तर देखिये)

सन् १६५२ से अब तक चुनाव सेट असाइड होने के कारण सरकार द्वारा भंग की गई नगरपालिकाओं की सूचि

क्रम० सं०	नाम नगरपालिका	भंग करने की तिथि
१.	नरायणा	१६-२-५८
२.	जोबनेर	६-४-५८
३.	चाकस	६-६-५८
४.	लोसल	२७-११-५८
५.	निवाई	१०-१२-५४
६.	उनियारा	२४-११-५८
७.	कामा	१४-२-५६
८.	नांवा	२०-३-५६
९.	पाली	२६-७-५६
१०.	बेगूं	२४-११-५४
११.	सलूम्बर	२४-८-५५
१२.	सूरजगढ़	२५-१-५४
१३.	कोटा	११-११-५६

परिशिष्ट

सन् १९५६ से अब तक एडहाक कमेटी के स्थान पर सरकार द्वारा प्रशासक की नियुक्ति

क्रम संख्या	नाम नगरपालिका	भंग करने की तिथि
१.	नवलगढ़	१७–४–५३
२.	चुरू	२७–५–५२

सन् १९५२ से अब तक सदस्यों द्वारा त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर सरकार द्वारा भंग की गई नगरपालिकाओं की सूची

क्रमसंख्या	नाम नगरपालिका	भंग करने की तिथि
१.	जयपुर	१५–७–५६
२.	जोबनेर	क ४–६–५२ ख २५–८–५८

सन् १९५२ से अब तक अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग की गई नगरपालिका की सूची

क्रम संख्या	नाम नगरपालिका	भंग करने की तिथि	भंग करने का कारण
१.	नापासर	१०–२–५६	पालिका नियमानुसार कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ

सन् १६५२ से अब तक अवधि समाप्त होने पर सरकार द्वारा भंग की गई नगरपालिकाओं की सूची

क्र०सं०	नाम नगरपालिका	भंग करने की तिथि
१.	जयपुर	३१-८-५४
२.	कोटपुतली	२७-२-५५
३.	किशनगढ़	क १०-११-५६
		ख १०-२-५७
४.	खण्डेला	११-६-५६
५.	बिसाऊ	२३-२-५६
६.	निवाई	८-७-५६
७.	राजगढ़ (अलवर)	२७-७-५६
८.	बयाना	१०-११-५६
६.	धौलपुर	३१-८-५६
१०.	बीकानेर	११-२-५१
११.	सुजानगढ़	१७-५-५६
१२.	हनुमानगढ़	१४-४-५८
१३.	सरदारशहर	१६-४-५७
१४.	जोधपुर	२७-१०-५५
१५.	कुचामन सिटी	२५-७-५६
१६.	लाडनूं	१०-२-५६
१७.	सोजत	२०-११-५६
१८.	डीडवाना	२१-७-५६
१६.	नाथद्वारा	१०-७-५६

२०.	बारां	६-४-५६
२१.	केशवरायपाटन	२-६-५७
२२.	नेनवा	२०-१-५८
२३.	देवली	४-२-५८
२४.	भुसावर	१०-५-५७
२५.	डूंगरगढ़	२३-११-५६
२६.	करनपुर	१६-५-५६
२७.	रायसिंहनगर	२८-१-५४
२८.	मकराना	२५-११-५६

परिशिष्ट ६

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ का उत्तर देखिये]

जोधपुर तहसील के गांवों की सूची जिनकी सीमा वन क्षेत्र में सम्मिलित है।

डिवीजन नाम	फोरेस्ट रेंज हैड क्वार्टर		गांवों जिनकी सीमा वन क्षेत्र में आई हुई है	वन ब्लॉक का नाम जिसमें गांव की सीमा है	वन वर्गीकरण रिजर्व्ड वायसेकन्ड प्रोटेक्ट अनक्लासड	सम्बन्धित वन चौकी का नाम
जोधपुर	जोधपुर	पाली	चांखा, गवा	बड़ा भाखर	रिजवर्ड	गुरा का तालाब
			गोलासनी	चादनां-मान्यिा	"	मसूरिया
			जोधपुर शहर	देवकुण्ड	"	"
			"	मतेश्वर व्यास की बावड़ी जोड़		व्यास की बावड़ी
			मंगरा गांव	लालसागर	"	मसूरिया
			मंडोर	मोतीसर	"	मंडोर
			खारीखुर्द	खारीखुर्द	"	खारीखुर्द